सितंबर - 2020
वर्ष - 19 अंक - 1

सुगन्ध

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
की गृह-पत्रिका

देश में इस्पात की खपत बढ़ाने पर जोर देते हुए
माननीय इस्पात व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान

इस्पात के उपयोग के लगातार अनुश्रवण हेतु कार्यकारी समूह के गठन की घोषणा करते हुए
माननीय इस्पात व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम

संदेश

हर्ष का विषय है कि संगठन की हिंदी पत्रिका 'सुगंध' को एक बार पुनः भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा गृह-पत्रिका की श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जो संगठन में राजभाषा हिंदी के प्रति गंभीरता एवं व्यापक प्रचार-प्रसार का द्योतक है। इससे हमारी राष्ट्रीय पहचान और अधिक प्रांजल एवं प्रखर हुई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि सितंबर, 2020 का अंक 'अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस' विषय पर आधारित है। यह सच है कि दुनिया श्रम और श्रमिकों की महत्ता को स्वीकार करती है। मेरा मानना है कि श्रमिकों के सहयोग के बिना कोई भी संगठन अथवा समाज उत्तरोत्तर विकास नहीं कर सकता। श्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति सृजनशील होता है और सृजनशीलता ही विकास का सूचक है।

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में यह विषय बहुत ही समीचीन और प्रासंगिक है। क्योंकि इस महामारी में जितना नुकसान उद्योग जगत, श्रमिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का हुआ है, उतना शायद किसी और का नहीं हुआ है।

आशा है, इस विषय पर गहन चिंतन-मनन युक्त रचनाओं से पाठकों को लाभ होगा एवं 'सुगंध' की प्रासंगिकता पुनः प्रमाणित होगी।

शुभकामनाएँ......

(प्रदोष कुमार रथ)

दिनांकः 28.09.2020

निदेशक (कार्मिक)
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम

संदेश

बड़े ही गर्व की बात है भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने 'सुगंध' को पुनः राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार के लिए चुना है। यह और भी उल्लेखनीय है कि पिछले दस वर्षों में 'सुगंध' को यह पुरस्कार छः बार मिल चुका है। वर्ष 2011-12, 2015-16, 2017-18, 2018-19 के लिए चार बार प्रथम तथा वर्ष 2012-13 व 2013-14 के लिए दो बार द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रसन्नता की बात यह भी है कि 'सुगंध' भाषा व साहित्य के साथ-साथ विषय आधारित तकनीकी जानकारियों की स्रोत बनती जा रही है। मेरा मानना है कि पत्रिका के सोद्देश्य प्रकाशन से इसका महत्व और बढ़ता है। साथ ही समयानुकूल विषयों का चयन एवं विशेषांक का प्रकाशन एक सराहनीय कार्य है।

प्रस्तुत अंक 'अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस' को समर्पित है, जो कोविड-19 के संक्रमण काल में उद्योगों एवं श्रमिक वर्ग को हुए क्षति के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रयास है। श्रम संगठनों के लंबे संघर्ष एवं तर्कसंगत विचार-विमर्श के कारण संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आये हैं। हालाँकि अभी भी श्रमिक कल्याण एवं श्रम नियमन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

आशा है, यह अंक भी अन्य अंकों की भाँति अपने उद्देश्य में सफल होगा और बेहतरीन रचनाओं के माध्यम से पाठकों के विचार-तंत्रिकाओं को झंकृत करेगा।

इस प्रयास के लिए मैं राजभाषा विभाग की प्रशंसा करता हूँ और 'सुगंध' के निरंतर विकास की कामना करता हूँ।

(किशोर चंद्र दास)

दिनांकः 28.09.2020

हम विरोधाभास में क्यों जिएँ?

कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर बैठा उसका भय ही है। यह भय व्यक्तिगत तो होता ही है, समाज और देश का भी होता है। यह भय बाहरी भी होता है और आंतरिक भी। आंतरिक भय बाहरी भय से अधिक भयावह और हानिकारक होता है। हमारे देश व समाज का भय बाहरी कम और आंतरिक अधिक है।

हमारे समाज की निर्मिति ही भय पर आधारित है। हमारी नीतियाँ भयग्रस्त हैं। हमारे आचरण भयाक्रांत हैं। हमारी गतिविधियाँ भय से आशंकित हैं। इसीलिए सामाजिक स्तर पर हम रोशनी के बजाय अंधेरों को चुनने के आदी हो चुके हैं। शांति के बजाय हिंसा का वरण करने लगे हैं। करुणा की जगह वैमनस्य की खेती करने लगे हैं। तभी तो लगभग 75 वर्षों की आजादी के बाद भी हम न सामाजिक स्तर पर एक राष्ट्र बन पाये हैं और न ही राजनीतिक स्तर पर। आज भी हम अपनी विभिन्नताओं को एकता की कड़ी कहते हुए तो थकते नहीं, पर जैसे ही विभिन्नताओं को दरकिनार कर एक सूत्र में बंधने की बात आती है, हम दूर हो जाते हैं और अपनी डफली, अपना राग अलापने लगते हैं।

पलक झपकते ही हम भारतीय से धर्म निरपेक्ष, वर्ग विशेष और जाति विशेष के हो जाते हैं और एक झटके में हमारी सामाजिक सहिष्णुता पानी के बुलबुलों की तरह गायब हो जाती है। हमारे समाज का हर हिस्सा इतना भयभीत है कि वह जहाँ देखो, वहाँ अपने अतीत के आख्यानों की बड़ाई करने लगता है। बड़ी-बड़ी डींगें हाँकने लगता है, जबकि उसका वर्तमान अतीत की अपेक्षा बहुत ही स्पष्ट व प्रांजल है। अतीत में आज जैसी वैज्ञानिक सोच और सुविधाएँ नहीं थीं।

मनोवैज्ञानिक इस मानसिकता को भय का मनोविज्ञान कहते हैं और इससे ही मिथकों और दैवी अथवा राक्षसी शक्तियों का प्रादुर्भाव होना मानते हैं। इसी भय के कारण हम मनगढ़ंत शत्रुओं और रक्षकों अथवा आराध्यों का निर्माण करते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को इतना नजरंदाज करते रहते हैं। प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई शक्तियों से हम दूर हो जाते हैं। उसकी अवहेलना करने लगते हैं। कई-कई विरोधाभासों के बीच वैसे जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जैसे गंगा को देवी कहकर उसकी पूजा-अर्चना तो करते हैं, लेकिन साथ ही हमारी आस्था से उपजी तमाम तरह की गंदगियों को उसमें प्रवाहित कर देते हैं। अर्थात हम सही रास्ते बनाते नहीं, बल्कि उसकी तलाश में भटकते रहते हैं।

अक्सर हम पश्चिम की निंदा भी करते हैं और उसकी सभ्यताओं का अनुकरण भी करते हैं। पश्चिम को हम अपने से पिछड़ा भी मानते हैं और उसके ऐश्वर्य की दुहाई भी देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? हमने भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का प्रयास तो अवश्य किया है, लेकिन भयाक्रांत होकर कहीं-कहीं अपने आप को संकुचित कर लिया है। यथा श्रमिकों की स्थिति को ही ले लें तो पता चलता है कि श्रमिकों के बदौलत ही आभिजात्य वर्गों की पूँजी बढ़ती है। लेकिन श्रमिकों के समानांतर विकास को सदा से हतोत्साहित किया गया है और आज भी स्थिति ऐसी ही है। हम शौचालय के कार्य को हेय दृष्टि से देखते हैं। पर उसके लिए मजदूरी भी कम देते हैं। यह दोहरा शोषण है। इस सब के पीछे हमारा भय ही है।

भाषा के मामले में भी हमने स्वयं को भयमुक्त नहीं किया है, क्योंकि हमने इसे शिक्षा-दीक्षा की भाषा बनाने का पूरा प्रयास नहीं किया। हमने इसे रोजी-रोटी की भाषा भी नहीं बनने दी। आखिर हम किससे डरते रहे हैं और क्यों? देश और समाज में हिंदी के प्रति लगाव के बावजूद बिछोह क्यों है? क्योंकि हमने अपनी शिक्षा को हिंदी में विकसित न करके अंग्रेजी में विकसित किया। हमने हिंदी में सृजित होनेवाले रोजगारों की अनदेखी क्यों की। मात्र इन दो समस्याओं की वजह से देश में हिंदी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हालाँकि यह भी सच है कि हिंदी का बहुत विकास हुआ है, लेकिन उसके कारण इतर रहे हैं। लेकिन हिंदी शिक्षा और रोटी से जुड़ जाती तो आज बात ही कुछ और होती। संभवतः इसके पीछे भी दुनिया से विज्ञान और तकनीक के मामले में पिछड़ने का भय भी रहा होगा।

सितंबर महीना हिंदी के लिए पाक रमजान के महीने जैसा पवित्र होता है। पूरे महीने कार्यक्रम चलते रहते हैं। उनमें से कुछ कार्यक्रम तो संकल्पित भाव से होते हैं, कुछ खानापूर्ति मात्र के लिए भी होते हैं। यहाँ भी सोचने की बात है कि हम खानापूर्ति के लिए क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? यह भी एक भय के कारण ही है। हमें भय के आवरण से स्वयं को बाहर निकालना होगा, तभी हिंदी का अपेक्षित विकास होगा। यह मनन करना होगा और प्रेरणा लेनी होगी कि आजादी के बाद हमने कैसे राष्ट्र की कल्पना की थी और कहाँ तक सफल हुए हैं?

सुगंध सदैव ही भाषा और समाज के सकारात्मक पक्षों के विचार-तत्व प्रस्तुत करती है और अपने सुहृदय पाठकों, लेखक-लेखिकाओं से उन विचार-तत्वों पर अपना मंतव्य रखने की अपेक्षा रखती है, ताकि भयमुक्त वातावरण में विचारों का आदान-प्रदान व अनुशीलन हो सके।

प्रस्तुत अंक अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस को समर्पित है और इसमें श्रमिकों की समस्याओं और उनकी स्थिति पर खुले विचार-विमर्श का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम की महत्ता हमारे समाज की कर्मठता, अर्थात 'कर्म ही पूजा है' का और श्रमिक 'श्रमेव जयते' के द्योतक हैं। हमारे इस प्रयास में अपने संगठन और देश के प्रख्यात रचनाकारों का सहयोग प्राप्त हुआ है। आशा है, आप अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों से पहले की भाँति आगे भी अवगत कराते रहेंगे।

संपादक

विषयसूची

सृजनात्मक स्तंभ

लेख

भारत में श्रम कानूनों में बदलाव....	श्री आनंद कुमार	7
श्रमिक और उद्योगपति परस्पर विरोधी नहीं..	डॉ एम एल एस गुप्ता 'आदित्य'	11
श्रमेव जयते	श्री अनिल कुमार प्रसाद	14
इस्पात क्षेत्र में संविदा श्रमिकों की स्थिति	श्री ललन कुमार	17
समाज निर्माण में श्रमिक संघों की भूमिका	श्री पापाजी बारनाल	20
भारत में बाल मजदूरों की दशा	श्री नरेंद्र नाथ 'चट्टान'	23
कामकाजी महिलाओं के भाग्य लिखने...	श्री दिलीप कुमार शर्मा 'अज्ञात'	26
लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों	श्री बिग्गुल्लु बाबु	29
महिला कामगार एवं उनकी समस्याएँ	जनाब ताहिर अलास	32
प्लेसमेंट एजेंसियों पर ही नियंत्रण नहीं....	डॉ सीताराम गुप्ता	34
समाज के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका	डॉ दादूराम शर्मा	42
शब्द संसार भी बहुत जटिल व कठिन है	श्री ओमप्रकाश 'मंजुल'	48
मर्ज बढ़ता गया (व्यंग्य)	डॉ रवि शर्मा 'मधुप'	63

कहानी

उम्मीद (लघुकथा)	डॉ शैल चंद्रा	16
बीस साल बाद	श्रीमती सुधा गोयल	39
शहनाई	श्रीमती अनिता रश्मि	45
डॉगी का बिस्कुट (लघुकथा)	डॉ शैल चंद्रा	47
जुग्गी	श्रीमती नीना कुमारी	60
छतरी वाले अक्षर	श्रीमती रजनी शर्मा 'बस्तरिया'	64
खतरा (लघुकथा)	डॉ शैल चंद्रा	66

बाल-सुगन्ध

बाल कविताएँ	58-59

कविता

श्री राजेंद्र तिवारी की गजलें	54-55
श्री प्रभात कुमार झा की कविताएँ	56-57

मानक स्तंभ

गतिविधियाँ	36-37
संगीत सरिता	38

वी एस पी के बढ़ते कदम

चूर्णित कोयला प्रेषण	51-52

अध्यात्म

सन्यास	53
आओ भाषा सीखें	67-68
जरा गौर करें	69

'सुगन्ध'

आर आई एन एल की अर्द्धवार्षिक गृह-पत्रिका

वर्ष-18 - अंक-1 अप्रैल-सितंबर, 2020

संपादक
ललन कुमार

उप-संपादक
वी सुगुणा
गोपाल

प्रकाशन सहयोग
एम बी पडाल
जी आर ए नायुडु
डॉ जे के एन नाथन

संपादकीय कार्यालय
राजभाषा विभाग
कमरा सं.245, पहला तल
मुख्य प्रशासनिक भवन
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम-530031
मोबाइलः 9989317329 & 9989888457
ई-मेलः vspsugandh@gmail.com

'सुगन्ध' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं उनके प्रति 'राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड प्रबंधन' जिम्मेदार नहीं है।

'सुगन्ध' पत्रिका हमारे संगठन की वेबसाइट 'www.vizagsteel.com' के 'Publications' लिंक में भी उपलब्ध है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 20 जून, 2020 एवं 26 सितंबर, 2020 को संपन्न हुई। इन बैठकों में पिछली तिमाहियों के दौरान संगठन के विभिन्न विभागों में राजभाषा निष्पादन की समीक्षा की गई। समिति के अध्यक्ष महोदय श्री पी के रथ एवं सभी सदस्यों ने वर्ष 2019-20 के लिए राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु संगठन को भारत सरकार के राजभाषा विभाग के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2018-19 के लिए 'सुगन्ध' को प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित किये जाने पर संतुष्टि व्यक्त की। साथ ही फाइलों एवं ई-ऑफीस में टिप्पणियों में हिंदी के प्रयोग को और बढ़ाने का सुझाव दिया। बैठकों में निदेशक गण, कार्यपालक निदेशक गण, महाप्रबंधक गण उपस्थित थे। समिति के सदस्य-सचिव एवं महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री ललन कुमार ने बैठकों का संचालन किया।

भारत में श्रम कानूनों में बदलाव और समाज पर उसका प्रभाव

- श्री आनंद कुमार -

'मैं अकेली इस दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन पानी में लहर तैयार करने हेतु पत्थर जरूर फेंक सकती हूँ।'

- मदर टेरेसा

मदर टेरेसा के इस कथन में व्यक्तिगत भूमिका की अहमियत प्रकट होती है। किसी एक श्रमिक के द्वारा भी किये गये कार्य की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता।

श्रम शब्द का अर्थ होता है 'उत्पादन निहित कार्य', अर्थात विशेष रूप से मजदूरी के लिए श्रमिक द्वारा किया गया शारीरिक कार्य। श्रम कानून का मतलब सरकार द्वारा उद्योगों में श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए बनाए गए कानून हैं। आमतौर पर ये कानून नियोक्ताओं/उद्योगपतियों द्वारा मजदूरी कराने के बदले मजदूरों को मेहनताना अथवा मजदूरी, प्रोत्साहन एवं सुविधाएँ प्रदान करने तथा श्रम की कामकाजी स्थितियों से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। श्रम कानून से सामाजिक न्याय, समानता, समाज कल्याण एवं मानव विकास की गति को संरक्षा मिलती है और राष्ट्र के विकास हेतु उद्योगों की वृद्धि व विकास सुनिश्चित होता है।

भारत में श्रम कानून को मुख्यत: दो व्यापक श्रेणियों में बाँटा गया है। पहला सामूहिक श्रम कानून, जो त्रिपक्षीय है और कर्मचारी, नियोक्ता और श्रमिक संघों के बीच के संबंध को दर्शाता है। दूसरा व्यक्तिगत श्रम कानून, जो नियोक्ता के काम के लिए अनुबंध के माध्यम से नियोक्ता से जुड़े कर्मचारियों के अधिकारों से संबद्ध हैं।

भारत में श्रम कानून का शुरुआती इतिहास:

श्रम और रोजगार से संबंधित कानून को भारत में औद्योगिक कानून के रूप में भी जाना जाता है। भारत में श्रम कानून का इतिहास ब्रिटिश उपनिवेश से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विधान, मुख्यत: अंग्रेज नियोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए थे। ये शुरुआती कानून फैक्ट्रीज एक्ट के रूप में सन् 1883 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए लागू किये गये थे। उन दिनों निर्यात बाजार में भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्द्धा को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत में श्रम को महँगा बनाना चाहती थी, ताकि ब्रिटिश वस्त्रों को ज्यादा मूल्य मिल सके, जिसके मुख्य बिंदु आठ घंटे का काम, बाल श्रम का उन्मूलन और रात में महिलाओं के काम पर प्रतिबंध तथा आठ घंटे से परे काम के लिए ओवरटाइम मजदूरी की शुरुआत इत्यादि थे।

इस प्रकार भारत में प्रथम श्रम कानून फैक्ट्रीज एक्ट के रूप में लागू हुआ। उसके बाद विभिन्न नियोक्ताओं और कामगारों के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए अन्य अधिनियम भी बनाए गए, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों पर लगाम लगाते हुए हड़ताल और तालाबंदी को रोकना था। लेकिन उसमें विवादों को सुलझाने के लिए कोई मशीनरी नहीं बनाई गई। इससे ब्रिटिश अधिकारियों को मजदूरों पर अत्याचार करने के अलिखित अधिकार मिल गए। उस समय ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने भारतीय मजदूरों की खरीद- फरोख्त अथवा उन्हें बहला-फुसला कर या फिर जबरन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भेजना शुरू कर दिया। इसी के परिणामस्वरूप ब्रिटिश उपनिवेश के कई देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इससे भारत की सामाजिक संरचना भी प्रभावित हुई। उन्हें परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इससे उनकी कमाई बढ़ी और लोगों ने उद्योगों में काम करने का कौशल सीखना शुरु कर दिया।

स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रम कानून:

औपनिवेशिक काल के समापन के बाद स्वतंत्र भारत में औपनिवेशिक कानून में पर्याप्त संशोधन की जरूरत पड़ी, जिससे श्रम और पूँजी के बीच एक स्पष्ट साझेदारी हो। श्रमिकों के दोहन को रोका जा सके, उनके विकास के साथ देश का चहुँमुखी विकास हो, इसके लिए सर्वसम्मति से दिसंबर 1947 के एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में यह सहमति बनी कि निर्बाध और उच्चतर उत्पादन हेतु

श्रमिकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाए और बदले में उन्हें उचित वेतन व कार्य की बेहतर व्यवस्था एवं पूँजी मुहैय्या कराई जाए, ताकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए उत्पादन में वृद्धि हो। इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 01.04.1947 से लागू हुआ।

भारत के संविधान में श्रम कानून को विशेष महत्व दिया गया है। संविधान के अध्याय-3 (अनुच्छेद 16,19,23 और 24) और अध्याय-4 (अनुच्छेद 39,41,42) में इसे मौलिक श्रम अधिकारों की एक श्रृंखला के रूप में शामिल किया गया, जिसमें विशेष रूप से श्रमिक संघ में शामिल होने और कार्रवाई करने का अधिकार, कार्य के मामले में समानता का सिद्धांत और सभ्य कामकाजी परिस्थितियों के साथ कर्मचारी को एक सुदृढ़ कर्मचारी बनाने की आकांक्षा तथा नागरिकों के अधिकारों के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। श्रम कानूनों को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। संघीय प्रणाली में राज्यों एवं केंद्र सरकारें समय-समय पर जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव एवं नये नियम लागू करती रहती हैं। आज की तारीख में लगभग 150 से ज्यादा श्रम कानून केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाये गये हैं।

भारत में श्रमनीति की स्थिति विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप विकसित हुई है एवं समय के अनुसार उसमें सकारात्मक बदलाव किए जाते रहे हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं व औद्योगिक शांति तथा श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य बिंदुओं जैसे सार्वजनिक और निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु रचनात्मक उपाय करना, नई नौकरियाँ पैदा करना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभार्थ नई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करना, कमजोर श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए धन का आबंटन करना एवं कर्मचारी-नियोक्ता संबंध आदि को दृष्टि में रखकर यह श्रमनीति बनाई जाती रही है।

सरकारों ने समय-समय पर श्रम कानून में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु विशेषज्ञों की राय, श्रम विभाग के कुशल कामकाज की निगरानी, औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन, बाल श्रम अधिनियम को आक्रामक रूप से लागू करने एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत सुधार किए हैं और अधिक श्रमों को कानून के दायरे में लाना सरकारों की प्राथमिकता रही है। इसके लिए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने कई ऐसे कार्यालय स्थापित किए हैं, जिससे श्रमिकों को न्याय मिले, जैसे:

1. मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय:

यह एक संलग्न कार्यालय है, जिसे केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यत: यह औद्योगिक विवादों को सुलझाने व श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

2. श्रम ब्यूरो:

यह भी एक संलग्न कार्यालय है। चुने गए केंद्रों और श्रमिक वर्ग मूल्य सूचकांक संख्याओं के निर्माण और रखरखाव, श्रम सांख्यिकी का संग्रह, संकलन और प्रसार, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सी पी आई नंबरों का निर्धारण, औद्योगिक श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों से संबंधित आँकड़े, विशिष्ट समस्याओं में श्रम की नीति के प्रकाशन की तारीख और आवश्यक जानकारी के साथ श्रम के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट पर्चे तथा विवरणिका प्रकाशित करना इसकी जिम्मेदारी होती है।

3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम:

यह स्वायत्त वैधानिक संगठन है, जो ई एस आई अधिनियम के तहत विभिन्न लाभों का प्रबंधन करता है, जैसे बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, आश्रितों के खर्च, अंतिम संस्कार लाभ जैसे नकद लाभ और चिकित्सा लाभ। इसके द्वारा बीमित कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया गया है।

4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन:

यह एक स्वायत्त वैधानिक संगठन है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधानों व अधिनियमों के तहत विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, पेंशन योजना आदि इससे संचालित होते हैं।

5 . श्रम न्यायाधिकरण:

कई औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत काम कर रहे हैं।

6. मध्यस्थता बोर्ड:

यह केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता का काम करता है।

भारत में श्रम संरचना:

संगठित क्षेत्र:

यह अनुज्ञप्ति प्राप्त संगठनों को संदर्भित करता है, जो पंजीकृत है और जीएसटी का भुगतान करता है। इनमें सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियाँ निगमित या औपचारिक रूप से पंजीकृत संस्थाएँ, निगम, कारखाने, शॉपिंग मॉल, होटल और बड़े व्यवसाय शामिल हैं।

असंगठित क्षेत्र:

ये सभी गैर-लाइसेंसित, स्व-नियोजित या गैर-पंजीकृत आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करते हैं, जैसे कि सामान्य स्टोर, हस्तशिल्प और हथकरघा श्रमिक, ग्रामीण व्यापारी, किसान, आदि। भारत की 94% से अधिक कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र का

हिस्सा है। श्रम मंत्रालय ने **2008** की अपनी रिपोर्ट में भारत में असंगठित श्रम को चार समूहों में वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण ने भारत की असंगठित श्रम शक्ति को व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से संकटग्रस्त श्रेणियों और सेवा श्रेणियों में वर्गीकृत किया था।

1. असंगठित व्यावसायिक समूहों में छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, बटाईदार, मछुआरे, पशुपालन, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, बुनकर, कारीगर, नमक श्रमिक, ईंट भट्ठों में काम करनेवाले, पत्थर की खदान, आरा मिल में काम करनेवाले और तेल मिल में काम करनेवाले मजदूर शामिल हैं।
2. रोजगार की प्रकृति पर आधारित एक अलग श्रेणी में संलग्न कृषि मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक, अनुबंध और आकस्मिक मजदूर शामिल हैं।
3. संकटग्रस्त असंगठित क्षेत्र को समर्पित एक और अलग श्रेणी में ताड़ी निकालने वाले, सिर पर मैला ढोने वाले, पशु चालित वाहनों के चालक, लोडर और अनलोडर्स शामिल है।
4. असंगठित श्रमिक श्रेणी में दाइयों, घरेलू कामगारों, नाइयों, सब्जी और फल विक्रेताओं, अखबार विक्रेताओं, फुटपाथ विक्रेताओं, हाथ की गाड़ी चलाने वालों और असंगठित खुदरा विक्रेताओं जैसे सेवा कर्मचारी शामिल हैं।

असंगठित क्षेत्र की उत्पादकता कम है और उन्हें कम मजदूरी मिलती है। भारत में गरीबी की दर उन परिवारों में काफी अधिक बताई गई है, जहाँ सभी कामकाजी उम्र के सदस्यों ने अपने पूरे जीवन में केवल असंगठित क्षेत्र में काम किया है। कृषि, डायरी, बागवानी और संबंधित व्यवसाय अकेले **52%** श्रमिकों को रोजगार देते हैं।

प्रवासी श्रमिक:

हमारे देश में लगभग **30** मिलियन श्रमिक प्रवासी श्रमिक हैं। उनमें से अधिकांश कृषि, असंगठित विनिर्माण, असंगठित व्यापार/खुदरा आदि में कार्यरत हैं।

मुख्य भारतीय श्रम कानून एवं उसका समाज पर प्रभाव:

स्वतंत्रता के बाद यह काफी हद तक महसूस किया गया था कि श्रमिकों की ओर से आत्मनिर्भरता आधारित श्रम नीति पर जोर दिया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक विकासशील देश, भारत के पास हमेशा विकास की चुनौती थी, जो रोजगार और सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने के माध्यम से गरीब जनता को लाभान्वित करें। स्वतंत्रता के समय भारत ने एक साथ धन सृजन और पुनर्वितरण का दोहरा काम किया। इसके लिए उन्हें निवेश की आवश्यकता थी, जिसे विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा भी करनी थी। कम लागत और सस्ते श्रम का फायदा देखते हुए घरेलू या विदेशी निवेश को आमंत्रित करना था।

शुरुआती चरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना पर जोर दिया, जिससे उद्योग की स्थापना हो और लोगों को रोजगार मिले। बड़े उद्योग जैसे इस्पात, कलपुर्जा, अभियांत्रिकी जिसमें रोजगार के ज्यादा अवसर थे, उनका निर्माण किया गया। चूँकि भारत में रोजगार का मुख्य स्रोत कृषि था, उद्योगों के निर्माण से रोजगार के नये अवसर उत्पन्न हुए, जिससे सामाजिक परिस्थिति में बदलाव आना शुरु हुआ। शुरुआती दिनों में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अधिनियम में श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रख कर कई बदलाव किए गए, जिसका सीधा असर समाज पर पड़ा। सुरक्षा की भावना बढ़ी। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के अवसर मिलने लगे। समाज के वंचित वर्ग को बेहतर रोजगार मिलने लगे, जिससे समाजिक समानता बढ़ी।

भारतीय श्रम सुरक्षा कानून, कल्याणकारी राज्य की बुनियादी विशेषताओं में से एक है और इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना है। ऐसे कानूनों का मुख्य उद्देश्य श्रम के लिए अधिक, सुरक्षित और पुरस्कृत नौकरियों का निर्माण करना है।

इसमें न्यूनतम मजदूरी काम करने की स्थिति, ओवरटाइम नियंत्रण, अनुचित छंटनी के खिलाफ अधिकार, श्रमिक संघों को मजबूत करना, कार्यस्थल पर दुर्घटना के मामले में मुआवजे का अधिकार होना, कार्यकर्ता सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, व्यक्तिगत प्रगति, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं। प्रतिष्ठित और सम्मानजनक नौकरी आदि मुद्दे, श्रमिकों और उद्योगों के विकास के बिंदु आदि शामिल हैं।

आगे कुछ प्रमुख श्रम कानूनों का वर्णन है, जो समाज पर व्यापक असर डालते हैं:

1. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, **1923**/संशोधन **2017**
2. ट्रेड यूनियन अधिनियम **1926**/संशोधन **2017**
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम **1936** संशोधन **2017**
4. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम
5. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम
6. समान पारिश्रामिक अधिनियम
7. मातृत्व लाभ अधिनियम, **1961**
8. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
9. संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, **1970**
   1950 से **1990** तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रोजगार

देनेवाले प्रमुख संगठन हुआ करते थे। लेकिन 1990 के बाद आए उदारीकरण से रोजगार के अवसर पैदा हुए। निजी कंपनियों की समान भागीदारी से भी रोजगार सृजन के अवसर बढ़े हैं। मशीनों व प्रौद्योगिकी के उपयोग से श्रमिकों की उद्योगों पर निर्भरता कम हुई है। इसलिए कुशल श्रमिकों की माँग बढ़ी है और यह माँग असंगठित क्षेत्र में भी बढ़ी है।

प्रौद्योगिकी आधारित नौकरियों की माँग बढ़ी, जिसने भारत की सामाजिक संरचना को बदल दिया है। ग्रामीण आबादी शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित होने लगी है। नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पड़ा है। बदलती आवश्यकता के अनुसार भारतीय श्रम कानून में भी बदलाव किए गए हैं और इससे समाज की सोच में भी बदलाव आया है। बंधुआ मजदूरी, सिर पर मैला उठाने की प्रथा, बाल श्रम निरोधक, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न आदि को रोकने के कानूनों को सख्ती से लागू किया जाने लगा। हाल के समय में सरकार ने श्रम कानून में कुछ बदलाव किया है जैसे:

1) प्रशिक्षु प्रणाली में ट्रेड वर्कर, इंजीनियर (डिप्लोमा व स्नातक दोनों), 10+2 उत्तीर्ण व्यावसायिक छात्रों को अपने कौशल को बढ़ाने हेतु उद्योगों में प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। तत्पश्चात वे नियमित श्रमिक बनते हैं। इसके लिए उन्हें वजीफा भी मिलता है। अब इंजीनियरिंग के अलावा अन्य छात्र भी अप्रेंटिसशिप की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 500 नए ट्रेड जोड़े गए हैं।
2) नए कानून के अनुसार गैर-अनुपालन के लिए अब नियोक्ता को जेल नहीं भेजा जा सकता है।
3) नया कानून ओवरटाइम, काम करने की बेहतर स्थिति, महिलाओं को रात्रि पारी में काम करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय और परिवहन सुविधा हो।
4) जनता को दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन की सुविधा प्रदान की गई है। अब स्व-प्रमाणन विधि द्वारा कंप्यूटर द्वारा चयनित संगठनों, नियोक्ताओं के माध्यम से अनुपालन की जाँच अनियमित रूप से की जाएगी।
5) यह निरीक्षण प्रणाली को आसान व पारदर्शी बनाकर 'इंस्पेक्टर राज' को समाप्त करने की पहल है। इससे बेहतर औद्योगिक माहौल बनाने में सहयोग मिलेगा।
6) सरकार द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन से संबंधित प्रपत्रों की संख्या को कम करने के प्रयास किए गए हैं। इससे नियोक्ताओं के काम आसान होंगे।
7) कौशल विकास को 'श्रमेव जयते' के तहत मजबूत बनाया गया है। यह 'मेक इन इंडिया' के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और इसका उद्देश्य वैश्विक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आनेवाले वर्षों में कुशल श्रमबल प्रदान कर भारत के लिए एक अवसर तैयार करना है।
8) श्रमिकों की क्षमता के विकास हेतु सामाजिक सुरक्षा नेट तैयार किया गया है, ताकि वे मंदी या छँटनी का सामना कर सकें, उन्हें बीमा, पेंशन, भविष्य निधि इत्यादि जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों से जोड़ने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :

औद्योगिकीकरण के प्रसार, मजदूरी अर्जकों के स्थायी वर्ग में वृद्धि, विभिन्न राज्यों के श्रमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, संघों व श्रमिकों के बीच शिक्षा का प्रसार, प्रबंधकों और नियोजकों के परमाधिकारों में कमी तथा कई अन्य कारणों से श्रम विधान की व्यापकता बढ़ी है। श्रम विधानों की व्यापकता और उनके बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को एक अलग श्रेणी में रखना उपयुक्त होगा। सिद्धांतत: श्रम विधान में व्यक्तियों या उनके समूहों को श्रमिक या उनके समूह के रूप में देखा जाता है। आधुनिक श्रम विधान के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे मजदूरी की मात्रा, मजदूरी का भुगतान, मजदूरी से कटौतियाँ, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, साप्ताहिक अवकाश, सवेतन छुट्टी, कार्य की भौतिक दशाएँ, श्रम संघ, सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, स्थायी आदेश, नियोजन की शर्तें, बोनस, कर्मकार क्षतिपूर्ति, प्रसूति हित लाभ एवं कल्याण निधि आदि जिस पर विशेष विचार जरूरी है।

भारत में 2030 तक काफी नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी कानूनों को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है, ताकि अर्थव्यवस्था मानव संसाधन के नए प्रवाह को अवशोषित कर सके। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग में पर्याप्त बदलाव होगा।

जब श्रमिकों का विकास होगा,
तब देश में तरक्की का प्रकाश होगा।

- उप महा प्रबंधक (विपणन)
शाखा बिक्री कार्यालय
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
इंदौर
मोबाइल: +91 9694011177

श्रमिक और उद्योगपति परस्पर विरोधी नहीं, पूरक हैं।

- डॉ एम एल एस गुप्ता 'आदित्य'-

भारत में वामपंथी विचारधारा ने कालांतर में श्रमिकों को संगठित किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया। वहीं लोकतंत्र के उदय ने भी कल्याणकारी शासन के अंतर्गत श्रमिकों के हितों की ओर विशेष ध्यान दिया। इसके चलते भारत में श्रमिकों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। संगठित श्रमिक संगठनों के प्रयासों से कारखाना मालिकों द्वारा उनके आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य से जुड़ी अनेक समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया और स्वतंत्रता के पश्चात उनकी स्थिति में भी सुधार हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जिस पर अधिक विचार-विमर्श नहीं हो सका है। इस विचारधारा की शोषक और शोषित की परंपरागत मान्यता के चलते श्रमिक और मालिक दोनों एक दूसरे के विरोधी के रूप में प्रतिपादित हुए। एक ऐसा दौर था, जब पूरे देश में एक ऐसी भावना ने जन्म लिया, जहाँ हर मिल या कारखाने आदि का मालिक, वहाँ के श्रमिकों का संरक्षक या हितैषी न होकर विरोधी है। इसके चलते दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ती गई। हर श्रमिक एक शोषित तथा किसी उद्यम का मालिक या प्रबंधक वर्ग शोषक के रूप में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देने लगे। इसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में श्रमिक और मालिक सतत् संघर्ष की मुद्रा में खड़े दिखाई देने लगे। इसका देश के औद्योगिक वातावरण पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

श्रमिक-आंदोलन एक ऐसी राह पर चल पड़ा, जहाँ मालिकों के विरुद्ध संघर्ष करना एक आवश्यक और स्थाई गतिविधि बन गई। अगर मजदूर संगठन हैं तो उनके लिए हड़ताल और मालिकों और प्रवंधन के विरुद्ध नारेबाजी न हो तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगता था। इस प्रकार श्रमिक आंदोलन श्रमिकों का आंदोलन न रहकर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों अथवा प्रवंधन के विरुद्ध विरोध के स्थाई स्वर मुखरित करने और स्थाई संघर्ष का जरिया बनता चला गया। ट्रेड-यूनियनों के माध्यम से चलनेवाली राजनीति ने भी श्रमिकों को मोहरा बना कर अपना खूब उल्लू सीधा किया। विशेष विचारधारा से उपजे इस श्रमिक आंदोलन को सीढ़ी बना कर अनेक लोग सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए काफी ऊपर तक पहुँचे। इससे देश के कई बड़े-बड़े नेता भी निकले। आगे चलकर यह आंदोलन श्रमिक आंदोलन के माध्यम से सत्ता तक पहुँचने का माध्यम बनता चला गया। इससे स्थिति कहीं न कहीं और बदतर होती चली गई। राजनैतिक सत्ता और लाभ-लोभ के समीकरणों के चलते यह और अधिक आवश्यक होता चला गया कि मालिक-श्रमिक संघर्ष को धार दी जाए।

देश में एक पूरा दौर ऐसा रहा है, जब आए-दिन कारखानों के बाहर लाल झंडे, काली पट्टी, हड़ताल, मोर्चा, जुलूस और बड़ी-बड़ी जन सभाएँ श्रमिकों को ललकारती थीं। आए-दिन श्रमिक संघर्ष में पुलिस के वंदोबस्त होते थे। बड़े-बड़े नेता आकर उस आंदोलन की आग में अपनी राजनीति की रोटियाँ सेंकते थे। ऐसी स्थितियाँ उन राज्यों में अधिक थीं, जहाँ विशेष विचारधारा का प्रभाव अधिक था। लेकिन देखने की बात तो यह है कि इस प्रकार श्रमिकों और मालिक के बीच विरोध, अविश्वास, तनाव जैसे शाश्वत संघर्ष से मजदूरों को कितना लाभ हुआ और कितनी हानि?

इसके लिए सबसे पहले उन राज्यों पर नजर डालनी पड़ेगी, जहाँ राज्य की पूरी राजनीति श्रमिक आंदोलन के माध्यम से संचालित होती रही। जहाँ आए-दिन मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष होते रहे। इस परिप्रेक्ष्य में ऐसे राज्यों का उदाहरण लिया जा सकता है, जहाँ हड़ताल की राजनीति के चलते उद्योग-धंधे, कारखाने आदि बंद होते गए। जिन मिलों में हजारों मजदूर काम करते थे, आए-दिन के संघर्ष के चलते और परिणामस्वरूप निरंतर घाटे के चलते उन पर ताले लटकने लगे। श्रमिक आंदोलन से उत्पन्न समस्याओं के कारण उद्योगपतियों ने श्रमिकों के बजाय मशीनों का अधिक सहारा लेने का निर्णय लिया। इसके चलते देश में उद्योग श्रम प्रधान के बजाय मशीन प्रधान होते चले गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग उन कारखानों में काम कर रहे थे, वे भी बेरोजगार होते गए। कारखाना मालिकों आदि ने ऐसे राज्यों की ओर रुख किया, जहाँ इस प्रकार की औद्योगिक अशांति न थी या कम थी।

यह स्वभाविक भी था कि करोड़ों रुपए का निवेश, व्यक्तिगत पूँजी के साथ-साथ उधार की पूँजी और बैंकों आदि से कर्ज लेकर, जोखिम उठाकर कोई उद्यमी ऐसे राज्य में कारखाना क्यों लगाएगा, जहाँ लाभ के बजाय हानि हो। आए-दिन औद्योगिक उपद्रवों से निपटना पड़े, रोज की मारामारी और सिर-फुटव्वल हो। कई राज्यों में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त माफियाओं ने भी उद्योगों को पलायन के लिए विवश किया। परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों ने ऐसे राज्यों से पलायन किया और आज भी ऐसे राज्य पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते हैं। आज भी यहाँ का श्रमिक बेरोजगार है। आज भी यहाँ का श्रमिक अन्य राज्यों के श्रमिक की तुलना में पिछड़ा और गरीब है। इन राज्यों का श्रमिक रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाने को विवश है।

स्थिति यह है कि ऐसे राज्य जहाँ आंदोलनों की आग में झुलसते उद्योगों ने दम तोड़ा, अब वहाँ के श्रमिक रोजी-रोटी के लिए ऐसे राज्यों की तरफ पलायन को मजबूर हुए, जहाँ ऐसे आंदोलनों का ज्यादा असर नहीं था। जहाँ मालिक और श्रमिकों के बीच बेहतर सौहार्द्र और तालमेल से कारखाने मुनाफे में चल रहे थे। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में पिछले **30-35** वर्षों में कार्य-संस्कृति में काफी सुधार आया, जिसके कारण यहाँ पर उद्योग-धंधे काफी फले-फूले। इस कारण उन राज्यों से जहाँ उद्योग-धंधे बंद हुए थे, मजदूरों ने ऐसे राज्यों का रुख किया।

साम्यवादी व समाजवादी विचारधारा का एक आयाम यह भी रहा कि सभी कारखाने और उद्यम निजी क्षेत्र के बजाय सरकारी स्वामित्व में होने चाहिए। सैद्धांतिक तौर पर यह बात जितनी अच्छी और सच्ची लगती थी, उतनी थी नहीं। सरकारी क्षेत्र में चलने वाले कारखानों का क्या हश्र होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता में तो सरकारी-व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता में टिक पाना और कठिन होता है। यही कारण है कि उदारीकरण की नीति के पश्चात जब विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार समाप्त किया गया तो अनेक नवरत्न सरकारी कंपनियाँ भी घाटे की तरफ बढ़ते हुए खत्म होने के कगार पर हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में तो वही बचेगा, जहाँ कम लागत और अधिक उत्पादकता होगी।

तमाम व्यवस्थाओं, कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद किसी भी कारखाने के श्रमिक तभी सुखी व संपन्न रह सकते हैं, जब कोई प्रतिष्ठान/कारखाना अच्छे से चले, उसमें मुनाफा हो। यदि कारखाने में मुनाफा ही न होगा, घाटे में चलेगा तो फिर किसका भला होगा? श्रमिक आंदोलन के नेताओं ने कभी भी श्रमिकों को ऐसा सोचने ही नहीं दिया। श्रमिक आंदोलन की तह में जाएँ तो हम पाते हैं कि ज्यादातर श्रमिक नेताओं को न तो उद्योगपतियों और उद्योगों के हित की चिंता थी और न ही श्रमिकों के हित की। उन्होंने केवल निजी हितों को साधने के लिए दोनों का इस्तेमाल किया। आज भी स्थितियाँ कुछ ज्यादा बदली नहीं हैं।

याद कीजिए वे दिन जब अहमदाबाद और मुंबई वस्त्र उद्योग के एक बहुत बड़े केंद्र थे। इन मिलों में कई-कई हजार कामगार काम करते थे। बड़े-बड़े भोजनालय होते थे, जिनमें हजारों श्रमिक एक साथ खाना खाते थे। मुंबई के कई मिलों का कपड़ा देश में ही नहीं, दुनिया में जाना-माना था। लेकिन जब सरकार ने ऐसे सैकड़ों कारखानों का अधिग्रहण कर इन्हें नेशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बनाया तो उसके बाद अच्छे-खासे चल रहे ये कपड़ा मिल धीरे-धीरे बीमार होते चले गए। इनमें काम कर रहे हजारों श्रमिक धीरे-धीरे बेरोजगार हो गए, या जैसे-तैसे सरकारी सहायता से कुछ कार्मिकों को वेतन आदि उपलब्ध करवाते रहे हैं। अब तो हालात ऐसे भी हैं कि सरकार यहाँ के बचे-खुचे कुछ थोड़े से श्रमिकों को वेतन आदि उपलब्ध करवा रही है। ज्यादातर मिल बंद हो चुके हैं, कुछ दिन गिन रहे हैं। कभी मुंबई के वैभव की पहचान बने ये मिल अब इतिहास बन चुके हैं।

आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ साम्यवाद के प्रभाव से उद्योगों में हड़ताल-तालाबंदी आदि के कारण भारत में उत्पादकता को भारी नुकसान होता है, वहीं विश्व के सब से बड़े साम्यवादी देश चीन में इसी विचारधारा के बावजूद कभी हड़ताल-तालाबंदी और हिंसा नहीं होती। वहाँ के श्रमिकों की उत्पादकता व गुणवत्ता भारतीय श्रमिकों से बहुत अधिक है, जिसके कारण उनके सामान की कीमत कम होती है और विश्व बाजार में उनकी खासी माँग है। मेरे एक परिचित, जो अनेक बार चीन जाते रहे हैं, वे बताते हैं कि चीन में मजदूरों से **12** घंटे तक काम लिया जाता है। बहुत कम वेतन मिलता है और कार्य की स्थितियाँ भी बदतर हैं। इतना काम करने के बाद उनके लिए रेलवे स्लीपर की तरह सोने की व्यवस्था होती है, जहाँ वे बैठ भी नहीं सकते। लेकिन वहाँ आंदोलन तो दूर शिकायत तक करने का अधिकार नहीं है। वहाँ के मुकाबले भारतीय मजदूरों के काम के घंटे काफी कम हैं, वे उनकी तुलना में बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। एक ही विचारधारा के दो विपरीत प्रभावों का क्या कारण है? कहीं यह वैश्विक राजनीति का कोई औजार तो नहीं? इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

इसका अर्थ यह कतई नहीं लगाना चाहिए कि श्रमिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने में श्रमिक संगठनों और श्रमिक आंदोलनों की कोई भूमिका नहीं है? समस्या की जड़ तो उस विचारधारा में है, जो श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच परस्पर सौहार्द्र के बजाय शत्रुता के बीज रोपित करती है। यदि थोड़ी

गहराई में जायें तो हम यह पाते हैं कि ऐसे देशों और ऐसे राज्यों में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर है, जहाँ श्रमिकों और मालिकों के बीच विरोध की भावना न होकर सामंजस्य तथा सद्‌भाव की भावना है, जिम्मेदारी का भाव है।

ऐसे राज्यों में रोजगार की स्थिति कहीं बेहतर है, जहाँ औद्योगिक वातावरण और विधि व्यवस्था अच्छी है। अनेक राज्यों के श्रमिक भी रोजगार के लिए अपना राज्य छोड़ कर ऐसे राज्यों में जाते हैं। हालांकि ऐसे राज्यों में भी क्षेत्रवाद की राजनीति के चलते समय-समय पर औद्योगिक वातावरण दूषित होता रहा है। यह श्रमिकों, उद्योग पतियों और राज्य के विकास सबके प्रतिकूल है। लेकिन सत्ता की राजनीति और राजनैतिक स्वार्थ इन बातों की परवाह कब करते हैं। श्रमिकों को ऐसे तत्वों से विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी स्वार्थवश उनका इस्तेमाल न हो जाय।

भारत में कार्य-संस्कृति को बिगाड़ने में राजनीति की विशेष भूमिका रही है। शोषक और शोषित के सिद्धांत जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा राजनैतिक अवसरवादिता के चलते हुए श्रमिक को आपस में तथा मालिकों से लड़वाकर न जाने कितने नेताओं ने श्रमिकों के कंधों पर चढ़कर कई आर्थिक व राजनैतिक मंजिलें हासिल कीं। लेकिन इनके चलते न केवल श्रमिकों का नुकसान हुआ, बल्कि देश के विकास पर भी काफी प्रतिकूल असर पड़ा।

यहाँ इस बात पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि किसी भी उद्योग या व्यवसाय का मुख्य आधार है लाभ। विचार कीजिए अगर आप कहीं से कुछ पैसे उधार लेकर छोटी-मोटी कोई दूकान लगायें और उसमें फायदे के बजाय नुकसान होने लगे तो आप वह दूकान कितने दिन तक चलायेंगे? जाहिर है कोई भी व्यक्ति यही उत्तर देगा कि जब फायदा नहीं हो रहा तो दूकान बंद ही करनी पड़ेगी। भले ही उस दूकान पर काम करनेवाला कोई सहायक बेरोजगार हो जाए या उस दूकान पर सामान की आपूर्ति करने वालों को नुकसान हो या ग्राहकों को परेशानी, पर आप दूकान तो नहीं चलायेंगे। विचार का यह एक महत्वपूर्ण नजरिया है। कोई छोटा-मोटा काम करने वाला व्यक्ति हो या कोई बड़ा उद्योगपति, हर व्यक्ति इसलिए कोई उद्योग-धंधा, दूकान या कारखाना चलाता है कि उसे लाभ हो। इसलिए अधिकांशत: वह यह प्रयास करता है कि श्रमिकों को यथासंभव खुश रखा जाए। क्योंकि श्रमिकों को खुश रखने में ही उसकी खुशी है। श्रमिकों के लाभ में ही उसका भी लाभ है।

इसलिए किसी उद्योगपति से यह उम्मीद करना कि वह श्रमिकों के लाभ के लिए घाटा उठा कर भी उसे चलाता ही रहेगा, यह व्यावहारिक नहीं है। कुछ समय तक तो ऐसा किया जा सकता है, लंबे समय तक नहीं। स्वाभाविक रूप से कोई भी मिल या कारखाना मालिक चाहता है कि उसे लाभ हो। श्रमिकों के लाभ में ही उसका भी लाभ है। दुनिया में कोई भी निजी प्रतिष्ठान या कारखाना घाटे में नहीं चल सकता। अपेक्षित मुनाफा नहीं होगा तो मालिक भी ज्यादा दिन तक उस कारखाने को नहीं चला पाएगा।

करोड़ों-अरबों की पूँजी का जोखिम लेने वाला उद्योगपति कभी ऐसे क्षेत्र में कारखाना नहीं लगाना चाहेगा, जहाँ अशांति हो, तोड़फोड़ हो। राजनीति के चलते श्रमिकों के साथ अनवरत संघर्ष की आशंका हो। निश्चित रूप से ऐसे माहौल में श्रमिकों को कोई लाभ होगा, इसकी दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं होती। ऐसे वातावरण में सर्वाधिक नुकसान श्रमिकों का ही होता है। कल-कारखाने बंद होने या उनके विस्थापन का दोष भी श्रमिकों को ही भुगतना पड़ता है। मैंने देखा है कि किस प्रकार राजनेताओं, ट्रेड यूनियन नेताओं की मिली भगत से महाराष्ट्र, गुजरात में अनेक उद्योग बंद हुए।

आदर्श स्थिति तो यह है कि शासन द्वारा श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियम-कानून बनाये जायें, जिससे उनका शोषण न हो सके। साथ ही यह भी कि उन कानूनों से मिल और कारखाना मालिकों को अपने प्रतिष्ठान ठीक प्रकार चलाने में भी परेशानी न हो। यदि मिल, कारखाने, उद्योग भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्यम मुनाफे में चलेंगे तो वे श्रमिकों को बेहतर वेतन और सुविधाएँ भी दे पायेंगे। यदि कोई इस मूल सिद्धांत की उपेक्षा करेगा तो नुकसान में सदैव श्रमिक ही रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

इसलिए देश में हर कार्मिक और हर श्रमिक को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। हर श्रमिक को अपने कारखाने, कंपनी या प्रतिष्ठान के हित में निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए। प्रतिष्ठानों आदि के मालिकों को भी यह चाहिए कि वे केवल मुनाफे के बारे में न सोचकर उस प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों का भी एक अभिभावक की तरह पूरा ध्यान रखें। इस प्रकार सामंजस्य, सहयोग और अपनत्व की भावना से सब का लाभ निश्चित है। जब देश में इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न होगा, तब न केवल श्रमिकों का हित सधेगा, उनका कल्याण होगा, बल्कि देश की अर्थ-व्यवस्था भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, जिससे देश के हर नागरिक का लाभ होगा। इस प्रकार देश प्रगति पथ पर बढ़ कर विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकेगा।

- ए-104, चंद्रेश हाइट्स, जैसल पार्क,
भयंदर (पूर्व),
जिला-ठाणे, महाराष्ट्र-401105
ईमेल: mlgdd123@gmail.com
मोबाइल: +91 09869374603

श्रमेव जयते

- श्री अनिल कुमार प्रसाद -

'श्रम' शब्द का सामान्य अर्थ है, शारीरिक क्षमता से संपन्न कोई कार्य। परंतु अर्थशास्त्र में श्रम से शारीरिक कार्य के साथ-साथ मानसिक कार्य भी अभिप्रेत है। वर्तमान परिवेश में जहाँ पैसा ही सभी प्रकार के विकास का पैमाना बना हुआ है, श्रम से किसी मौद्रिक अर्जन हेतु किया गया शारीरिक व मानसिक कार्य ही अभिप्रेत है। इसमें आनंद प्राप्ति के लिए किया गया श्रम निहित नहीं है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे को पालना, एक शिक्षक का अपने बच्चे को पढ़ाना, एक चिकित्सक का अपनी पत्नी की चिकित्सा करना। क्योंकि ये कार्य सिर्फ अर्जन के उद्देश्य से नहीं किये जाते।

एस ई थामस के अनुसार 'श्रम शरीर या मन के सभी मानवीय प्रयासों को दर्शाता है, जो कि किसी परिणाम की अपेक्षा से किये जाते हैं।' प्रोफेसर मार्शल के अनुसार 'श्रम चाहे मानसिक हो अथवा शारीरिक, तभी पूर्ण माना जाता है, जब किसी लक्ष्य-प्राप्ति के साथ-साथ उसमें कोई आय प्राप्ति भी जुड़ी हो।'

किसी श्रमिक का 'श्रम' उसका अपरिहार्य अंग माना जाता है। पूँजी, भूमि, उत्पादन के सभी साधन आदि का हस्तांतरण संभव है। लेकिन श्रमिक के श्रम का हस्तांतरण संभव नहीं है। श्रम का संचयन भी संभव नहीं है। उसका न ही संग्रहण किया जा सकता है और न ही नियंत्रण। किसी श्रमिक का श्रम तब व्यर्थ माना जाता है, जब वह उपयोगी न हो।

श्रम की गतिशीलता कम है। लेकिन श्रम ही पूँजी का निर्माण करता है। फिर पूँजी एवं श्रम के संयोग से रोजगार के नये अवसर बनते हैं, जिससे समाज व देश का विकास संभव है। वर्तमान में भारत ऐसा देश है, जहाँ की युवा शक्ति अधिक है। युवा शक्ति, अर्थात श्रम-शक्ति। इसी के दृष्टिगत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कई संबोधनों में इस बात का उल्लेख किया है कि 'भारत दुनिया का सबसे युवा देश है।' अर्थात विश्व के सभी देशों की अपेक्षा भारत मजबूत श्रम-शक्ति वाला देश है। ऐसे में हम क्यों नहीं देखें 'विश्व-शक्ति बनने के सपने।' जबकि हमारा पड़ोसी देश चीन बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। हम इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं।

वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के चपेट में है। इस महामारी ने विश्व को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी प्रकार से संकट में डाल दिया है। उत्पादन, खपत, श्रम ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जो इससे प्रभावित न हुआ हो। श्रम एवं श्रमिक दोनों पर इस महामारी का ऐसा प्रभाव पड़ा, जिससे श्रमिकों को बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ा। श्रमिकों का इतनी बड़ी संख्या में पलायन देश के विभाजन के दौरान भी शायद ही हुआ हो। लेकिन कोरोना महामारी ने पलायन के सभी पूर्व रिकार्ड तोड़ दिये।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। लेकिन श्रमिकों के मामले में हुआ यह कि उन्हें पहले कारखाना मालिकों ने काम से निकाल दिया, जिससे उनके लिए रोजी-रोटी का जरिया बंद हो गया। दूसरा, मकान मालिकों ने उन्हें इसलिए घर से निकाल दिया कि उनकी वजह से कहीं कोरोना संक्रमण न बढ़े। ऐसे में श्रमिक आश्रयहीन होकर रोजी-रोटी के अभाव में जायेंगे तो कहाँ जायेंगे? ऊपर से पैसों की तंगी। इन सबसे विवश होकर श्रमिकों को पलायन करना पड़ा। इस दौरान उन्हें अपने गाँव पहुँचने के लिए उपयुक्त साधन भी नहीं मिले, जिससे उन्हें पदयात्रा करना पड़ा। कई श्रमिक गंतव्य तक पहुँचने से पहले ही मौत के ग्रास हो गये। ताज्जुब की बात है कि देशवासियों के मन में ऐसे श्रमिकों के प्रति कोई संवेदना ही नहीं बची है। सभी लोग उनके इस प्रकार पलायन की टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। यदि उद्योग एवं औद्योगिक इकाइयाँ उनके निवास-स्थान के नजदीकी क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं तो उनके इस प्रकार पलायन करने से रोका जा सकता है।

देश का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। अत: इस क्षेत्र में श्रमिकों की उपलब्धता भी अधिक है। ऐसे में देश के नीति-नियंताओं, औद्योगिक घरानों को चाहिए कि वे अपनी औद्योगिक इकाइयाँ उत्तर-पूर्व के इन क्षेत्रों में स्थापित करें। यहाँ कच्चा माल, श्रमिक, खपत की अधिक संभावना किसी भी निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है।

आवश्यकता है तो स्थानीय एवं राष्ट्रीय नीति-नियंताओं के पहल की। इससे देश में कोई भी एमर्जेंसी या लॉक-डाउन हो, आर्थिक विकास की गतिविधियाँ निर्बाध संचालित होती रहेंगी। इससे भारत सरकार का 'मेक इन इंडिया' सपना भी साकार हो जाएगा। साथ ही उस क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ न्याय भी हो सकेगा, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास के मामले में उपेक्षित रहा है। अभी कई विदेशी कंपनियाँ भारत में निवेश लगाने के प्रति इच्छुक हैं। ऐसे में क्यों न यह श्रमिक बहुल क्षेत्र ही उन्हें निवेश लगाने हेतु आवंटित कर दिया जाय।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में संपन्न किसी कार्यक्रम में महत्वाकांक्षी योजना 'श्रमेव जयते' का उद्घाटन किया। यह योजना श्रमिकों के श्रम को पर्याप्त महत्व देते हुए युवा श्रमिकों में विश्वास पैदा करने के लिए लक्षित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की विभिन्न परियोजनाओं के सुचारु संचालन, घरेलू सकल उत्पाद (GDP) में वृद्धि एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पाँच मुख्य बातों पर ध्यानकेंद्रित किया गया। जैसे -

1. 'श्रम सुविधा', एक यूनिफाइड लेबर पोर्टल, जो नियोक्ता, श्रमिक एवं संबद्ध अभिकरणों के बीच एकल संपर्क केंद्र होगा, जिसके माध्यम से विभिन्न संगठनों एवं नियोक्ताओं को विविध श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के संबंध में ऑनलाइन में विवरण प्रस्तुत करना होता है। इससे संगठनों की गतिविधियों एवं विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता संभव हो पाती है।
2. श्रमिकों को स्थानीय माँग एवं आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशिक्षु, अर्थात अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना को भी इस योजना का हिस्सा बनाया गया।
4. संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल करते हुए सभी श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया गया।
5. श्रमिकों के लोक भविष्य-निधि (PPF) खाते के लिए एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर दिया जाता है। यदि श्रमिक कोई दूसरी कंपनी में चला जाता है तो भी उसके पी पी एफ खाते की संख्या वही रहेगी।

एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल प्रत्येक श्रमिक का मूल अधिकार है। परंतु राष्ट्रीय अथवा अंतराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाय तो इस अधिकार का हनन एक आम बात हो गई है। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के आँकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर एक वर्ष में 125 मिलियन से अधिक श्रमिक व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारी के शिकार होते हैं और इनमें से लगभग 220000 श्रमिकों की मौत हो जाती है और लगभग 10 मिलियन पूर्णत: अक्षम हो जाते हैं।

भारत में श्रमिक सुरक्षा:

इतने वर्षो से दृढ़ विकास के बावजूद व्यावसायिक एवं औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में भारत का रिकार्ड उतना अच्छा नहीं है। सुरक्षित कार्य वातावरण को सुनिश्चित करना नीति-निर्माताओं के लिए हमेशा निम्न प्राथमिकता का विषय रहा है, जबकि विशेषज्ञों की राय है कि यदि इस पर व्यापक निवेश किया जाए तो इससे उत्पादकता को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है।

हालाँकि भारत में श्रमिकों के अधिकारों एवं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत से कानून मौजूद हैं, लेकिन उनके प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं होने के कारण उनके सही लाभ आम श्रमिकों तक नहीं पहुँच पाये हैं। आँकड़े बताते हैं कि भारत में कुल श्रम-शक्ति का केवल 8.8% ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। वर्ष 2017 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष व्यावसायिक दुर्घटनाओं में लगभग 48000 श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है एवं ये दुर्घटनाएँ लगभग 24.20% तक निर्माण क्षेत्र में होती हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 127 बिलियन जनसंख्या वाले भारत में 465 मिलियन श्रमिक हैं, जिनमें से केवल 20% ही स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मौजूदा ढाँचे के अंतर्गत आते हैं। इस स्थिति के जिम्मेदार कारक निम्नवत हैं :

- देश के 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
- श्रमिकों में उपयुक्त कौशल का अभाव है।
- दूसरी ओर देश में बेरोजगारी की दर काफी अधिक है, जो श्रमिकों के शोषण के प्रति गैर-संवेदनशील बना देती है।

स्वतंत्र भारत में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम, 1948, खदान अधिनियम, 1952 जैसे कई नियम व अधिनियम बनाये गये हैं। इनके कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल

स्थिति विधेयक, 2019 संहिता संसद में पेश की गई है। इसके प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं:

- इस संहिता में कारखाना अधिनियम 1948, खदान अधिनियम 1952, भवन और अन्य निर्माण कार्य कानून 1996, बागान श्रम अधिनियम 1951 जैसे सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर दिया गया है, जिससे उनका कार्यान्वयन सरल एवं युक्तिसंगत हो जाय।
- बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ ऐसे सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जहाँ 10 अथवा उससे अधिक लोग कार्यरत हों, को भी इस संहिता में शामिल किया गया है, ताकि देश के सभी श्रमिकों के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्यस्थल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक संहिता, 2019 के अनुरूप श्रमिकों के कर्तव्य एवं अधिकार:

- श्रमिकों को अपनी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का पर्याप्त ख्याल रखना।
- कार्यस्थल पर निर्दिष्ट सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों को अपनाना।
- असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट निरीक्षक को तत्काल देना।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक संहिता, 2019 के अनुरूप नियोक्ताओं के कर्तव्य:

- श्रमिकों को ऐसे कार्यस्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो सभी जोखिमों से मुक्त हो।
- श्रमिकों को नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच की सुविधा उपलब्ध कराना।

एक सुरक्षित कार्य वातावरण सभी श्रमिकों का एक बुनियादी अधिकार है और यह आवश्यक है कि भविष्य में नीति-निर्माता विकास योजनाओं की परिकल्पना के समय उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखें। साथ ही इसमें कामगारों, नियोक्ताओं और विशेषज्ञों आदि को भी भागीदार बनायें। तभी 'श्रमेव जयते' का सपना सार्थक होगा, जिससे भारतवासियों के सभी सपने साकार होंगे।

- वरिष्ठ अटेंडेंट
कोलकाता शाखा बिक्री कार्यालय
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
मोबाइल: +91 8981987244

उम्मीद

- डॉ शैल चंद्रा -

आज फिर सोमेश बाबू जी डाकघर के सामने उदास बैठे दिखे। डाक बाबू ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, 'बाबू जी, आप दो बरस से डाकघर बिना नागा किये आ रहे हैं। आखिर वो कौन सी चिट्ठी है, जिसका आपको इंतजार है। आप रोज चार किलोमीटर पैदल चलकर डाकघर आते हैं और थककर लौट जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप इस उम्र में यहाँ मत आया करें। आपके नाम से कोई चिट्ठी आएगी तो हम लोग आपके घर जरूर पहुँचा देंगे। ये तो हमारा काम ही है।'

डाक बाबू की बात सुनकर बाबू जी की आँखों में जैसे दर्द के बादल उमड़ पड़े। उनकी आँखें छलकने लगीं। उन्होंने रुंधे गले से कहा - 'हाँ डाक बाबू, अब तो तन-मन दोनों थक चुके हैं, पर उम्मीद अब भी बाकी है। मैंने अपना पूरा जीवन दोनों बेटों के केरियर बनाने में निकाल दिये। छोटी सी नौकरी में अपना पेट काट-काट कर उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाई। जब उन्हें विदेश में नौकरी मिली तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जैसे-तैसे अपनी पत्नी का जेवर-गहना बेचकर, मकान गिरवी रखकर मैंने अपने बेटों को विदेश भेजा। यही सोचकर कि आज यह छोटा सा कर्ज है, कल मेरे कमाऊ बेटे आसानी से चुका देंगे। वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। उन्हें विदेश गये आज छ: बरस हो गये। इस बीच उन्होंने कभी लौटकर नहीं देखा। शायद वहीं शादी करके बस गये हैं। उनकी चिट्ठी महीने-दो महीने में पहले आती रहती थी, पर वे कभी नहीं आये। उनकी बूढ़ी बीमार माँ की आँखें अपने बेटों के इंतजार में हमेशा के लिए मूँद गईं। फिर भी वे नहीं आये। सोचता हूँ, माँ के मरने की सूचना मिलने पर वे चाहे आयें या न आयें, पर कोई चिट्ठी तो जरूर भेजेंगे। यही सोचकर रोज यहाँ चक्कर लगाता हूँ। पर अब दो साल हो गये। अब तक उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। आज नहीं तो कल उन्हें अपने बूढ़े एकाकी जीवन जी रहे इस पिता की जरूर याद आएगी। वे एक दिन जरूर मुझे चिट्ठी लिखकर अपने पास बुलायेंगे। बस इसी उम्मीद में जी रहा हूँ।'

- रावण भाठा, नगरी
जिला धमतरी, छत्तीसगढ़
मोबाइल: +91 997783464

इस्पात क्षेत्र में संविदा श्रमिकों की स्थिति

- श्री ललन कुमार -

प्रस्तावना :

बीसवीं सदी के प्रथम दशक के दौरान भारत में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में लौह उत्पादन संयंत्र की स्थापना से लोहे का उत्पादन आरंभ हुआ था। तदुपरांत जमशेद जी टाटा ने तत्कालीन बिहार और अब झारखंड राज्य के अपने ही नाम पर विकसित नगर में एक समग्र इस्पात संयंत्र की स्थापना की। तत्पश्चात कर्नाटक राज्य के भद्रावती में इस्पात एलॉय संयंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत में इस्पात उद्योगों की स्थापना पर बहुत बल दिया गया और द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में समग्र इस्पात संयंत्रों की स्थापना व विकास हेतु विशेष योजनाएँ बनाई गई। इस प्रकार दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और बोकारो में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के साथ भारत वैश्विक पटल पर इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाने में सफल हुआ। 70 और 80 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र में नवीनतम इस्पात उद्योग की स्थापना हेतु आंध्र प्रदेश के विशाखपट्टणम नगर को चुना गया और समुद्र तट पर स्थित देश के पहले समग्र इस्पात संयंत्र के रूप में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बैनर तले विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई।

बींसवीं सदी के अंत और इक्कीसवीं सदी के आरंभ में भारत में निजी कंपनियों द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर भारी निवेश किया गया और साथ ही पूर्व प्रचालित कंपनियों द्वारा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के तहत उत्पादन क्षमताओं का विस्तार किया गया। फलस्वरूप अभी इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। देश में मूलसंरचनाओं के विकास में इस उद्योग का योगदान अप्रतिम है और शायद यही कारण है कि किसी देश के विकास के पैमानों को परखने के लिए उस देश में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को एक महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है।

रोजगार के अवसर :

भूगर्भ में दबे लौह अयस्क आदि का खनन और फिर उससे लौह उत्पादन एवं लौह से इस्पात उत्पादन के साथ-साथ सही आकार में उससे अंतिम उत्पाद बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए अत्यधिक कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता होती है और स्वचालन तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाते रहने के बावजूद इस क्षेत्र में हमेशा ही प्रचुर रोजगार के अवसर बने रहते हैं। विनिर्माण से संबंधित सभी उद्योगों की तुलना में अभी भी इस्पात उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर काफी श्रमिक जुड़े हैं और देश में रोजगार का अवसर देने वाला यह एक अग्रणी क्षेत्र है।

इस्पात उद्योग से सीधे संबंधित उद्योगों का दायरा लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फेर्रो एलॉय, रेत, कोयले आदि खदानों से शुरू होकर इस्पात के अर्द्ध-परिसज्जित उत्पाद से अंतिम उपयोगार्थ उत्पाद की तैयारी और अंततः विविध क्षेत्रों में उपयोग तक जाता है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह क्षेत्र कितना श्रमबहुल है। एक आँकड़े के मुताबिक इस क्षेत्र ने देश के सभी निजी और सार्वजनिक इस्पात उद्योगों को मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से लगभग तीन-चार गुने अधिक लोग इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।

संविदा अभिकरणों पर निर्भरता :

जैसाकि पहले उद्धृत किया गया कि इस्पात उद्योग में उत्पादन की विविध चरणों की प्रक्रियाएँ काफी जटिल होती हैं और लगभग सभी विभागों में ऐसे अनेक कार्य समाहित होते हैं, जिनके लिए बाह्य अभिकरणों की सहायता लेना आवश्यक है। यहाँ यह सूचित करना जरूरी है कि कुछ विशेष कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहण के लिए विशेषज्ञ अभिकरणों के पास कार्य कुशलता होती है और कुशल कार्मिकों की सहायता से वे सुगमतापूर्वक उसे संपादित कर पाते हैं, जिसके लिए मुख्य संयंत्र के पास उपयुक्त एवं कुशल कार्यबल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर निर्माण के दौरान लगभग सभी प्रकार के कार्य, जैसे फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, सिविल कार्य, स्ट्रक्चरल कार्य आदि पूर्णतः संविदा अभिकरणों द्वारा ही किये जाते हैं।

संविदा श्रमिकों का योगदान :

उत्पादन और अनुरक्षण के लिए नियमित कार्यबल की नियुक्ति तो साधारणतया मुख्य संगठनों द्वारा की जाती है, पर अनियमित और श्रमबहुल कार्यों के लिए संविदा श्रमिकों को लगाना पड़ता है। प्रचालनरत इकाइयों में भी तकनीशियनों द्वारा मशीनों का प्रचालन, अभियंताओं द्वारा तकनीकी प्रक्रियाओं का संचालन, प्रापण, बिक्री आदि प्रमुख कार्यों के अलावा लगभग अन्य सभी कार्य संविदा श्रमिकों द्वारा ही किए जाते हैं।

संविदा श्रमिकों को उनकी योग्यता के अनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रेणी में रखा जाता है। परिवहन के लिए जब कोई कार्य आदेश बाह्य अभिकरणों को दिया जाता है तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए ड्राइवर भी संविदा श्रमिक के अंतर्गत ही आते हैं। अनुरक्षण कार्य में भी इन श्रमिकों की भागीदारी अहम होती है।

धीरे-धीरे संविदा अभिकरणों को अधिकाधिक कार्य सौंपने के कारण इस्पात उद्योगों में संविदा श्रमिकों की संख्या काफी बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार कई समग्र इस्पात संयंत्र ऐसे हैं,

जिनमें नियमित कामगारों से अधिक संख्या में संविदा श्रमिक हैं और उनके ऊपर निर्भरता इस कदर बढ़ गई है कि उनके बिना संयंत्र को सुचारु रूप से चलाना कठिन है।

संविदा श्रमिकों का वेतन:

भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा संविदा श्रमिकों का दैनिक वेतन व अन्य भत्तों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और तदनुसार वेतन का निर्धारण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात उद्योगों द्वारा इसका अनुपालन किया जाता है। संविदा अभिकरणों द्वारा संविदा श्रमिकों की श्रेणीवार नियुक्ति, प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यों की मात्रा व प्रकार के आधार पर ही किए जाते हैं। प्रयोक्ता संगठन द्वारा उक्त अभिकरणों को निर्धारित वेतन संबंधित दिशानिर्देश और संविदा के तहत अन्य मापदंडों के अनुसार भुगतान किया जाता है और फिर अभिकरण द्वारा उनके श्रमिकों को वेतन दिया जाता है। इस्पात उद्योगों में शामिल इन श्रमिकों को उचित वेतन समय पर मिले, इसके लिए कुछ खास कदम उठाए गए हैं। जैसे - सभी श्रमिकों के वेतन का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है और इसका विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही बाद के महीनों के बिल के भुगतान की प्रक्रिया शुरु की जाती है। इससे न सिर्फ समय पर उचित वेतन की प्राप्ति सुनिश्चित होती है, बल्कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना नहीं के बराबर रह जाती है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अनुसार 01.04.2020 से निम्नलिखित अनुसार संविदा श्रमिकों को श्रेणीवार संशोधित वेतन का भुगतान किया जाता है:

श्रमिक श्रेणी	मूलवेतन (प्रतिमाह) (रुपये)	परिवर्तनशील भुगतान योग्य महँगाई भत्ता (प्रतिमाह)	कुल वेतन (प्रति माह)	दैनिक वेतन*
अकुशल	11362/-	2288/-	13650/-	525/-
अर्द्ध-कुशल	12844/-	2574/-	15418/-	593/-
कुशल	15054/-	3016/-	18070/-	695/-

* दैनिक वेतन की गणना हेतु महीने में 26 दिन के वेतन को लिया जाता है। इसमें साप्ताहिक छुट्टी का दिन शामिल है।

संविदा श्रमिकों को दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ:

1. चिकित्सीय सुविधाएँ:

संविदा श्रमिकों को वेतन के अलावा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (ESI Act) के तहत चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रत्येक माह के कुल न्यूनतम मूल वेतन का 4% (3.25% इस्पात संयंत्र और 0.75% अभिकरण द्वारा) ई एस आई को भुगतान किया जाता है। इस अधिनियम के तहत मूल मासिक वेतन के रूप में 21000 रुपये से कम पाने वाले श्रमिकों को ही ये सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। संबद्ध शहर में सरकार द्वारा स्थापित व नामित अस्पतालों में उन्हें इस योजना के तहत चिकित्सीय सुविधाएँ मिलती हैं।

2. भविष्य निधि:

सरकार ने श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों को उनकी नौकरी के पश्चात जीविकोपार्जन हेतु भविष्य निधि न्यास का गठन किया है, जिसमें एक निश्चित धनराशि जमा किए जाने का प्रावधान है। इस राशि पर न्यास द्वारा तय ब्याज भी दिया जाता है। निश्चित समय के पश्चात सदस्यों को जीवनयापन के लिए यह संचित राशि दी जाती है। वर्तमान वर्ष में निर्धारित अनुसार प्रत्येक संविदा श्रमिक के लिए उसके कुल मूलवेतन का 13% अथवा अधिकतम 1800 रुपए की राशि इस्पात संयंत्र द्वारा दिया जाता है, जबकि अभिकरण द्वारा उक्त श्रमिक के भविष्य निधि खाते में देय वेतन का 13% दिया जाता है। इस तरह प्रत्येक संविदा श्रमिक के भविष्य निधि खाते में मूल वेतन का कुल 26% राशि हर महीने जमा होती रहती है। साथ ही 10 दिनों की छुट्टी के लिए भी अनुपातिक तौर पर भविष्य निधि हेतु राशि श्रमिक को दी जाती है।

बीमा:

इस्पात उद्योग में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए उनके नाम पर 5 लाख रुपये का अनुग्रह बीमा कराए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान कंपनी द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा कार्य के प्रकार के मुताबिक 50000 रुपए मूल्य का तृतीय पार्टी बीमा भी कराया जाता है, जिसके लिए भी प्रीमियम राशि कंपनी द्वारा दी जाती है।

विशेष भत्ता:

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन

सभी संगठनों द्वारा सभी संविदा श्रमिकों को प्रत्येक माह 1000 रुपए विशेष विविध भत्ता एवं 1100 रुपये अतिरिक्त विशेष विविध भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। ये भत्ते सभी श्रेणी के श्रमिकों, यानि अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को एक समान दिये जाते हैं।

सुरक्षा व टूल सामग्री:

इस्पात संयंत्र में काम कर रहे सभी श्रमिकों को सुरक्षा सामग्री के तहत हर साल सुरक्षा जूते के लिए 591 रुपये, दस्ताने के लिए महीने में 30 रुपये, डस्ट मास्क के लिए महीने में 15.50 रुपये और 5 साल के लिए एक हेल्मेट यानि 815 रुपए दिए जाते हैं, जिसे आनुपातिक तौर पर दैनिक वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में सामान्य टूल के लिए भी प्रतिदिन के हिसाब से 1.67 रुपए की एक निश्चित राशि सभी को दी जाती है।

छुट्टी वेतन:

प्रत्येक 20 कार्य दिवस के लिए 1 दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाना इस उद्योग से संबंधित सभी श्रमिकों के लिए एक विशेष भत्ता है और संविदा नामावली के श्रमिक इसके अंतर्गत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। इस हिसाब से वर्ष में कुल 303 कार्य दिवसों के निमित्त 16 दिन का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। साथ ही वर्ष में 303 कार्यदिवस के निमित्त 10 दिन की छुट्टी दी जाती है, जिसे अनुपातिक तौर पर (1 दिन का वेतन×10/303) दैनिक वेतन की गणना में शामिल किया जाता है। इसके अलावा नोटिस पे के रूप में प्रति वर्ष 30 दिनों का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है।

लाभ और अन्य ऊपरी भत्ता:

इस्पात के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ऊपर सूचित कुल राशि के योग से प्राप्त दैनिक या मासिक वेतन पर लाभ और अन्य ऊपरी भत्ते के तौर पर 10% की राशि दी जाती है, जिसका संबंध संगठन के लाभ या हानि से नहीं होता है। साथ ही तदर्थ राशि के रूप में हर माह 300 रुपए दिये जाते हैं। इस तरह इस्पात उद्योग में कार्यरत तीनों श्रेणियों के श्रमिकों का न्यूनतम वर्तमान दैनिक वेतन नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

श्रमिक श्रेणी	भुगतान योग्य दैनिक वेतन (₹)*	कुल भत्ता और अन्य देय को मिलाते हुए दैनिक वेतन (₹)
अकुशल	525	868.50
अर्द्ध-कुशल	593	976.20
कुशल	695	1126.20

* न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार

यहाँ यह उद्धृत करना उचित होगा कि यदि अभिकरण द्वारा संविदागत श्रमिकों को उनका उचित वेतन नहीं दिया जाता है या सांविधिक भुगतान, जैसे कि भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की राशि आदि का भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रधान नियोक्ता होने के कारण इस्पात संयंत्र की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इस भुगतान को सुनिश्चित करे। इस्पात संयंत्रों द्वारा इसका अक्षरश: अनुपालन किया जा रहा है। इसके लिए बिलिंग प्रक्रिया में इस मद को प्रमुखता से जांच बिंदु के रूप में रखा गया है कि अभिकरण द्वारा सभी आवश्यक मानकों को अपनाया गया है या नहीं। इसके लिए समय समय पर जारी सरकारी आदेशों के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु मानव संसाधन विभाग के साथ-साथ निविदा विभाग द्वारा भी गंभीरतापूर्वक समीक्षा की जाती है और सभी विभागों को समय पर लिखित सूचना दी जाती है।

बोनस:

ऐसे संविदागत कामगार, जिन्हें प्रत्येक माह 21000 रुपए या उससे कम वेतन मिलता हो, को उनके वेतन की 8.33% (7000 रुपए अधिकतम) राशि बोनस के रूप में दिया जाता है। इस राशि को भी श्रमिक के दैनिक वेतन की गणना के दौरान मिला दिया जाता है। इसके साथ श्रमिक कल्याण हेतु विभिन्न राज्यों में गठित निधि में वास्तविक योगदान भी संगठन द्वारा ही दिया जाता है और इसे भी दैनिक वेतन में शामिल किया जाता है।

सारांश:

इस प्रकार इस्पात उद्योग से जुड़े संविदा श्रमिकों की स्थिति देश के अन्य विनिर्माण संगठनों की तुलना में बेहतर है और इसके पीछे सरकार द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर जारी निर्देश और सार्वजनिक इस्पात उद्योगों का सामूहिक प्रयास मुख्य हैं। हालाँकि, श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल एवं समुचित माहौल पर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चिकित्सीय लाभ जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना भी एक गंभीर मुद्दा है। ई एस आई चिन्हित अस्पतालों की स्थिति काफी दयनीय है और समुचित सुविधाओं के अभाव का सीधा असर संविदा श्रमिकों पर पड़ता है। यहाँ अगर नियमित कामगारों को दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं में से कुछ सुविधाएँ अगर इन श्रमिकों को और उनपर निर्भर उनके परिवार के सदस्यों को दी जाती हैं तो उनके लिए कल्याणकारी होगा।

इस्पात क्षेत्र में एक और समझौता श्रमिकों के पक्ष में हुआ है और वह यह है कि किसी कार्य विशेष के लिए ठेकेदार बदल सकता है, लेकिन संविदा श्रमिक नहीं बदलते हैं। अर्थात संविदा श्रमिकों का रोजगार बना रहेगा, जो वास्तव में उनके जीवनयापन का सहारा है। इस्पात उद्योग के लिए भी अनुभवी श्रमिकों की निरंतर उपलब्धता एक फायदे की स्थिति है और इससे इन श्रमिकों के मन में भी स्थिरता का भाव बना रहता है और उनकी श्रम उत्पादकता उत्कृष्ट बनी रहती है।

- महाप्रबंधक (राजभाषा) व प्रशासन (प्रभारी)
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम-530031
मोबाइल: +91 9989317329

समाज निर्माण में श्रमिक संघों की भूमिका

- श्री पापाजी बारनाल -

जब सन् 1920 में सर जान मार्शल के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के पुरातत्व विभाग ने सिंधु-घाटी में उत्खनन कराई तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ढोलवीर, कालीबंगा आदि जैसे नगर प्रकाश में आए। उनका प्रकाश में आना उतना अचंभित करने वाला नहीं था, जितना कि उन नगरों की बनावट। पक्के ईंटों से निर्मित भवन, स्नानागार व स्नानतट, योजनाबद्ध सड़कें, भूमिगत नालियाँ, तांबे, कांसे व मिट्टी के बर्तन व कांस्य मुद्राओं पर अंकित चित्र व अनजान लिपि से स्पष्ट होता है कि यह सभ्यता 3000-1500 वर्ष ईस्वी पूर्व की है। यह चिंतन का विषय है कि उपरोक्त नगरों में इन सभी सुविधाओं एवं उन्हें मूर्त रूप देने में श्रमिकों का कितना बड़ा योगदान रहा होगा।

कांस्य-युग को तो कुशल व शिक्षित श्रमिकों का समाज माना जाता है। गेहूँ, जौ, कपास के भंडार, गृह एवं हल व हंसिया जैसे औजारों व स्त्रियों व पुरुषों की मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि यह श्रम व कृषि-प्रधान समाज था, जिसमें अधिकतर स्त्रियाँ संतान व संपत्ति की रक्षा करती थीं। यह समाज युद्धप्रिय नहीं था, क्योंकि वहाँ से किसी ऐसे हथियार के अवशेष नहीं मिले हैं, जो युद्ध में उपयोग किए जाते हैं। बंदरगाहों व मुद्राओं से स्पष्ट होता है कि भारत के लोग मेसोपोटोमिया जैसे सुदूर देशों से व्यापार करते थे। समाज में भाई-चारा था और स्त्री-पुरुष संबंध सम्मानजनक थे, अर्थात मालिक और मजदूर में लाभ की भागीदारी पर कोई विवाद नहीं थे। मुगल शासन में श्रमिक संघ नहीं थे। इसीलिए मजदूरों को न्याय नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने श्रमिकों के उत्थान के लिए कई उपाय किए, जो बाद में कानून बनकर आज तक दिशानिर्देश देते रहते हैं।

हमारे संविधान में जाति-धर्म-प्रांत आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर देश में एक बहुमुखी व विशाल समाज निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसमें दलितों, मूलवासियों, पिछड़ी जातियों एवं पीड़ित व गरीब जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आय के स्रोत आदि सुविधाएँ प्रदान करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद धोखेबाज लोगों की वजह से समाज के इन वर्गों के साथ धोखा न हो। उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए संसार में सबसे पहले ई.पू.6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध ने सामाजिक समता हेतु 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' नामक नैतिक मंत्र का पाठ पढ़ाया है। तत्पश्चात सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल तथा वर्तमान युग में डॉ भीमराव अंबेड्कर ने भी संविधान में उन्हीं बातों पर बल दिया है।

कार्ल मार्क्स ने कहा है कि 'समाज का सर्वांगीण विकास आलसी स्वार्थियों से नहीं, बल्कि परिश्रमी बुद्धि-जीवियों से होता है।' समय के साथ सांघिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास के कारण अविकसित समाज विकासशील और अंतत: विकसित बनता है। इस विकास में श्रमिकों के अनुभव व विवेक के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। श्रमिकों के बदौलत ही साधन-संपन्न लोगों के ऐशो-आराम बरकरार हैं। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि साधन-संपन्न लोगों ने इन श्रमिकों के श्रम को वस्तु मात्र माना और भरपूर शोषण किया तथा श्रम के बदले कुछ पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।

समाज के विकास के साथ-साथ श्रमिकों में जब जागृति आई तो वे संगठित रूप से अपनी अवाज उठाने लगे, जिसने बाद में एक आंदोलन का रूप लिया और आज यह कानूनन जायज है। हालाँकि आज भी बहुत से निजी संगठनों में श्रमिक-संघ नहीं हैं और यदि हैं भी तो मात्र खानापूर्ति के लिए हैं। ऐसे श्रमिक संघों के नेता लालच अथवा भय वश प्रबंधन अथवा मालिक के कठपुतली बन कर रह जाते हैं। फलस्वरूप कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन और श्रमिकों का शोषण होने लगता है।

सरकार के जिन विभागों में श्रमिक संघ बनाने की सुविधा नहीं है, उन विभागों से बहुत से कानूनी प्रावधानों के बावजूद अक्सर शोषण, अनियमितता एवं भेदभाव की शिकायतें आती रहती हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों, राज्य व केंद्र सरकार के पुलिस बलों आदि में कोई यूनियन नहीं होने के कारण अक्सर उनके अफसर उद्दंड हो जाते हैं और जवानों के साथ मनमानी करने लगते हैं। साथ ही ऐसा माहौल बना देते हैं कि जवान अपनी व्यथा का इजहार भी नहीं कर सकता। उसकी शिकायत को अनुशासनहीनता की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार अपनी मानसिक या शारीरिक पीड़ा सुनाने के उसके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और वह पीड़ा की चरम स्थिति में पहुँचकर आत्महत्या के लिए बाध्य हो जाता है।

इसके ठीक विपरीत जिन संगठनों में श्रमिक संघों की उपस्थिति है, वहाँ संविधान द्वारा प्रदत्त वे सभी प्रावधान लागू होते हैं, जो श्रमिक कल्याण व सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी होते हैं। चूँकि श्रमिक संघों के प्रतिनिधि एक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के कारण संगठन के सभी कर्मचारियों के कल्याण की बात करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार वे कानूनी दायरे में

रहकर प्रवंधन से बातचीत करते हैं। जैसाकि केंद्र व राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य सरकारी संगठनों में उनका प्रभाव दिखाई देता है। श्रमिक संघों के प्रभाव में आकर प्रवंधन व सरकार को अपनी नीतियों में कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है। उदाहरण के लिए आरक्षण के मुद्दे को ही ले लीजिए। संविधान में वंचित वर्गो, महिलाओं, विशेष सक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। सभी सरकारी संगठनों में इन वर्गो के प्रतिनिधियों के दबाव के साथ-साथ श्रमिक संगठन एवं प्रबंधन उन प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य होते हैं। इसका समाज पर प्रभाव यह पड़ा है कि इसके कारण समाज में समानता का संचार तेजी से हुआ और समाज का सशक्तीकरण हुआ है। आरक्षण के कारण भारतीय समाज में शिक्षा व रोजगार के जो अवसर दिये गये हैं, उससे आरक्षित वर्ग को गरीवी, अंधविश्वास और शोषण आदि से लड़ने में सहायता मिली है।

दूसरी ओर निजी संगठन आरक्षण के प्रवधानों का अनुपालन नहीं करते और अक्सर श्रम कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हमें किस तरह के समाज का निर्माण करना है। क्या हम ऐसे समाज के निर्माण की परिकल्पना कर रहे हैं, जिसमें श्रमिकों का शोषण होता हो, समाज में आर्थिक व सामाजिक स्तर पर भेदभाव बढ़ता हो या फिर हम संविधान सम्मत समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इसीलिए सरकार व समाज को सोचना चाहिए कि किस तरह से समाज का समग्र विकास हो और समाज में संसाधनों का विभाजन किस तरह से हो कि समाज में बुनियादी समानता बढ़े।

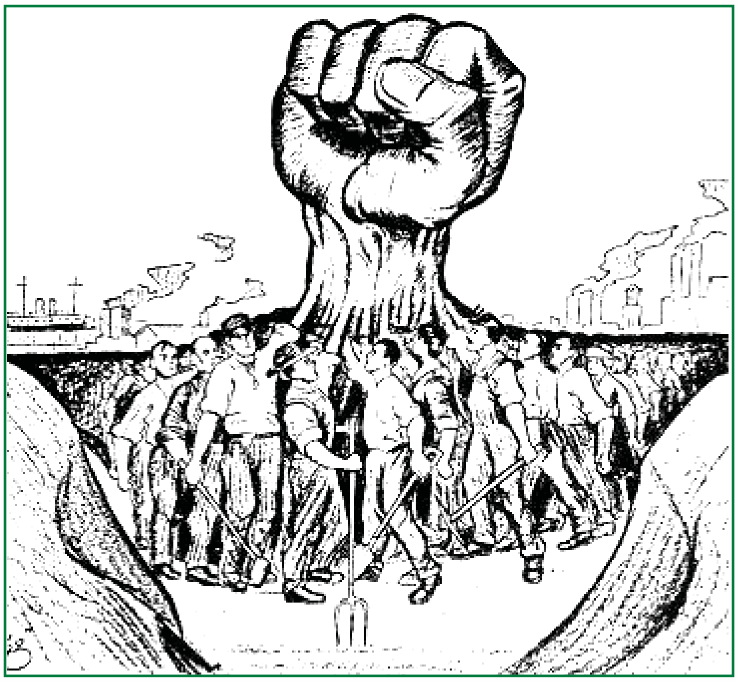

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति, बेरोजगारी व गरीबी दूर करने के उद्देश्य से रूस के **7** वर्षीय योजना की तर्ज पर भारत में **5** वर्षीय योजनाओं के अधीन बड़े-बड़े सार्वजनिक उद्योगों/संगठनों की स्थापना कराई, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला और उनके जीवन स्तर में बेहतर बदलाव आया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने समाज को पुरोगामी बनाने हेतु बैंकों व उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन विगत वर्षो में इस तरह की पहल का अभाव है और निजी कंपनियाँ मनमानी करते हुए श्रमिक अधिकारों का हनन और श्रमिकों का शोषण कर रही हैं। विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसे मनमानी से केवल व्यक्ति विशेष का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे समाज व देश भी कमजोर होते हैं।

अब देश में सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी/सार्वजनिक संगठनों में श्रम कानून के सभी प्रावधान लागू होते हैं, जिससे श्रमिक वर्ग खुशहाल होता है। वहीं निजी संगठनों का ध्यान कम लागत में अधिक लाभ कमाने पर होता है और इसके लिए वे कई तरह के अनैतिक हथकंडे भी अपनाते हैं। साथ ही वे समाज के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते, जबकि कई तरह की सरकारी सब्सिडी और छूट का लाभ उठाते हैं। इससे समाज का सर्वांगीण विकास तो दूर अनैतिक, शोषणयुक्त व भेदभाव पूर्ण समाज का निर्माण होता है।

असंगठित क्षेत्र में साधारणत: गरीव, किसान, मजदूर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहायक कामगार जैसे जुलाहा, बुनकर, दर्जी, बढ़ई, धोबी, नाई, कुम्हार, लोहार, मोची, मिस्त्री, मछुआरे, ग्वाला, वैद्य, दाई, फल-सब्जी बेचनेवाले, छोटे व्यापारी, कुटीर उद्योगों के मजदूर आदि आते हैं, जिनका जीवन प्राय: दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर होता है। इनके बच्चों की शिक्षा एवं परिवार की चिकित्सा व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही अनिश्चित होती है। सरकार व उद्योगों को इन समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यहाँ भी श्रमिक संगठनों की पैठ मजबूत की जानी चाहिए, अन्यथा समाज का विकास अनिश्चित और पक्षपातपूर्ण होगा।

उपरोक्त के विपरीत सरकारी उपक्रमों व विभागों के कर्मचारियों का जीवन बहुत ही सुचारू और न्यायपूर्ण होता है। इसका मुख्य कारण श्रम कानूनों एवं श्रमिक संघों का होना है। श्रमिक संघों की माँग और सरकार व प्रबंधन पर उनके दबाव के कारण लिए गए निर्णयों से सभी को लाभ हुआ है और समाज में आर्थिक व सामाजिक समरसता का संचार हुआ है। विवाद के विंदुओं पर विचार के लिए श्रम आयुक्त और प्रबंधन के साथ त्रि-पक्षीय चर्चा की व्यवस्था भी है।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि आजादी की लड़ाई के समय देश के जिन बड़े नेताओं ने मजदूरों के हक की लड़ाई में भाग लिया, उनमें राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरीखे नेता भी शामिल हैं। बाबासहेब डॉ भीमराव अंबेड्कर ने तो कानूनी जामा पहनाकर भारतीय मजदूरों को बहुत मजबूत किया है।

महात्मा गांधी द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए किये गये निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय हैं:

1. स्वदेशी आंदोलन से भारत के लाखों गरीब बेरोजगारों को रोजगार (रुई कातना, चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, सीना, बेचना आदि) दिलाया।
2. अहमदाबाद, मुंबई कपड़ा मिलों के मालिकों एवं कर्मचारी संघों के बीच शांति समझौते के लिए ट्रस्टीशिप सूत्र अपनाकर मालिक को मजदूरों का देखभाल करने वाला, ट्रस्टी माना।
3. गांधीजी ने अहमदाबाद, मुंबई नगरों के सफाई कर्मियों के अध्यक्ष के रूप में सर्वेक्षण करने के बाद उनकी सराहना करते हुए दलितों को हरिजन कहा और अस्पृश्यता के विरोध में पूणे आदि शहरों में जुलूस भी निकाली, उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिलाया।
4. साबरमती आश्रम में सभी जाति-धर्म वालों से उन्होंने सफाई का काम करवाया और सामूहिक भोजन कराने का प्रयास भी किया।

लेकिन डॉ अंबेडकर गाँधीजी के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्होंने श्रमिक कल्याण के लिए कुछ उल्लेखनीय प्रयास किए, जो निम्नांकित हैं:

1. जाति-धर्म विहीन श्रमिक एकता की परिकल्पना की।
2. धार्मिक अंधविश्वास के बजाय शिक्षा को श्रेष्ठ माना।
3. बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी एवं अक्रम व अनैतिक महिला मजदूरी प्रथा का विरोध किया।
4. श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, वेतनमान, बीमा, वेतन संशोधन अवधि, पेंशन, त्रिपक्षीय समझौता, जाँच आदि को अनिवार्य बनाया।
5. महिला व पुरुष मजदूरों को समान कार्य के लिए समान वेतन का कानून बनाया।
6. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण और अन्य समस्याओं के निदान हेतु आंदोलन किया और भारी काम या खतरनाक जगह अर्थात खदानों के भीतर और कारखानों में रात के समय महिला मजदूरों से काम कराना वर्जित किया।
7. सवैतनिक प्रसूति छुट्टी का प्रावधान किया।
8. छुआछूत की पीड़ा से मुक्ति दिलाने हेतु शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान किया।
9. 'दुनिया के मजदूरों, एक हो' के सिद्धांत को सच्चे अर्थों में प्रोत्साहित किया।

लेकिन सैकड़ों वर्षों के अनवरत संघर्ष के पश्चात भारत में श्रमिकों को जो संवैधानिक व कानूनी अधिकार मिले हुए हैं, वे निजीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ-साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में अब भयानक संकट में हैं। पूँजीपतियों एवं भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत से श्रमिकों के अधिकारों को समाप्त किया जाने लगा है। इस संदर्भ में हाल के कुछ फैसलों का विश्लेषण किया जा सकता है, यथा:

कोरोना महामारी का हवाला देकर कुछ प्रदेश सरकारों ने श्रमिकों के कार्य-घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि श्रमिक अपनी मर्जी से काम से इंकार नहीं कर सकता। अनुबंधित कामगार को हटाने, हादसे का शिकार होने और समय पर पगार देने को छोड़ कर बाकी सभी नियमों को तीन साल तक टाल दिया गया है।

प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण भारत के कई राज्यों में बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, महिला कर्मचारियों पर लैंगिक अत्याचार आदि जैसी घटनाएँ बढ़ी हैं। इन समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के बजाय उद्योगपतियों को सहयोग पहुँचाया जा रहा है। दूसरी तरफ श्रमिक संघों को कमजोर किया जा रहा है और सवाल उठाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इससे देश व समाज कमजोर होता है और पाशविक शक्तियाँ मजबूत होती हैं।

सशक्त श्रमिक संघों के कारण केवल अपना लाभ देखने वाले व्यवसायी हतोत्साहित होते हैं। श्रमिक संघ संगठनों को नुकसान पहुँचाने नहीं, बल्कि सहयोग देने के लिए बनाए जाते हैं। हालाँकि यह बात अलग है कि कुछ लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए श्रमिकों एवं संगठनों से धोखा करते हैं। हालाँकि महात्मा गाँधी ने 1920 के उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की वकालत करते हुए कहा था कि 'मालिक संसाधन लगाता है और लाभ का भारी-भरकम हिस्से पर अपना अधिकार जमाता है, जबकि कामगार उद्योग में अपना श्रम, बुद्धि एवं समर्पण व्यय करता है, फिर भी उसके हिस्से में लाभ की मात्रा बहुत कम आती है, यह शोषण है। इसलिए कामगारों को प्रबंधन में भागीदारी मिलनी चाहिए। इससे संगठन और श्रमिक दोनों को लाभ मिलेंगे।' हालाँकि अभी तक ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है।

अत: श्रमिक संघों को विश्वास में लेकर उनके सकारात्मक रवैये का सदुपयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि मजबूत श्रमिक संघ का होना संगठन एवं श्रमिक कल्याण के लिए आवश्यक है। क्योंकि निस्वार्थ और सशक्त श्रमिक संघ ही सभी अधिनियमों का अनुपालन करा सकते हैं। यदि देश में मजबूत श्रम संगठन होंगे तो विश्व स्तर पर मजदूरों का शोषण भी रुकेगा, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलनों में अपने अभिनव प्रयासों का जिक्र करेंगे और दुनिया के श्रम संगठन उसे अपनाने का प्रयास करेंगे।

- 106, सेरेन, सरदार नेस्ट
स्टील प्लांट कणिति रोड
विशाखपट्टणम-530026
मोबाइल: +91 9963231087

भारत में बाल मजदूरों की दशा

- श्री नरेंद्र नाथ 'चट्टान' -

बाल मजदूरों की अवधारणा:

हम ऐसे मासूम बच्चों के बारे में सोच कर सिहर जाते हैं, जो लाचार, बेबस और मजबूर होकर अपने एवं अपने परिवार के पेट की क्षुधा मिटाने हेतु खेतों, दूकानों एवं कल-कारखानों में मजदूरी करने हेतु विवश होते हैं। उनके बचपन कहीं खो जाता है और जीवन के स्वप्न मर चुके होते हैं। बाल मजदूरी एवं दासता के विरुद्ध संघर्षशील नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं - 'वे किसके बच्चे हैं? जो फुटवाल तो सिलते हैं, पर कभी फुटवाल से नहीं खेल पाते। वे किसके बच्चे हैं? जो पत्थरों और खनिजों के खान में काम करते हैं। वे किसके बच्चे हैं? जो कोको की पैदावार करते हैं, फिर भी चॉकलेट का टेस्ट नहीं जानते। वे सभी हमारे बच्चे हैं।' श्री कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा स्थापित संगठन 'बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) के अनुसार देश में लगभग 7 से 8 करोड़ बच्चे नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से वंचित हैं।

यूनीसेफ के मतानुसार दूकान एवं कारखानों में बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है, ताकि उनकी सरलता से शोषण किया जा सके। भारत में बच्चों को उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर, बहला-फुसला एवं प्रलोभन देकर काम पर लगाया जाता है। बाद में उन्हें या तो मजदूरी ही दी नहीं जाती अथवा बहुत कम दी जाती है। इन बुराइयों के लिए भी कारण हैं, यथा: गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या, माता-पिता की अनिच्छा, सस्ता श्रम, मानसिक सोच, कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन, नशाखोरी, दुष्प्रवृत्ति एवं गलत संगत आदि।

बाल मजदूरों के संवैधानिक अधिकार:

भारतीय संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के कार्य करने वाले मजदूर बाल मजदूर कहलाते हैं। संविधान में उनके लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नांकित हैं:

सुरक्षा का अधिकार :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-24 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है एवं अनुच्छेद-39 के अनुसार आर्थिक जरूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना, जो उनकी आयु अथवा क्षमता के लिए उपयुक्त नहीं है, उससे बचने के लिए उन्हें सुरक्षा का अधिकार दिया गया है।

समानता का अधिकार :

संविधान के अनुच्छेद-14 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को समानता का अधिकार दिया गया है। बच्चों को पढ़ने-लिखने, खेलने एवं हर गतिविधि में भाग लेने के समान अधिकार प्राप्त हैं।

भेदभाव के विरुद्ध अधिकार :

संविधान के अनुच्छेद-15 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को भेदभाव के विरुद्ध लड़ने का अधिकार दिया गया है। बच्चों से ऊँच-नीच, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

आजादी व सम्यक् कानूनी प्रक्रिया का अधिकार:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनों की सम्यक् प्रक्रिया का अधिकार दिया गया है। बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक पढ़-लिख व खेल-कूद सकते हैं। बच्चों के साथ अनैतिक कार्य करने या कराने, दुर्व्यवहार अथवा शोषण करने पर कानून की सम्यक् प्रक्रिया में दंड का प्रावधान है।

अन्याय व शोषण से मुक्ति का अधिकार:

संविधान के अनुच्छेद-46 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है।

बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार:

इसी प्रकार अनुच्छेद-23 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जबरन मजदूरी में रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार दिया गया है।

भारत में बाल मजदूरों की दशा:

बच्चा चूँकि अवयस्क होता है, अत: उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सोचने-समझने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए वह अपने नियोजकों, मालिकों अथवा दूकानदारों द्वारा पग-पग पर छला जाता है, शोषित एवं उत्पीड़ित होता है। यूनिसेफ के मतानुसार - दूकान या कल-कारखानों में बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है, ताकि उनका सरलता से शोषण किया जा सके।

भारत में बाल मजदूरों की दशा चिंताजनक है। वे कठोर से कठोर श्रम करने के बावजूद कई प्रकार की यातनाएँ झेल रहे हैं और बद से बदतर जीवन जीने के लिये विवश हैं। उन्हें अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है और बंधुआ मजदूर के रूप में कष्टप्रद जीवन जीना पड़ता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में 30 करोड़ बच्चों में से लगभग 4.44 करोड़ बाल मजदूर के रूप में विभिन्न उद्योग-धंधों में काम करते हैं। देश का हर सातवाँ बच्चा बाल मजदूर के रूप में जन्म लेता है। एक दुखद पहलू यह भी है कि समूचे विश्व में हमारे देश में सबसे अधिक बच्चे अनाथ हैं। हर वर्ष लगभग 11.5 लाख असामान्य शिशु जन्म लेते हैं, जिनमें से अधिकांशत: 5-6 वर्षों के अंतराल के बाद बाल मजदूर बना दिये जाते हैं। हमारे देश में लगभग 40% से अधिक आबादी निर्धन लोगों की है। वहाँ बाल मजदूरी एक जटिल समस्या है। समूचे विश्व के 25 करोड़ बाल मजदूरों में से एक तिहाई मात्र भारत में ही हैं। तेजी से हो रहे नगरीकरण भी बाल मजदूरी को बढ़ा रहा है। लाखों बच्चे खतरनाक उद्योग-धंधों में कार्यरत हैं अथवा बंधुआ मजदूर हैं। वहाँ बच्चों से औसतन 10 से 12 घंटे तक रोज काम कराया जाता है। सबसे ज्यादा बाल मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

समाज में अनेक स्थानों पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें हिंसा एवं शोषण का निरंतर सामना करना पड़ता है। भारत में अधिकांश माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक अपने बच्चों के साथ मार-पीट करते हैं। स्कूलों में भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ छात्र/छात्राओं की पिटाई करते हैं। ऊँच-नीच, जाति-धर्म के आधार पर बच्चों से भेदभाव किया जाता है।

भारत में बालश्रम नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। बाल मजदूरी प्रथा प्राय: अवैध होती है और बाल मजदूर मजबूर व लाचार परिवारों से संबंध रखते हैं। साथ ही वे अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे होते हैं। इसीलिए कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन एवं हड़ताल आदि भी नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से हुई क्षति हेतु वे मुआवजे की माँग भी नहीं करते।

हर वर्ष हजारों बच्चों का खरीद-फरोख्त करके देश के एक राज्य से दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। इन बच्चों को जोर-जबर्दस्ती कर बाल मजदूरी की दलदल में धकेल दिया जाता है। इन्हें गुलाम बनाकर कठोर से कठोर श्रम करवाया जाता है। कई बार तो ऐसे भी मामले आए हैं कि इन बच्चों को अपंग बनाकर इनसे भीख भी मँगवायी जाती है एवं बालिकाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। उनसे वेश्यावृत्ति करायी जाती है। पड़ोसी देश बांग्लादेश व नेपाल से भी खरीद-फरोख्त के जरिये हजारों बच्चे लाये जाते हैं। देश के पिछड़े इलाकों एवं हाशिए पर पड़े समाज के बच्चों का खरीद-फरोख्त सबसे अधिक होता है। धीरे-धीरे यह एक धंधे में परिवर्तित हो गया है।

भारत में बाल मजदूरी बढ़ने के पीछे असंगठित क्षेत्र में अधिक मात्रा में मजदूरों का होना भी एक कारण है। जो मजदूर अपने कठोर श्रम से बड़ी-बड़ी इमारतें बनाता है, उसे जीवन भर खानाबदोश की जिंदगी बितानी पड़ती है। मालिकों या ठेकेदारों द्वारा उन्हें रहने के लिए टीन की शेड, झुग्गी-झोंपड़ी बनाकर दिए जाते हैं। काम समाप्त होते ही उनका यह आवास भी समाप्त हो जाता है।

जब भारत सरकार द्वारा नोटबंदी एवं जी एस टी के अमल के निर्णय लिए गए, उनसे सबसे अधिक मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ। नोटबंदी एवं जीएसटी लागू होने से कई कल-कारखाने, उद्योग-धंधे बंद हो गये, जिससे मजदूरों का तो बंटाधार हो गया। लाखों मजदूरों की रोजी-रोटी चली गई। इसके बाद बचा-खुचा कसर कोविड-19 वाइरस ने पूरा कर दिया। लॉकडाउन होने के बाद बहुत से नियोजकों, मालिकों एवं दूकानदारों के द्वारा मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वयस्क मजदूरों के साथ अनेक अन्याय होते रहते हैं, तो बाल व महिला मजदूरों की क्या हालत होती होगी। कल्पना मात्र से मन सिहर उठता है।

बाल मजदूरी उन्मूलन के प्रयास:

बाल मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के प्रयास वर्षो से किए जा रहे हैं। लेकिन सरकारी इच्छाशक्ति, भ्रष्टाचार व सामाजिक बुराइयों की वजह से सारे प्रयास असफल हो जाते हैं और इस क्रम में कोई ठोस, सार्थक एवं कारगर उपाय नहीं निकल पाया है। इसी संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के महानायक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है - 'जब तक देश में लाखों लोग भूखे और अनपढ़ हैं, मैं हर उस आदमी को देशद्रोही मानता हूँ, जो पढ़ने और काबिल बनने के बाद भी उनकी मुसीबतों पर जरा भी ध्यान देने को तैयार नहीं।'

समाज केंद्र एवं राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि बाल मजदूरों की भावनाओं को समझें। उनकी मुसीबतों पर ध्यान दें

एवं बाल मजदूरों के हितों के रक्षार्थ बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों का ठीक से कार्यान्वयन कराएँ, ताकि देश का कोई भी बच्चा भूखा व अनपढ़ न रहे। स्वामी विवेकानंद का कथन है - 'खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही रास्ता है, असंभव से भी आगे निकल जाना।' इसलिए बाल मजदूर भी अपने महत्व को समझें और जीवन के पथ पर सफल होने हेतु प्रयासरत रहें।

बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए भारत में श्रमिक संगठनों, समाज सेवी संगठनों एवं सरकार के द्वारा हर वर्ष 12 जून को 'विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस' मनाया जाता है एवं 1 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस' मनाया जाता है। इस दिन बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ विशाल उत्सव आयोजित होते हैं। संगठन के लोग एवं सरकार के प्रतिनिधिगण बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए बड़े-बड़े भाषण देते हैं। संकल्पों को दोहराते हैं, फिर भी बाल मजदूरी रुक नहीं पा रही है। बाल मजदूरी रोकने के लिए हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि हम जब किसी बच्चे को शोषित होते हुए देखें तो उसकी व्यक्तिगत तौर पर सहायता करें। बच्चों की सुरक्षा हेतु जो समाज सेवी एवं स्वयं सेवी संगठन कार्यरत हैं, उन्हें अपनी सहभागिता एवं सहयोग दें। बाल मजदूरी से मुक्त हुए बच्चों के पुनर्वास एवं उनकी समुचित शिक्षा हेतु सहयोग दें। जनजागरण कार्यक्रमों को आयोजित कर लोगों को बाल मजदूरी की समस्या से अवगत कराएँ एवं उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे आस-पास के सभी बच्चों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करें।

भारत सरकार ने बाल मजदूरी की समस्या एवं उसके निराकरण हेतु उपाय एवं सुझाव देने हेतु वर्ष 1979 में 'गुरुपद स्वामी समिति' का गठन किया था। इस समिति ने बाल मजदूरी की समस्या का सूक्ष्मता एवं गहनता से अध्ययन कर यह तय किया कि खतरनाक जान जोखिम वाले क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाय एवं अन्य अनेक क्षेत्रों में भी इनके कार्य के स्तर पर सुधार लाया जाय। तदुपरांत 'गुरुस्वामी समिति' के सुझाव एवं सिफारिश के अनुसार बाल मजदूरी (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम को भारत सरकार द्वारा सन् 1986 में लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा खतरनाक एवं जोखिम वाले क्षेत्रों में बच्चों को कार्य करने पर रोक लगाई गई।

इस अधिनियम की प्रासंगिकता के कारण वर्ष 1987 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल मजदूर नीति तैयार की। इस नीति के तहत खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरों को कार्य करने पर रोक तो लगाई गई। साथ ही उनके पुनर्वास की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। 10 अक्टूबर 2006 से घरों, होटलों, रेस्टोरेंटों एवं ढाबों में बच्चों से मजदूरी कराने के कार्य को दंडनीय अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख बच्चों को सम्मिलित करते हुए 76 बाल श्रम परियोजनाओं को स्वीकृत किये गये, जिनमें लगभग 1.05 लाख बच्चों को विशिष्ट पाठशालाओं में नामांकित किया जा चुका है।

श्रम मंत्रालय ने योजना आयोग के माध्यम से वर्तमान में 250 जिलों के स्थान पर लगभग 600 जिलों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में सम्मिलित किये जाने हेतु 1500 करोड़ रुपये आबंटित करने का आश्वासन दिया है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 57 खतरनाक उद्योगों, घरों, होटलों, रेस्टोरेंटों एवं ढाबों में काम करने वाले 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जायेगा। वर्तमान में सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जैसी शासकीय योजनाएँ भी लागू की गई हैं। सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक समूचे देश से बाल मजदूरी समाप्त करने की समय सीमा भी निर्धारित की है।

भारत के संविधान की धारा 39 ई के अनुसार समस्त राज्य अपनी नीतियाँ इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों एवं महिलाओं का स्वास्थ्य एवं उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके तथा बच्चों का कम आयु में शोषण न हो। धारा 39-एफ के अनुसार सभी बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र एवं सम्मानजनक स्थिति में विकास के सुअवसर तथा सुविधाएँ दी जाएँगी। साथ ही बचपन व जवानी को नैतिक तथा भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। धारा 45 के अनुसार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर समस्त राज्य 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे।

कोई भी व्यक्ति यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाता है अथवा 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम देता है तो उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक जेल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही उस व्यक्ति पर 20000/- से 50000/- रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है। रजिस्टर न रखे जाने, काम करवाने की समय सीमा तय न करने, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी अन्य उल्लंघनों के लिए इस कानून के तहत 10000/- रुपये तक जुर्माना अथवा एक माह की सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे भी अधिनियम हैं, जिनके तहत बच्चों को काम पर रखने के लिए सजा का प्रावधान है, जैसे फैक्ट्रीज अधिनियम, खान अधिनियम, शिपिंग अधिनियम, मोटर परिवहन श्रमिक कानून आदि।

यदि समाज एवं सरकार एकजुट होकर बाल मजदूरी की समस्या को समूल हल करने की दिशा में प्रयास करें तो निश्चित रूप से बाल मजदूरी का अभिशाप हमारे देश से अवश्य मिट जायेगा।

- टी एच - 11, अपर वैनगंगा कालोनी
शास्त्री वार्ड, सिवनी
मध्य प्रदेश
मोबाइल: +91 9406752797

लेख

कामकाजी महिलाओं के भाग्य लिखने के राह आसान हो

- श्री दिलीप कुमार शर्मा 'अज्ञात' -

'कामगार' इस शब्द से सीधे तौर पर जिस अर्थ का बोध होता है, वह है - काम करने वाला। जब भी हम इसके अर्थ को किसी रूप में सोचते हैं, हमारे मन-मस्तिष्क पर जो छवि उभर कर सामने आती है, वह किसी मेहनतकश-व्यक्ति, जो श्रम बेचता हो, उसकी होती है। इस शब्द का सीधा संबंध बेरोजगारी से उतना नहीं, जितना कि मेहनत से जीने में हैं। वैसे तो 'कामगार' शब्द सीधा जातिवाचक संज्ञा है। लिंग की दृष्टि से यह शब्द पुल्लिंग का होते हुए भी महज पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। कामगार स्त्री के संबोधन में भी इसी शब्द का प्रयोग होता है। उसकी पहचान के लिए इस शब्द के आगे महिला शब्द यथा 'महिला कामगार' का प्रयोग किया जा सकता है।

ऐसे वर्ग के लिए समाज में कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जनाना मजूरा, मजदूर, श्रमिक, दिहाड़ी-मजदूर आदि। कामगारों की मेहनत को घंटों के आधार पर आंका जाता है और तदनुसार मेहनताना दिया जाता है, जिसे दिहाड़ी भी कहा जाता है। कामगार का काम स्थाई नहीं होता, इसीलिए उसके अंदर अपने काम के चले जाने का डर बना रहता है। कामगार अगर महिला हो तो उसका यह डर और भी बढ़ जाता है। क्योंकि उसे काम से बेदखल होने के साथ-साथ सामाजिक असुरक्षा का भय भी सताता रहता है।

कामगार वर्ग को सर्वहारा वर्ग के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्ग मजदूरी के लिए अपने श्रम को बेचता है और श्रम से जो उत्पादन देता है, उसका स्वामित्व उसके पास नहीं होता। महिला कामगारों के संबंध में हम जानते हैं कि वे कितना काम करती हैं। समाज की सभी गतिविधियों में शामिल होकर वे समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं। महिला कामगार अपने घर-परिवार में सुख-समृद्धि के लिए बिना थके दिन-रात काम करती हैं। अक्सर देखा जाता है कि जिन घरों में पति-पत्नी दोनों कामकाजी होते है, वहाँ शाम को घर लौटने के बाद प्राय: पति घर पहुँचकर टी वी देखता है और पत्नी घर के चूल्हा-चौकी में लग जाती है। उसे एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं होता। सुबह उठकर भी उसे यही सब करना होता है। भारतीय महिलाओं को संस्कार की वजह से संभवत: इस तरह के काम से बहुत गौरव महसूस होता है।

मगर कामगार की बात करते ही हमारे मन-मस्तिष्क में उन कामगार महिलाओं की छवि उभर कर सामने आ जाती है, जो दूसरों के घरों में निम्न स्तर के समझे जाने वाले काम जैसे जूठे बर्तन धोना, कपड़े धोना या और भी ऐसे कई तरह के काम करती हैं, जिन्हें करने में सामान्यत: अन्य लोग हिचकते हैं। बदले में इस काम के लिए उन्हें मिलता ही क्या है? अक्सर उन्हें बहुत अधिक काम करना होता है और मेहनताना बहुत ही कम मिलता है और ऊपर से उन्हें गाली-गलौज अथवा डाँट के अतिरिक्त मार भीं सहने पड़ते हैं। ऐसे में एक जरूरी सवाल उठता है कि आखिर इन महिलाओं के लिए मानवाधिकार के मायने क्या हैं?

हमारे देश में महिला कामगारों की संख्या करोड़ों में हैं। औपचारिक क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। अधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि भारत में **4.75** करोड़ घरेलू कामगार हैं, जिनमें शहरी क्षेत्रों में **3** करोड़ महिलाएँ हैं। दिल्ली श्रम संगठन के आँकड़ों के अनुसार तो भारत में **5** करोड़ से भी अधिक घरेलू कामगार हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएँ हैं। बड़े-बड़े शहरों में, अब तो कस्बों में भी लगभग हर तीसरे घर में काम वाली 'बाई' काम कर अपना जीवन यापन करती नजर आती है। कहीं-कहीं महिलाएँ इस तरह के काम से बाहर निकल कर छोटी-छोटी नौकरियाँ भी करती हैं। हालाँकि उनके सामने भी कई तरह की समस्याएँ आती हैं। कानून होने के बावजूद आज भी पुरुषों के बराबर काम करने पर भी महिला श्रमिक को कम वेतन दिया जाता है। एक शोध के अनुसार महिलाएँ अपने कार्यस्थल में पुरुषों की तुलना में अधिक कार्य केंद्रित और ईमानदार पाई गई हैं। फिर भी महिलाएँ निकम्मी और अनुत्पादक कर्मचारी के रूप में जानी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की स्थिति और भी दयनीय है।

कई उद्योगों के मालिकों का मानना है कि किसी महिला के रोजगार पर उसका घर परिवार निर्भर नहीं होता। क्योंकि उसका पति या उसके परिवार के अन्य पुरुष कहीं न कहीं कुछ अवश्य करते रहते हैं। इस तरह से अगर महिलाओं का वेतन बढ़ाया गया तो रोजगार व व्यवसाय दोनों नहीं बचेंगे और यदि ऐसा नहीं हुआ तो महिलाओं की रोजी-रोटी छिन जाएगी। फिर महिलाओं के लिए घर में बैठे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन ठीक इसके उलट मेसर्स मेकेंजी (एक परामर्शदात्री कंपनी) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर मिले और कार्यबल में महिलाओं को अधिक शामिल किया जाए तो **2025** तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद करीब **60** प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मजदूर आंदोलन की देन है। **1908** में **15** हजार महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कार्य घंटों में कटौती और पुरुषों के बराबर वेतन की माँग की थी। उसके बाद **1975** में महिला दिवस को अधिकारिक मान्यता दी गई। तब से संयुक्त राष्ट्र इसे वार्षिक तौर पर एक विषय के साथ मनाना शुरु किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले वर्ष का विषय 'सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर' था।

भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक असंगठित रोजगार देने वाला क्षेत्र है और भारतीय महिलाएँ कृषि में बहु आयामी भूमिकाएँ निभाती हैं। मगर कृषि क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा श्रम मूल्य लगभग आधा मिलता है। आर्थिक लाभ के मामलों में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएँ बहुत पीछे और शोषण की शिकार हैं। उनके पास जानकारियों की कमी है। ये महिलाएँ आज भी बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन से पैसों का लेन-देन करने में काफी पीछे हैं। इसी प्रकार कार्यस्थलों में, यात्राओं में, दूकानों व सार्वजनिक एवं सुनसान स्थानों में कामकाजी महिलाओं को अश्लील हरकतों का सामना करना पड़ता है और महिलाएँ अक्सर इन बुराइयों के खिलाफ कई कारणों से आवाज नहीं उठाती हैं। प्रश्न तो हमारे मन में उठना चाहिए कि हम इन महिलाओं को उचित सम्मान देना कब सीखेंगे?

महिलाओं में मासिक धर्म का होना एक सामान्य प्रक्रिया है। इस समय महिलाएँ शारीरिक और मानसिक रूप से स्वभावतः थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के कारण कहीं-कहीं उन्हें अशुद्ध भी माना जाता है और धर्म की आड़ में उन पर कई प्रकार की बंदिशें लगाई जाती हैं। दिहाड़ी महिला मजदूरों की तो बात छोड़िए, आधुनिक भारत में भी ऐसी परिस्थितियों में कामकाजी महिलाओं को सहानुभूति नहीं मिलती।

महाराष्ट्र गन्ने के लिए एक उपजाऊ क्षेत्र है। जहाँ गन्ने के खेतों में काम करने के लिए साल के छह महीने तक लाखों पुरुष और महिला काम करने आते हैं, जिसके संबंध में एक रिपोर्ट का उल्लेख करना यहाँ समीचीन लगता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजी-रोटी का जरिया खत्म न हो और बिना बाधा काम सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए बहुत सी महिला श्रमिकों ने अपना गर्भाशय निकलवा लिया है। राज्य के कुछ गाँवों में एक भी ऐसी महिला नहीं मिली, जिसका गर्भाशय हो। सरकारी आँकड़ों के अनुसार मात्र वर्ष **2017-18** और **2018-19** के दौरान **4605** महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए, जिनकी उम्र महज **25-30** वर्ष के बीच थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्थिति के लिए उसका परिवार भी सहमत होता है। ये सारे ऑपरेशन प्राइवेट अस्पतालों में हुए थे।

वस्त्र उद्योग में काम करने वाली तमिलनाडु राज्य की महिलाएँ भी अपने आपको बाधा रहित बनाने के लिए यही एक तरीका अपना रही हैं। नतीजतन ये महिलाएँ तेजी से अपनी उम्र खो रही हैं। शारीरिक कष्ट के साथ-साथ इन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

झारखंड की आदिवासी महिलाओं को उत्तर भारत के राज्यों में ईंट-भट्ठों पर काम करते देखा जा सकता है, जो अपने बच्चों के साथ काम पर आती हैं। धूप हो या सर्दी, ये ईंटों के ढेर के पास अपने बच्चे को रखती हैं। खुले में उनको स्तनपान कराती हैं। अपने दुधमुँहें बच्चों को तो ये कामगार महिलाएँ अपनी पीठ पर साड़ी या गमछा से बांध लेती हैं और दिन भर ईंट या मिट्टी की टोकरी ढोती रहती हैं। उनके साथ-साथ उनका बच्चा भी धूल-मिट्टी

फाँकता है और अन्य जोखिमों का शिकार होता है। साथ ही इन महिलाओं को अक्सर यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गालीगलौज व परेशानियों से बचने के लिए कुछ कामगार महिलाएँ अपने बच्चों को असुरक्षित अवस्था में अपने घर पर ही छोड़ कर आती हैं और अक्सर देख-रेख के अभाव में उनके बच्चे दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं के कारण कभी-कभी तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है।

सरकारी कार्यालयों व कारखानों में तो श्रमिकों के बच्चों को रखने के लिए 'डे-केयर सेंटर' अथवा क्रेच शुरु किए गए हैं। लेकिन निजी संस्थानों अथवा छोटे व असंगठित संस्थाएँ ऐसी सुविधाएँ नहीं उपलब्ध कराती हैं और न ही उनके ऊपर इसके लिए कोई सरकारी दबाव होता है। ऐसी स्थिति में कई महिलाएँ इच्छा के बावजूद भी अपना काम बेहतर ढंग से नहीं कर सकती।

सरकारी व निजी क्षेत्रों में डे-केयर सेंटर बनाने की पहल की जानी चाहिए, ताकि महिला कामगारों की संख्या में वृद्धि हो। साथ ही गाँव सभा, नगर निगम, जिला परिषद, राज्यों के समाज सेवा विभाग, महिला मामला विभाग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि जैसे संगठन इस काम में शामिल हो सकते हैं। सभी के संयुक्त प्रयासों से ही इस तरह की पहल को लागू करना संभव है। साथ ही इस देश की कामगार महिलाएँ जो अपने परिवार को आर्थिक रूप से योगदान देने के लिए काम करना चाहती हैं और आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा।

मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ रोटी, कपड़ा और मकान हैं। जीवित रहने के लिए रोटी-कपड़ा जितना जरूरी है, बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा भी उतनी ही जरूरी है। देश का महिला कामगार वर्ग, जो मूलत: गरीब व लाचार वर्ग है, उसे बीमार होने का डर अधिक होता है और एक बार बीमार हो जाने पर यह वर्ग पूरी तरह से टूट जाता है। उसका उबरना मुश्किल हो जाता है।

देश में महिला कामगार वर्ग हेतु चिकित्सीय सुविधा का सर्वथा अभाव है। शहरों में तो कुछ सुविधाएँ हैं, लेकिन गाँवों में तो हालत बहुत ही खराब और चिंतनीय है। अत: महिला कामगार वर्ग के लिए चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। क्योंकि जो वर्ग समाज में सृजन करता है, अपनी सेवाएँ देता है, उस वर्ग की अवहेलना से समाज विखर जाएगा।

घरेलू महिला कामगारों की समस्या भी बहुत विकट है। उन्हें अपने नियोक्ताओं के शारीरिक, मानसिक एवं शाब्दिक अत्याचार अक्सर सहने पड़ते हैं और वे विना दर्द बयान किये सब सह जाती हैं। घरेलू कामगार महिलाओं की यातनाओं में चोरी, छुआछूत और बेजा अत्याचार आदि भी शामिल हैं। घरेलू कामगार महिलाएँ ज्यादातर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी और वंचित समुदाय से होती हैं। उन्हें अपने साथ हो रहे अत्याचार की शिकायत करने पर न सिर्फ रोजी-रोटी छिन जाने का डर रहता है, बल्कि पूरे परिवार के भरण-पोषण की चिंताएँ भी जुड़ी होती हैं। इसलिए वे विद्रोह नहीं कर सकतीं। जो महिला कामगार शारीरिक रूप से अक्षम है, वह किसी अन्य की मदद ले सकती हैं या फिर शिकायत कर सकती हैं। लेकिन भारत की एक साधारण कामकाजी महिला ऐसा नहीं कर सकती।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ) के आँकड़े बताते हैं कि उदारीकरण के अगले दशक में देश में घरेलू कामगारों की संख्या में **120** फीसदी की वृद्धि दर्ज हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही दो-तिहाई भाग महिलाओं की है, जिनमें से अधिकतर झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे देश के पिछड़े इलाकों से आती हैं। अधिकांश घरेलू महिलाएँ अल्पायु में ही काम करना शुरु कर देती हैं। इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिया जाता है। घरेलू कामगारों की बदहाली के लिए मुख्य रूप से सरकारों के उदासीन रवैये को ही जिम्मेवार माना जाता है। इस उदासीनता के कारण मालिकों को शोषण करने की पूरी छूट मिल जाती है।

इस प्रकार की तानाशाही शक्तियाँ औपनिवेशिक काल के आरंभ में अंग्रेजों ने जमींदारों को दे रखी थीं। उन्हें दंड देने का अधिकार भी दे रखा था। मालिकों के पास कार्य घंटों के निर्धारण का पूरा अधिकार होता था और कामगारों द्वारा काम छोड़ने अथवा दूसरे काम की तलाश की कोशिश को अपराध माना जाता था। अर्थात उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से गुलाम बनाया जाता था। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में लगातार कई महीनों तक वेतन न देना, काम छोड़ने में बंदिशें लगाना, अन्य प्रकार के शोषण आदि घरेलू महिला कामगारों को एक प्रकार से बंधुआ मजदूर बनाने के समान ही हैं।

सरकार व समाज जब तक कामगार महिलाओं के संघर्ष को अपना संघर्ष नहीं बनाएँगे, तब तक समाज में असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। असली लड़ाई तो सोच की है, जिसे खत्म कर अमीर-गरीब, मालिक-नौकर के भेदभाव खत्म करने होंगे। तभी समाज में चहुँओर समानता आएगी और इसके लिए समूचे समाज को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। तभी कामकाजी महिलाओं के भाग्य लिखने के रास्ते आसान हो सकेंगे तथा महिला कामगारों के प्रति सहानुभूति की सार्थकता सिद्ध होगी।

- शिक्षक, हेजेलवुड स्कूल
साँढा, हेमनगर, छपरा सारण-**841301**
मोवाइल: **+91 9471678183**

लेख

लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याएँ

- श्री विगुल्ल वावु -

भारत की 130 करोड़ की आवादी में से अधिकांश लोग गरीव हैं, जिनका पेशा या तो कृषि है या मजदूरी। इसी से वे अपना घर-परिवार चलाते हैं। यदि उन्हें एक दिन भी काम अथवा मजदूरी नहीं मिली तो उस दिन उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है।

रोजगार के लिए ये मजदूर अपने गाँव छोड़कर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद जैसे महानगरों एवं पास के छोटे शहरों में जाते हैं, जहाँ भवन निर्माण, कल-कारखाने, दूकान, होटल, वाजार, परिवहन आदि में इनका अत्यधिक योगदान होता है। इन मजदूरों के वगैर महानगरों का निर्माण एवं जीवन लगभग असंभव है। मुंबई में जहाँ कई अरवपति रहते हैं, वहीं पास के झोंपड़-पट्टियों में गंदी नालियों के वगल में प्रवासी मजदूरों का जीवन चलता है। इनकी कमाई पर बूढ़े माता-पिता सहित अपने वीवी-वच्चों की जिम्मेदारियाँ टिकी होती हैं। हालाँकि समाज में किसी भी उलट-फेर का प्रभाव सबसे अधिक इनके ऊपर ही पड़ता है। चाहे वह सूखा हो या वाढ़ या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा। परेशानियाँ इन्हें ही अधिक झेलनी होती हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण के शुरुआती दौर में भारत सरकार ने पूरे देश में 25 मार्च से 21 दिन का 'लॉकडाउन-1' ऐलान किया था। इस दौरान कारखाने, होटल, दूकान, वाजार सब बंद हो गए थे। संपन्न लोगों को कुछ खास परेशानी नहीं थी, पर जो लोग दैनिक मजदूरी पर निर्भर थे, उनकी परेशानियाँ दिन-व-दिन बढ़ती गईं। कहीं काम न मिलने के कारण मजदूरों को दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया था। 'होली' की छुट्टियों से लौटे मजदूरों का जेब खाली था। मालिकों से लिया हुआ उधार न चुका पाने के कारण नया उधार भी नहीं मिल रहा था। दूकानें बंद होने से रसोई का सामान मिलना मुश्किल हो गया। यदि कोई दूकान खुली भी होती तो इन्हें उधारी पर सामान देनेवाला कोई नहीं था, क्योंकि इनकी कोई साख नहीं होती। ऐसी दर्दनाक स्थिति में प्रवासी मजदूर कम से कम वेतन में कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कोई काम भी नहीं मिल रहा था।

जीवन और मृत्यु के वीच जूझते मजदूर जो अपने गाँव चले गये, उनके लिए घरों में रहकर परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया। विना काम-धंधे और दाना-पानी के उन्हें जेल के कैदियों की तरह घर में बंद रहना पड़ा। पेट भर भोजन न मिलने के कारण खिलखिलानेवाले वच्चों के चेहरे मुरझा गए थे। उनके मासूस चेहरों पर खुशी की जगह दु:ख नजर आने लगा। मानो जैसे 'कोरोना वायरस' ने उनके जीवन को उजाड़ कर रख दिया हो।

प्राय: प्रवासी मजदूर किराए के मकानों में रहते हैं। 'लॉकडाउन' के कारण घर का किराया न चुकाने के कारण मकान मालिक उन्हें घर छोड़ने पर मजवूर करने लगे। हालांकि केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन में घर के मालिकों से किराया माफ करने या कुछ दिनों के लिए टाल देने का आदेश दिया गया था। अधिकतर मालिकों ने इसे नजरंदाज किया और जो लोग किराया नहीं दे पाये, उन्हें घर से वेघर होना पड़ा था।

मजदूरों के बढ़ते मुश्किलों को देखकर कुछ सहृदय लोग व सामाजिक संगठनों ने उनकी मदद की। सड़कों पर भोजन बाँटा गया, जिसके लिए सैकड़ों प्रवासी मजदूर लाइन में खड़े रहकर दो या तीन घंटे इंतजार करते थे। कड़ी धूप में भोजन के लिए खड़ा रहना पड़ता था। फिर भी अधिकतर लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता था। यदि मिला भी तो वह 'ऊँट के मुँह में जीरा' के समान था, जो लोग पंक्ति के आखिर में थे, भोजन समाप्त होने के कारण उन्हें खाली हाथ बहुत ही दु:खी होकर लौटना पड़ता था। इस तरह की कई त्रासदियों को देखा गया। कई जगह प्रवासी मजदूर व उनके बच्चे सड़कों व गलियों में भीख माँगते हुए नजर आए। मजदूर अक्सर स्वाभिमानी होते हैं, परंतु 'कोरोना वायरस' ने उन्हें लाचार बना दिया था। बहुत लोग बीमार हो गए, उनके इलाज का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। 'वायरस' से भयग्रस्त अनेक अस्पतालों ने अपनी सेवाएँ बंद कर दी थीं।

इसी बीच सरकार ने 19 दिनों वाले एक और लॉकडाउन

की घोषणा कर दी। इससे प्रवासी मजदूर और भी हताश हुए और अपना संयम खोने लगे। ये मजदूर जिन कंपनियों व कारखानों में काम करते थे, उनके मालिकों ने भी उनके बुरे वक्त के समय साथ नहीं दिया। बहुतों के तो वेतन भी नहीं दिए गए। लॉकडाउन के कारण छोटे-मोटे काम व व्यापार करने वाले प्रवासी मजदूरों का संयम टूट गया। उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि ये कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ और काम-धंधा, जिनसे उनकी रोजी-रोटी का जुगाड़ होता था, वे कितने दिनों तक बंद पड़ी रहेंगी।

इसलिए वे अपने घर एवं गाँव लौटने को छटपटाने लगे। क्योंकि उनकी स्थिति 'आगे कुँआ-पीछे खाई' जैसी हो गई थी। यदि वे यहाँ रहेंगे तो भूखे मरेंगे, और बाहर निकलेंगे तो कोरोना एवं प्रशासन का भय, ऊपर से यातायात की सुविधाओं का अभाव उन्हें सताने लगा। इसलिए बहुतों ने ठाना कि यहाँ मरने से अच्छा अपने गाँव जाकर मरें और बीबी-बच्चे और पूरे परिवार के साथ पैदल ही चलने का फैसला ले लिया।

यहीं से शुरू हुई असली दर्द, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं था। अप्रैल-मई के दौरान **50** डिग्री के तापमान में छोटे बच्चों, बुजुर्गों के साथ सिर पर सामान लेकर पैदल चलना किसी नरक से कम नहीं था। ऐसी स्थिति में लोग ट्रक, लॉरी, साइकिल, जो मिला उसी से अपने गाँव के लिए निकल पड़े। जिन्हें कोई साधन नहीं मिला, उन्हें पैदल ही अपनी यात्रा तय करनी पड़ी।

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों में मजदूरों ने ट्रेन चलाने की माँग करते हुए आंदोलन शुरु किया। लेकिन बेचारे मजदूर यह समझ नहीं पाये कि उनके इस तरह अधिक संख्या में इकट्ठा होने से 'वायरस' के फैलने का खतरा हो सकता है।

एक ओर सड़क मार्ग से हजारों मजदूर लाइन लगाकर अपने-अपने गाँव की तरफ निकल पड़े, तो दूसरी ओर बहुत से लोग ट्रेन की पटरियों से चलना आरंभ किया, ताकि मंजिल तक आसानी से पहुँच सके। किसी का गाँव शहर से कोई **25-50** किलोमीटर के फासले पर था तो किसी का **1000**, **2000** या **3000** किलोमीटर दूर था। किसी को दिल्ली से **200** किलोमीटर दूर जाना था तो किसी को **500** किलोमीटर दूर स्थित झाँसी जाना था और किसी को बरेली जाना था तो किसी को रांची। कई लोग मजबूर होकर पैदल ही जाने लगे।

देश की आर्थिक राजधानी 'मुंबई' के हर इलाके में झोपड़ पट्टियाँ हैं, जिनमें देश के हर कोने से जीविका कमाने के उद्देश्य से आए हुए लाखों प्रवासी मजदूर थे। 'कोरोना' ने उन सब को पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। इस बार भी **1** मई **2020** को भी मजदूर दिवस आया, लेकिन मजदूरों की हालत इस बार अलग थी।

'राजस्थान' के दिहाड़ी मजदूरों का एक दल 'उत्तर प्रदेश' के 'औरहिया' के लिए पैदल निकला था। बीच में उन्हें एक ट्रक मिली, सवारी मिलने की खुशी में सारे मजदूरों के चेहरे खुशी से खिल गये। उन्हें आस थी की सुबह का सूरज गाँव में ही देखेंगे। उन्हें पता नहीं था कि उनके लिए कभी सूर्योदय ही नहीं होगा। रात के अंधेरे में **3.30** बजे नेशनल हाइवे पर ट्रक डी सी एम की दुर्घटना हुई, जिसमें **24** मजदूरों की मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा के सोनीपत के लिए यमुना नदी पार करनेवले **40** मजदूरों को पुलिस ने वापस जाने को मजबूर किया तो वे अपना सामान सिर पर रख कर वापस निकल पड़े। यमुना नदी में डूबने से उनकी जानें भी जा सकती थीं। दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए निकली महेश्वरी नामक एक गर्भवती महिला की सड़क पर ही डेलिवरी हो गयी थी। वह महिला अपने नवजात शिशु को गोद में लिए उसी अवस्था में अपने गाँव के लिए पैदल निकल गई। अब्दुल नामक एक मजदूर ने अहमदाबाद से उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले स्थित अपने घर तक **1100** किलोमीटर की दूरी ज्यादातर पैदल ही तय की थी। **14** दिन बाद वह अपना गाँव पहुँचा, लेकिन वहाँ क्वारंटाइन होने के बाद उसकी मौत हो गयी थी।

मध्य प्रदेश के सीधी के मनीष नामक पेंटर ने दूसरे चरण के लॉकडाउन के बाद मुंबई से **1400** किलोमीटर दूर अपने घर पैदल ही जाने का फैसला किया था। उसके साथ और **50** मजदूर थे। मनीष खाली पेट ही चल पड़ा था। **60** किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूणे में उसकी मौत हो गयी थी। नागपुर का एक मजदूर अपनी पत्नी एवं दो बेटियों के साथ आंध्रप्रदेश के कर्नूल जिले स्थित अपने गाँव कोणप्पा तक की यात्रा पैदल ही तय करने का निर्णय लिया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

गुजरात के वापी का मजदूर जाधव गोगोई असम के नागाँव जिले का मूल निवासी था। **27** मार्च को घर के लिए पैदल निकला जादव **25** दिन में **2800** किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद **18** अप्रैल को घर पहुँचा। लेकिन उसका यह सफर किसी नरक से कम नहीं था। महाराष्ट्र के जालना के स्टील कंपनी में काम करनेवाले **19** मजदूर मध्य प्रदेश के शाडोल के लिए रेल की पटरियों के रास्ते पैदल निकले। रात को पटरियों पर ही लेट गये। डर नहीं था, क्योंकि रेलगाड़ियाँ नहीं चल रही थीं। **8** मई की सुबह **5.30** बजे निकली एक माल गाड़ी के नीचे दबकर कुल **16** मजदूरों की मौत हो गई थी। उन्हें घर जाने की आस थी, लेकिन पटरियों पर ही उनकी साँस रुक गई। विडंबना तो यह है कि इस हादसे के बाद भी हजारों लोग पटरियों के रास्ते ही अपने-अपने घर के लिए निकले थे।

कोलकाता से अपने गाँव के लिए निकले एक मजदूर ने किसी की साइकिल चुराकर एक पत्र छोड़ दिया कि 'मैं आपकी

साइकिल ले जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना। मुझे इंदौर तक जाना है। मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरा बेटा विकलांग है।' इसी तरह तेलंगाना के करीमनगर का रमेश कुमार, जो अपनी पत्नी एवं दो बेटों के साथ बंगलूर में रहता था, **800** किलोमीटर की दूरी तय करने निकल पड़ा। तेज धूप व पानी के अभाव में उसके **4** साल के बेटे ने दम तोड़ दिया था। लेकिन अपनी बीबी से यह बात छिपाई, क्योंकि गाँव अभी **50** किलोमीटर दूर था।

केरल के तिरुवनंतपुरम के मुत्तुस्वामी नामक मजदूर तमिलनाडु के मदुरै के लिए निकल पड़ा। कोई गाड़ी न मिलने से वह अपनी पत्नी, बहन और चार वर्ष की बच्ची के साथ साइकिल से ही निकल पड़ा। वह एक मॉल में काम करता था। मॉल बंद होने से उसे खाने के लाले पड़ रहे थे। रही सही हिम्मत मकान मालिक ने तोड़ दी थी। भूख के डर से वह घर के लिए निकल पड़ा। ऐसे कई मजदूर अपने बाल-बच्चों के साथ पैदल ही निकल पड़े थे। यात्रा के दौरान उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। इसके बावदूर उनकी सफर नहीं रुकी थी। भूख और प्यास से बीमार हो गये थे। फिर भी अपने नन्हें बच्चों को कंधों और सिर पर बिठाकर अपनी यात्रा पर निकल गये थे।

बूढ़े बुजुर्गों का सफर और भी मुश्किल था। उन्हें साइकिल पर या लकड़ी के सहारे बंधे झूले में बिठाकर लोग ढोते हुए ले जा रहे थे। अपाहिजों को हाथों या कंधों पर बिठाकर सफर कर रहे थे। कड़ी धूप से रास्ते में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उन्हीं वहीं दफनाकर बाकी लोग आगे के लिए निकलने लगे थे। तेज धूप के डर से लोग झाड़ों के नीचे आराम कर, रात के समय निकलते थे। अंधेरे में उन्हें दुर्घटना का डर नहीं था, लेकिन भूख का डर जरूर था। खाने के लिए बिस्कुट, चूड़ा, मुरमुरे के सिवाय उनके पास कुछ नहीं था। रास्ते में यदि कोई रोटी या खाना बाँट देता तो उसी से अपनी भूख मिटाते थे। कुछ लोग पानी पीकर पेट की आग बुझा लेते थे। पटरियों के सहारे चल रहे मजदूरों को रात के समय घने जंगलों में पटरियों पर ही सोना पड़ता था, जहाँ उनके लिए पानी मिलना भी मुश्किल था। सफर के दौरान उन्हें कई गाँवों से गुजरना होता था। लेकिन कोरोना के डर से कोई इन्हें खाना या पानी नहीं देता था।

ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग **1000** बसों की व्यवस्था की, जिनसे लॉकडाउन के कारण गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ एवं अन्य जिलों की सीमाओं पर फँसे कई मजदूरों को अपने गाँव एवं घर तक पहुँचने में मदद मिली। साथ ही इन प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं।

लॉकडाउन के दौरान ओदीशा के लगभग **20** निवासी, जो कोयंबत्तूर के वस्त्र निर्माता लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड में मजदूरी करते थे, कोयंबत्तूर के अनूर रोड में फँस गये थे। उनके पास न पैसा था और न ही खाने के लिए कुछ बचा था। इनमें से बौद्ध जिले के खमर गाँव का निवासी सनातन मलिक नामक एक मजदूर ब्रेन ट्यूमर से परेशान था, जिसे शीघ्र चिकित्सा की जरूरत थी। ऐसे ही कई मजदूर विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित थे। इन सभी को तत्काल मदद पहुँचाना राज्य सरकार के लिए भी कठिन था। ऐसी संकट की घड़ी में कोविड-**19** के संकटकालीन समस्याओं से गुजर रहे लोगों की सहायता हेतु बने व्हाट्स एप ग्रूप 'ओदीशा डिसास्टर मिटिगेशन मैपिंग एंड इंटरवेंशन इनीशिएटिव फॉर कोविड-**19**' के सदस्यों ने राज्य सरकार से संबद्ध प्राधिकारियों से संपर्क किया और मजदूरों को चिकित्सा सेवा एवं उन्हें भोजन व पानी उपलब्ध कराने में सहयोग दिया।

साथ ही फिल्मी अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में फँसे विभिन्न क्षेत्रों के लगभग **60,000** मजदूरों के लिए 'घर भेजो' अभियान के तहत बसों की व्यवस्था की और उन्हें अपने गाँव एवं घर पहुँचने में सहयोग दिया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन लगभग **45000** मजदूरों को खाना और पानी उपलब्ध कराया। ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के कारण केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों को मजदूरों की समस्याओं को दूर करने में सहयोग मिला।

- **2-84**, कालेपल्लि
वेज्जंकि, सिद्दिपेट-**505528**
मोबाइल: **+91 9885501655**

लेख

महिला कामगार एवं उनकी समस्याएँ

- जनाब ताहिर अलास -

प्राचीन काल में महिला को देवी का दर्जा प्राप्त था। इसके बावजूद उनकी हालत किसी राजा-महाराजा की दासी के समान ही थी। मध्यकालीन भारत में भी महिलाओं की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और व्यावहारिक रूप से बहुत खराब थी। महिलाओं को सती प्रथा और परदे में रहने जैसे बंधनों में बंधकर रहना पड़ता था।

कामगार एक ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञानों और साधारण बातचीत में वैसे लोगों के वर्णन के लिए होता है, जो निम्न स्तरीय कार्यों में लगे होते हैं। इस अर्थ का विस्तार बेरोजगारी या औसत से निम्न आय वाले लोगों तक भी होता है। अपनी परंपरागत घरेलू कामकाजी छवि को तेजी से बदल कर महिलाएँ आज किसी परिचय की मोहताज नहीं रह गई हैं और न ही आर्थिक स्वावलंबन के मामले में किसी से पीछे हैं। सर्वोच्च कंपनियों से लेकर खेतीकिसानी में भी वे अपना योगदान दे रही हैं।

भारत की लगभग पचास प्रतिशत आबादी माहिलाओं की है। देश में करीब तेरह करोड़ महिलाएँ श्रमिकों के रूप में काम करती हैं। शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में महिला श्रमिकों की संख्या कहीं अधिक है। इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है। मगर इनमें से ज्यादातर महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जिनकी मजदूरी और अन्य सुविधाओं में बहुत भेदभाव किया जाता है। उनकी बुनियादी जरूरतों और पोषण, स्वास्थ्य तक का उचित ध्यान नहीं रखा जाता है।

देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान में महिला श्रमिकों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। महिला मजदूर वर्तमान समाज में शोषित तो हैं ही, साथ ही उन्हें महिला होने के नाते दोहरे शोषण का शिकार बनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही भारत की महिलाओं का है। आधुनिक युग में महिला हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। सेना विभाग, रेल, पत्रकारिता, फिल्मी दुनिया, राजकीय क्षेत्र, घरेलू कामगार के साथ देश-विदेश के हर क्षेत्र में महिलाएँ कार्य कर रही हैं। लेकिन आज भी महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

घरेलू कामगार महिलाओं की स्थिति:

घरेलू कामगार महिलाएँ आजीविका के लिए सुबह से शाम तक लगातार कार्य करती हैं। सुबह उठ कर पहले अपने घर का काम करती हैं, उसके बाद दूसरों के घर काम करने जाती हैं। दिन भर काम करने के बाद वापस घर आ कर अपने घर का काम संभालती हैं। काम के अत्यधिक बोझ के कारण उन्हें अक्सर पीठ दर्द, थकावट, बरतन माँजने व कपड़े धोने से हाथों और पैरों की उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें काम करना पड़ता है। घरेलू कामगार महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या उनके किसी संगठन का न होना है। इस कारण अपने पर होने वाले अत्याचार का विरोध नहीं कर पाती हैं। इनकी माँगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग इसी का फायदा उठाते हैं। घरेलू महिला कामगारों को श्रम का सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है। ज्यादातर घरेलू कामगार महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित समुदाय से होती हैं। उनकी यह सामाजिक स्थिति भी उनके लिए विपरीत स्थितियाँ पैदा करती हैं। इनके साथ यौन उत्पीड़न, चोरी का आरोप, गालियों की बौछार या घर के अंदर शौचालय आदि के उपयोग की मनाही तथा छुआछूत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त काम के दौरान हुई दुर्घटना, छुट्टी, मातृत्व अवकाश, बच्चों का पालन, बीमारी की दशा में उपचार जैसी कोई सुविधा हासिल नहीं हो पाती है।

घरेलू कामगार महिलाओं की समस्याएँ:

देश में लाखों घरेलू कामगार महिलाएँ हैं, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था में इसे गैर-उत्पादक कामों की श्रेणी में रखा जाता है। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू कामगारों के योगदान का कभी कोई सही आकलन नहीं किया गया, जबकि इनकी संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। अक्सर महिलाओं को कार्यस्थल पर

शौचालय की कमी से दोचार होना पड़ता है। बच्चों को सुलाने या दूध पिलाने की जगह उपलब्ध नहीं होती। असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा नहीं होती। इन्हें मजदूरी दर, काम के घंटे, नियम आदि की भी समस्याएँ होती हैं।

महिला और पुरुष की मजदूरी में अंतर:

देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को काफी कम मजदूरी दी जाती है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पुरुष श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी 175.30 रुपए है, वहीं महिलाओं की औसत दैनिक मजदूरी सिर्फ 108.14 रुपए है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी 276.04 रुपए और महिलाओं की 212.86 रुपए है। मजदूरी में इस अंतर से महिलाओं की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।

महिला कामगार की स्थिति में सुधार के कुछ प्रयास:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घरों में काम करने वाली महिलाओं को 'कामवाली बाई' के बदले 'बहन जी' अथवा 'दीदी' के संबोधन से पुकारने की अपील की है। उनका मानना है कि इससे घरेलू काम-काज करने वाली औरतों के सम्मान को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने घरेलू नौकरानियों के महापंचायत के आयोजन का भी आह्वान किया था। उन्हें फोटोयुक्त परिचय पत्र तथा प्रशिक्षण दिए जाने की भी योजना है। महाराष्ट्र और केरल की भांति दिल्ली राज्य सरकार, 'घरेलू कामगार अधिनियम' लागू करने के लिए प्रयास कर रही है।

महिला श्रमबल की भागीदारी में गिरावट:

भारत में महिला श्रम भागीदारी की स्थिति समस्याजनक है। महिला भागीदारी दर वर्ष 1999-2000 में 34.1% से घटकर वर्ष 2011-12 में 27.2% हो गई। इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण भागीदारी दर में व्यापक अंतराल बना हुआ है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी दर वर्ष 2009-10 के 26.5% से घटकर वर्ष 2011-12 में 25.3% हो गई, जबकि इसी अवधि में शहरी महिलाओं की भागीदारी दर 14.6% से बढ़कर 15.5% हो गई है।

महिला श्रमबल की भागीदारी में कमी के प्रमुख कारण:

महिलाओं की भागीदारी का निर्णय और उनकी समर्थता उन विभिन्न आर्थिक व सामाजिक कारकों पर निर्भर होता है, जो पारिवारिक स्तर और स्थूल स्तर पर जटिल रूप से सामने आते हैं। वैश्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता, प्रजनन दर और विवाह की आयु, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों की कमी, और शहरीकरण जैसे घटकों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को निर्धारित किया जाता है।

महिला रोजगार की स्थिति:

शहर में कुल 52.1% महिलाएँ और 45.7% पुरुष कामकाजी हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ नौकरियों में अभी भी पुरुषों से पीछे हैं, हालाँकि पिछले छः वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दुगनी हुई है और यह 5.5% से 10.5% तक पहुँच गई है। शहरी कामकाजी महिलाओं में से 52.1% नौकरी पेशा, 34.7% स्वरोजगार तथा 13.1% अस्थायी श्रमिक हैं।

आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महिलाओं का योगदान:

आपने अक्सर देखा होगा कि नौकरी या कोई रोजगार न करने वाली माँ, बहनें, बीवी थोड़ेथोड़े रुपये जोड़कर रखती हैं। कुछ महिलाएँ ऐसी भी होती हैं, जो आटे, चावल के डिब्बे में रुपये बचाकर रखती हैं। उनके बचाये हुए ये ही रुपये कभी-कभी घर की बड़ी जरूरतों में काम आते हैं। ये तो वो महिलाएँ हैं, जो खुद पैसे नहीं कमाती हैं, लेकिन इन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उससे ही ये घर की कई मुसीबतें आसान कर देती हैं। अगर हर घर की महिला कामकाजी हो जाए और पैसे कमाने लगे तो परिवार की आर्थिक परेशानियाँ कितनी आसानी से दूर हो जाएँगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड ने 'विमेन एंपॉवरमेंट इन इकोनॉमिक गेम चेंजर' कार्यक्रम में कहा था कि भारत की राष्ट्रीय आय में 27% की वृद्धि हो सकती है, यदि यहाँ के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए। लेकिन फिलहाल यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार वित्त वर्ष 2005-06 में 36% महिलाएँ कामकाजी थीं, जो 2015-16 में घटकर 24% हो गई, जबकि भारत में 2006 में महिलाओं की साक्षरता दर 50.82% थी, जो 2015 में बढ़कर 62.98% हो गई। यानी 10 वर्षों में महिलाओं के रोजगार में 12% की कमी और साक्षरता में 12% की बढ़ोत्तरी हुई।

निष्कर्ष :

अंत में यह कहना आवश्यक होगा कि अगर हमें देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो महिलाओं की इन समस्याओं का निवारण कर उन्हें हर क्षेत्र में भागीदार बनाना होगा। देश की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को साक्षर बनाने से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं को कारगर बनाना होगा। समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक बनानी होगी। स्वरोजगार महिलाओं को सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना होगा। वैसे देश-विदेश में कार्यरत विभिन्न 'एन जी ओ' संगठनों ने महिलाओं के सामाजिक व राजनैतिक अधिकारों, औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले ऊँच-नीच से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कई महिला संगठन बनाये हैं। जब महिलाओं को समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त होंगे, तभी भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

- डाकघर: हनगंडी, जमखंडी तालुक
जिला बागलकोट-587315
कर्नाटक
मोबाइल: +91 8861132677

लेख

प्लेसमेंट एजेंसियों पर ही नियंत्रण नहीं, जरूरी है नियोक्ता पर भी नजर

- डॉ सीताराम गुप्ता -

आजकल के समाचार पत्र लूट-पाट, डकैती, हत्या, गवन, धोखाधड़ी, बलात्कार व अन्य विभिन्न अपराधों की खबरों से भरे होते हैं। लड़कियों के अपहरण और बलात्कार जैसी असंख्य घिनौनी हरकतें रोज ही सुनने को मिलती हैं। जितनी सुनने में आती हैं, उससे कई ज्यादा अनसुनी रह जाती हैं या दबा दी जाती हैं। जो भी हो स्थिति भयावह है। ऐसी हरकतें सभ्य कहे जाने वाले समाज पर कलंक हैं। पुलिस, प्रशासन और समाज सब के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान नितांत अपेक्षित है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई अथवा अन्य महानगरों के किसी भी खाते-पीते परिवार में घरेलू कामकाज के लिए मेड या सर्वेंट का पाया जाना स्वाभाविक है। मेड या सर्वेंट की उम्र भी प्राय: कम ही होती है। कानूनन चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इसके बावजूद चौदह वर्ष से कम उम्र के असंख्य बच्चे घरों और कारखानों में कार्यरत हैं। क्या कारण है कि लोग कानून की भी परवाह नहीं करते? फिर ये चौदह वर्ष से कम या इससे अधिक उम्र के बच्चे (लड़के और लड़कियाँ) आते कहाँ से हैं और कौन इन्हें लाता है?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई अथवा अन्य महानगरों के अधिकतर परिवार एकल परिवार हैं। लगभग सभी घरों में पति-पत्नी दोनों नौकरी अथवा किसी व्यवसाय में लगे होते हैं। जहाँ घर के बड़े-बुजुर्ग हैं, वे भी या तो कुछ न कुछ काम-धंधा करते हैं अथवा अशक्त हैं। वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ है। ऐसे में घरेलू कामकाज के लिए कोई फुलटाइम मेड या सर्वेंट रखना उनकी आवश्यकता बन चुकी है। वह जमाना वीत चुका है, जब एक उच्च पदस्थ कामकाजी महिला भी रसोई का पूरा काम संभालती थी। एक महानगर की अत्यंत व्यस्त और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में यह संभव ही नहीं रह गया है।

दिल्ली में दस-बारह साल से लेकर बीस-पच्चीस साल तक की लड़कियाँ मेड के तौर पर काम कर रही हैं, जिनकी संख्या एक लाख से अधिक ही होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब प्रश्न उठता है कि ये लड़कियाँ इन घरों तक कैसे पहुँचती हैं? इसके लिए दिल्ली, मुंबई या दूसरे शहरों में सैकड़ों प्लेसमेंट एजेंसियाँ हैं। ये सभी एजेंसियाँ कहीं भी पंजीकृत नहीं हैं। क्योंकि ऐसा कोई सरकारी विभाग ही नहीं है, जहाँ इनका पंजीकरण जरूरी हो। ऐसे में इनकी सही संख्या का पता लगाना और इन पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। मोटे तौर पर दिल्ली में ही ऐसी एक हजार एजेंसियों तो होंगी ही। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस को इन प्लेसमेंट एजेंसियों के पंजीकरण का काम सौंपा भी गया था। लेकिन उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सका। क्योंकि इस काम के लिए अलग विभाग और अलग से पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता प्रतीत होती है।

मेड रखने का इच्छुक व्यक्ति या परिवार ऐसे ही किसी एक प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क करता है। प्लेसमेंट एजेंसी एक निश्चित राशि के बदले एक निश्चित समयावधि के लिए मेड उपलब्ध करा देती है। एक निश्चित राशि वार्षिक कमीशन के रूप में ली जाती है तथा वेतन प्रतिमाह दिया जाता है। आगे प्रश्न उठता है कि प्लेसमेंट एजेंसी के पास ये लड़कियाँ कहाँ से आती हैं? स्वाभाविक है कि ये लड़कियाँ दिल्ली या पड़ोसी राज्यों की तो हैं नहीं।

ये लड़कियाँ प्राय: छत्तीसगढ़, ओदीशा, झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल राज्यों के अतिरिक्त देश के अन्य पिछड़े इलाकों से होती हैं। इन लड़कियों को इनके गाँवों से अकेले ही सीधे दिल्ली लाया जाता है और इस काम को अंजाम देते हैं दलाल, एजेंट अथवा

बिचौलिये। वास्तव में जिन राज्यों अथवा क्षेत्रों से ये लड़कियाँ आती हैं, वहाँ सुविधाओं की बात तो दूर, पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़े और सर पर सही छप्पर भी नहीं होता। गरीबी, भुखमरी और कई अभावों से त्रस्त व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर गुजरता? दलाल, एजेंट अथवा बिचौलिये इनको काफी सब्ज-बाग दिखाते हैं। पैसे और बच्चे के अच्छे एवं बेहतर रहने का लालच दिखाते हैं, जिससे गरीब माँ-बाप अपने बच्चों को इन दलालों के हाथों में सौंप देने को विवश हो जाते हैं। दलाल बेचारा क्या करे? उसकी भी रोजी-रोटी का सवाल है। जानबूझकर कोई भी गलत या विवादास्पद धंधे में नहीं आना चाहेगा। लेकिन यहीं से शुरु हो जाती है शोषण की प्रक्रिया।

प्लेसमेंट एजेंसी जहाँ क्लाइंट से एक साल के कमीशन के रूप में पंद्रह-बीस हजार रुपये से चालीस पचास हजार रूपये तक ले लेती है, वहीं लड़की के माँ-बाप को कई बार हजार-दो हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिल पाता। वैसे इस तरह लड़कियों को लाना गैर-कानूनी है, फिर भी धडल्ले से लड़कियाँ लाई जा रही है।

कुछ प्लेसमेंट एजेंसियाँ क्लाइंट से जो मासिक वेतन लेती हैं, उसमें से अपना कमीशन काट कर शेष राशि दलाल, एजेंट अथवा बिचौलिये को दे देती हैं और ये सब बिचौलिये अपना-अपना कमीशन काट कर शेष राशि लड़की के माँ बाप को देते हैं। कई बार दलाल, एजेंट अथवा बिचौलिये इतने अधिक हो जाते हैं कि लड़की के माँ बाप को बहुत कम पैसा मिल पाता है। पैसा तो दूर माँ-बाप को यह भी पता नहीं होता कि उनका बच्चा कहाँ है, कैसी हालत में हैं? उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? वह इस दुनिया में है भी या नहीं? बच्चा कहीं गलत हाथों में तो नहीं पड़ गया? इन सब बातों से अनजान वह कुछ रुपये मिलने की उम्मीद में महीनों और वर्षों इंतजार करते रहते हैं। रुपये न सही, उनके बच्चे वापस लौट आ जाय, वही गनीमत होती है। बच्चे नहीं लौट आते हैं तो इंतजार लंबा हो जाता है और इंतजार करने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं बचता।

दूसरी ओर बच्चों पर जुल्म भी कम नहीं किये जाते। लड़कियाँ दिल्ली आ तो जाती हैं, पर यहाँ आकर घबरा जाती हैं। कुछ इतनी छोटी या अशक्त होती हैं कि काम नहीं कर पाती हैं या करना ही नहीं जानतीं। ऐसी लड़कियों के साथ कुछ प्लेसमेंट एजेंसी वाले बड़ी सख्ती से पेश आते हैं। लड़कियों को लाने में ही नहीं, वापस भेजने में भी खर्चा होता है। लड़कियों के माँ-बाप को दिया एड्वांस वापस मिलने की संभावना भी कम ही होती है। अत: इनकी कोशिश रहती है कि मार-पीट और डरा-धमका कर ही सही इन्हें वापस जाने से रोका जाए और काम पर लगा दिया जाए।

कई बार प्लेसमेंट एजेंसी वाले और बिचौलिये इन बच्चियों के साथ बड़ी निर्दयता से पेश आते हैं। जब तक ये काम करने के लिए राजी नहीं हो जातीं, तब तक इन्हें भूखा रखा जाता है और तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कुछ लोग ऐसी लड़कियों को बदनाम गलियों का रास्ता दिखाने से भी परहेज नहीं करते। उन्हें बेच देते हैं और कह देते हैं कि भाग गई हैं। कोई पूछने वाला तो है नहीं। यह एक गैर-कानूनी धंधा है और ऊपर से असामाजिक भी, जिस पर प्रतिबंध की बात करना आसान है, लेकिन सभी से मनवाना मुश्किल एवं असंभव है।

सरकार एवं इन लड़कियों के माँ-बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों को रोटी उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत इनके शोषण का मौका किसी को न दें। उनके आर्थिक, दैहिक शोषण से बचाने के लिए कड़े से कड़े एवं सख्त नियम बनाये जायें। प्लेसमेंट एजेंसी, दलाल, एजेंट अथवा बिचौलिये व उन्हें काम पर रखने वाले परिवार उनका शोषण न कर सकें, इसके लिए निम्नलिखित बातों पर गौर करना जरूरी है:

- लड़कियों के प्लेसमेंट की पूरी प्रक्रिया सरकारी नियंत्रण में हो।
- प्लेसमेंट एजेंसियों और दलालों का पंजीकरण अनिवार्य हो।
- लड़कियों के माँ-बाप को मिलने वाली राशि का भुगतान नकद न होकर चेक के रूप में अथवा सीधे उनके बैंक खाते में हो, ताकि किसी तरह की हेराफेरी न हो।
- काम पर रखने वाले परिवार के लिए भी जरूरी है कि वे बच्चे से कड़ा काम न लेते हुए उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानें।
- उनके लिए भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी चीजों का भी ख्याल रखें।
- साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखे।

घरों में मेड के तौर पर स्थायी रूप से रहनेवाली इन लड़कियों का किसी भी तरह शारीरिक अथवा मानसिक शोषण न हो, यह सुनिश्चित करने में प्रशासन एवं पुलिस की अहम भूमिका होती है। प्लेसमेंट की प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण जरूरी है। प्लेसमेंट एजेंसियों और दलालों अथवा एजेंटों के पंजीकरण के बाद इन लड़कियों को काम पर रखने वाले परिवारों और व्यक्तियों की जाँच करना और उन पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। पुलिस नौकरों की जाँच तो करती है, लेकिन मालिकों की नहीं। यहाँ मालिकों की जाँच भी अपेक्षित है। इस तरह जब प्लेसमेंट एजेंसियों पर प्रशासन एवं पुलिस की निगरानी होगी, तब लाखों की संख्या में कार्यरत इन लड़कियों के साथ न्याय होगा। साथ ही रोजगार के माध्यम से उनकी जरूरतें भी पूरी हो पाएँगी।

- ए.डी.-106-सी, पीतम पुरा
दिल्ली-110034
मोबाइल: +91 9555622323

मुख्यमंत्री राहत निधि हेतु सहयोग

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने कोविड-19 से उबरने के लिए आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री राहत निधि में एक करोड़ रुपये का सहयोग दिया। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ, निदेशक (कार्मिक) श्री के सी दास, निदेशक (वित्त) श्री वी वी वेणुगोपाल राव, निदेशक (वाणिज्य) श्री डी के मोहंती ने 24 अप्रैल, 2020 को आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को ताडेपल्लि स्थित उनके शिविर कार्यालय में सहयोग राशि का विवरण दिया।

एम एम एस एम से नया उत्पाद

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मीडियम मर्चेंट स्ट्रक्चरल मिल से रोल स्टैंड्स को परिवर्तित करते हुए 125×125 एम एम बिलेट बनाये गये। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ ने कहा कि यह आर आई एन एल के लिए एक शुभ अवसर है कि आधुनिक मिल से बाजार की माँग के अनुरूप नया उत्पाद बनाया गया। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एम एम एस एम समूह एवं संकर्म प्रभाग को बधाई दी। कार्यक्रम में निदेशक गण एवं वरिष्ठ प्राधिकारी उपस्थित थे।

गंगाराम गेट का उद्घाटन

आर आई एन एल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नया गंगाराम गेट का उद्घाटन किया। इस मार्ग द्वारा सामग्री हस्तांतरण से प्रत्येक शिपमेंट के लिए लगभग 7-8 लाख रुपये की बचत होगी। इस अवसर पर सभी निदेशकगण, वरिष्ठ प्राधिकारी गण, इस्पात कार्यकारी संघ के प्रतिनिधिगण, श्रमिक संघ, एस सी और एस टी एसोसिएशन, ओ बी सी और विप्स के सदस्य भारी संख्या में उपस्थित थे।

आर आई एन एल में राष्ट्रीय खेल दिवस

29 अगस्त, 2020 को स्वर्गीय मेजर 'ध्यानचंद' की जयंती के उपलक्ष्य में उक्कुनगरम में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों एवं आश्रितों के लिए ऑन लाइन 'योगा' प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। उक्कु स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि एवं संगठन के निदेशक (कार्मिक) श्री किशोर चंद्र दास ने मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

महात्मा गांधी की 151वीं जयंती

आर आई एन एल के उक्कुनगरम में 2 अक्टूबर को 'राष्ट्रपिता' महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात सभी निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी, वरिष्ठ प्राधिकारी गण, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडेंट, श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

'सुगंध' पत्रिका का विमोचन

30 मई, 2020 को संगठन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ द्वारा 'सुगंध' के अद्यतन अंक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने 'सुगंध' के कलेवर, साज-सज्जा एवं उसमें शामिल रचनाओं की सराहना की और यह आशा व्यक्त की कि यह पत्रिका कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की सृजनात्मकता को निखारने में सहयोगी साबित हुई है। साथ ही उन्होंने पत्रिका के सुचारु प्रकाशन हेतु सहयोग का आश्वासन दिया।

वी एस जी एच में कर्करोग विज्ञान विंग उद्घाटित

संगठन के निदेशक (कार्मिक) श्री के सी दास ने विशाखा स्टील जनरल अस्पताल (वी एस जी एच) में कर्मचारी कल्याण पहल के अंतर्गत 'कर्करोग विज्ञान' अनुभाग का उद्घाटन किया, जिसमें होमीभाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के पूर्व-निदेशक डॉ डी रघुनाथ राव सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसके साथ-साथ रेडियालॉजी अनुभाग में कंप्यूटेड रेडियोग्राफी डिजिटाइजर एवं फिल्म प्रिंटर तथा ऑनलाइन प्रणाली का भी उन्होंने उद्घाटन किया।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के संदेश का विमोचन

14 सितंबर, 2020 को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में निदेशक (परियोजना) श्री के के घोष द्वारा संगठन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ के संदेश का विमोचन किया गया। इस अवसर पर श्री के के घोष ने संगठन में संचालित विभिन्न राजभाषा गतिविधियों के प्रति संतुष्टि व्यक्त की। कार्यक्रम में महाप्रबंधक (राजभाषा) एवं प्रशासन प्रभारी श्री ललन कुमार एवं राजभाषा विभाग के सदस्य उपस्थित थे।

संगीत सरिता

की-बोर्ड सीखने की प्रविधि

'जिंदगी न मिलेगी दुबारा' फिल्म के 'उड़े खुले आसमाँ में ख्वाबों के परिंदे' गाने का नोटेशन नीचे प्रस्तुत है। यह गाना राग केदार पर आधारित है। यह गाना A Major में बजता है। 'पल दो पल का साथ हमारा' गाना भी इसी राग पर आधारित है।

आरोह : साम मप पध पप सां
अवरोह : सां धप, मपधप, म रे सा
पकड़ : साम, मप धपम, रे सा

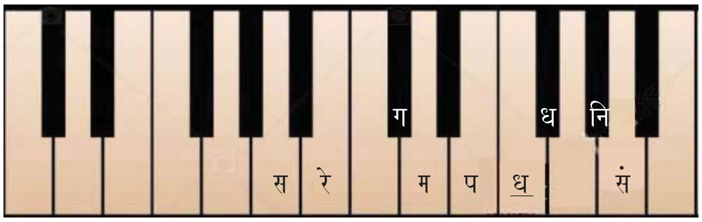

वादी स्वर शुद्ध मध्यम है। इस राग में दोनों मध्यम तीव्र और शुद्ध मध्यम एक के एक बाद लगाने से राग की रंजकता दिखती है।

ग पा ग प ग प मा गा रे सा गा म ग मा ग पा ग प ग प मा गा रे सा गा म ग मा
उड़े खुले आसमाँ में ख्वाबों के परिंदे उड़े दिल के जहाँ में ख्वाबों के परिंदे
प सा नी प पा रे सा रे ग गा
ओहो क्या पता जायेंगे कहाँ
स नि स नि सा स नि स रे रे रे स रे स गा रे रे स रे
खुले हैं जो पल कहे ये नजर लगता है अब है जागे हम
रे स रे स रे रे स रे स रे रे स रे ग रे रे स स
फिकरें जो थीं पीछे रह गईं निकले उनसे आगे हम
सं नी नि धा ध पा पा गा प पा सं नी नि धा ध पा पा गा ध पा स पा सा गा रे रे गा रे स सा
हवा में बह रही है जिंदगी ये हम से कह रही है जिंदगी ओहो अब तो जो भी हो सो हो
ग पा ग प ग प मा ग रे सा गा म गा म ग पा ग प ग प मा ग रे सा गा म गा म प सा नी प प रे सा रे ग गा
उड़े खुले आसमाँ में ख्वाबों के परिंदे उड़े दिल के जहाँ में ख्वाबों के परिंदे ओहो क्या पता, जायेंगे कहाँ
स नि स नि सा स नि स रे रे रे स रे स गा रे रे स रे
किसी ने छुआ तो ये हुआ फिरते हैं महके महके हम
रे स रे स रे रे स रे स रे रे स रे ग रे रे स स
खोई हैं कहीं बातें नई जब हैं ऐसे बहके हम
सं नी नि धा ध पा प गा प पा सं नी नि धा ध पा प गा ध पा स पा सा गा रे रे गा रे सा सा
हुआ है यूँ कि दिल पिघल गये बस एक पल में हम बदल गये ओहो अब तो जो भी हो सो हो
धा सा रें सं सा ध सं रें मं गा रें सं रें सा रें सा नी पा
रोशनी मिली अब राह में है इक दिलकशी सी बरसी
धा सा रें सं सा ध सं रें मं गा रें सं रें सा रें सा नी पा ध ध गा रे धा गा रे स सा
हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी अब जीना हम ने सीखा है
स नि स नि सा स नि स रे रे रे स रे स गा रे रे स रे
याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था
रे स रे स रे रे स रे स रे रे स रे ग रे रे स स
हम हो गये जैसे नये वो पल जाने कैसा था
सं नी नि धा ध पा प गा प पा सं नी नि धा ध पा प गा ध पा स पा सा गा रे रे गा रे सा सा
कहे ये दिल के जा उधर भी तू जहाँ भी लेके जाये आरज़ू ओहो अब तो जो भी हो सो हो
ग पा रे गा रे स सा ग पा रे गा रे स सा
उड़े जो भी हो सो हो उड़े जो भी हो सो हो

इस गाने का नोटेशन सेंट जोसेफ कालेज की छात्रा सुश्री वी अमिता ने दिया है और राग व स्वरों की जानकारी सी आर जी (रीफ्रैक्टरी) के उप महाप्रबंधक श्री रविदास एस गोने ने दिया है।

बीस साल बाद

- श्रीमती सुधा गोयल -

'बीजी, देखो मेरा करन् घर लौट रहा है पूरे बीस साल बाद। मैंने एक ही नजर में पहचान लिया। जरा भी नहीं बदला। सुलेखा-सुचित्रा, तुम भी देखो।' खुशी से उछलती-कूदती अखबार हाथ में लिए सावित्री अंदर भागी।

'सवि पुत्तर, कौन करनू? तू किसके लौटने की खुशी में पागल हो रही है। यहाँ तो कोई करन् नहीं है।' बीजी ने आश्चर्य से पूछा। 'देखो, वही करन् जो बीस साल पहले गुम हो गया था।' कहते हुए सावित्री ने अखबार बीजी के सामने फैला दिया और अंगुली से इशारा कर करन् का चित्र दिखाने लगी। उसकी आँखों में उमड़ी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी या कि बाहर आने को मचल रही थी। उसने बीजी के सामने से अखबार उठाया और करन् के चित्र को पागलों की तरह चूमने लगी।

ये सब देख कर बीजी के दिल में घंटियाँ सी बजने लगीं। वे फौरन समझ गई कि सावित्री क्या कहना चाह रही है। करन् के मिलने के कारण अपनी स्थिति भी भूल गयी है। अचानक जब किसी को ऐसी ही खुशी हासिल होती है तो वह अपने आप को भूल जाता है। जैसे कोई खोया खिलौना मिल गया हो। उन्होंने तुरंत अपना हाथ सावित्री के मुँह पर रख दिया। और नजर घुमाकर चारों ओर देखा कि कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। सावित्री की आवाज कहाँ तक पहुँची होगी? गनीमत है कि मंजीत और रंजीत शाम ही वकील से बात करने शहर चले गए थे और सुचित्रा कालेज गई है। बाई अभी आई ही नहीं।

सावित्री के मुँह से हाथ हटाकर बीजी ने मुँह पर अंगुली रख सावित्री को चुप रहने का इशारा किया और बलवंत उठकर घर का मुख्य द्वार बंद कर आई। तब कहीं सावित्री को ध्यान आया कि करन् के आने की खबर पढ़कर वह तो यह भी भूल गयी कि ये बीस साल पुरानी बात है, जब वह अठारह साल की थी और आज अपनी ससुराल में तीन जवान होते बच्चों की माँ है। उसका घर परिवार है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं। दिल की गहराइयों में छिपा करन् यानि करमजीत सिंह अचानक होंठों पर आ गया। अखबार में छपी तस्वीर को पहचानने में पल भर भी समय न लगा। यदि सुलेखा, सुचित्रा घर पर होतीं तो करन् का क्या कहकर परिचय देती? हाय कैसी दीवानी हो गई वह।

मंजीत यदि घर पर होते तो अपने साथ अखबार ले जाते, जैसे रोज ले जाते हैं। घर पर नहीं थे, तभी बाहर बरामदे में पड़े अखबार को वहीं मूढ़े पर बैठकर पलटने लगी। पहले पृष्ठ पर ही करमजीत सिंह की फोटो छपी है। बीस साल बाद पाकिस्तानी जेल से रिहा हुआ है, जिसे चोरी-छिपे सीमा पार करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने जासूसी के जुर्म में पकड़कर जेल में ठूँस दिया था।

पंद्रह अगस्त को भारत ने कुछ पाक कैदियों को रिहा किया था और बदले में पाकिस्तान ने भी कुछ भारतीय कैदियों को छोड़ा था। पाकिस्तान और भारत की सीमा पर दोनों मुल्कों के कैदियों की अदला-बदली के बाद उन्हें अपने-अपने घर भेजना था। भारतीय कैदियों में करमजीत सिंह भी था। अखबार पढ़कर बीजी ने एक तरफ रख दिया और सावित्री के सिर पर हाथ रखकर बोलीं, 'सच-सच बता सवि कि तू करमजीत को कैसे जानती है?' सावित्री को काटो तो खून नहीं। आज अनजाने में यह क्या कर बैठी? बीस साल तक जिसका नाम जुबान पर नहीं आया, आज अचानक उसी करन् का चित्र देखकर वह अपने जज्बातों पर काबू न रख सकी। उसकी सिसकियाँ बँध गई।

'मुझे माफ कर दो बीजी... मैं पागल हो गई थी।' 'तू डर मत पुत्तर! मेरे रहते तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तू करन् को बहुत प्यार करती थी न। साथ-साथ जीने-मरने की कसमें खाई थीं न? फिर एक दिन बिना किसी को बताए वह सबको छोड़कर चला गया। माँ-बाप ने बहुत खोजा पर मिला नहीं। बेटी, तेरे माँ-बाप ने भी तुझे समझाया कि करन् को भूलने में ही तेरी भलाई है। उनकी आज्ञा मानकर तूने उसकी यादों को दिल में दफन कर लिया। इन बीस सालों में एक बार भी तू उसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाई। तूने बलवंत अपने को घर को जिम्मेदारियों में झोंक दिया। मैं ठीक कह रही हूँ सवि।'

सावित्री आश्चर्य से बीजी की बातें सुन रही थी। 'आप ठीक कह रही हैं बीजी। पर ये सब आपको कैसे मालूम?' 'दुनिया देखी है मैंने। तेरे चेहरे की खुशी और इन आँसुओं ने सब चुगली कर दी कि तूने करन् को टूटकर प्यार किया था। अपने पहले प्यार को कोई भुला नहीं पाता। प्यार में औरत एक साथ दो-दो जीवन जिए जाती है।' 'हाँ बीजी, पर अब क्या करूँ? आप क्या सजा देंगी नहीं जानती, लेकिन सच आपसे छुपा नहीं है।' 'अपनी सजा तू आप चुनेगी। बीस साल की तेरी गृहस्थी या दो साल का बीस साल पुराना प्रेम?'

कुछ पल असमंजस रहा। बीजी ने यह क्या कह दिया। प्यार मैंने किया और उस प्यार की सजा भी मैं ही चुनूँ। बीस साल का वियोग क्या कम बड़ी सजा है? कभी सोचा भी न था कि ऐसे पल भी जीवन में आयेंगे। बीजी ने दोराहे पर खड़ा कर दिया। उसने निर्णय लेने में देर नहीं लगाई। सावित्री ने आँसू पोंछ कर कहा 'मैं कमजोर पड़ गई थी बीजी। अपनी बसी-बसाई गृहस्थी को दो साल के अल्हड़ प्रेम पर कैसे न्योछावर कर दूँ? अब तो यही मेरा स्वर्ग है।'

'शाबाश! पुत्तर मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तू अठारह साल की अल्हड़ किशोरी नहीं, बल्कि अड़तीस साल की भरी पूरी मान-मर्यादा वाली गृहस्थिन है। तेरे साथ तेरे पति और बच्चों का भविष्य जुड़ा है। पत्नी का सम्मान देने में मंजीत ने भी कभी कोई कमी नहीं की। हम सबने तुझे सिर आँखों पर रखा। प्यार करना बुरा नहीं, लेकिन प्यार की खातिर बसा-बसाया घर उजाड़ने में बुराई है। हो सकता है, इतने सालों में तेरा करन् ही तुझे भूल गया हो। अब इस उम्र में करन् के साथ जाकर जग-हँसाई और कुल-कलंक के सिवा क्या मिलेगा। फिर भी, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। तूने सच छुपाया नहीं। तेरे चेहरे पर दुख की रेखाएँ हैं। तूने आज तक इस घर को वह सब दिया, जिसकी इस घर को अपेक्षाएँ थीं। पर अपने लिए कभी कुछ नहीं माँगा। आज बता तुझे क्या चाहिए मैं दूँगी।'

अविश्वास से सावित्री ने सास की ओर देखा। एक ममतामयी माँ वहाँ विराजमान लगी। कुछ कहने के लिए सावित्री के होंठ फड़फड़ाए, मगर आवाज निकल न सकी। 'अपनी माँ पर विश्वास कर बोल बेटी।' 'बस आप मुझे क्षमा कर दें बीजी।' 'क्षमा तो मैं तुझे कर चुकी। कुछ और चाहिए तो बता।' 'माँ बस एक बार करन् को देखना चाहती हूँ। दुबारा कभी उसका नाम नहीं लूँगी।' जमीन देखते और हिचकते हुए कहा सावित्री ने। 'केवल दूर से देखेगी। बोलेगी नहीं। मुँह पर पर्दा डालेगी।' 'मुझे मंजूर है बीजी।' फिर थोड़ी शंका हुई 'पर मंजीत... रंजीत... बीजी?' 'तू उनकी चिंता छोड़। करन् कल शाम अपने गाँव पहुँचेगा। दिल्ली से गाँव का रास्ता कोई पिचहत्तर किलोमीटर है। बीच में कोट का पुल है। हम वहीं मिलेंगे।'

सावित्री ने हैरत से बीजी की ओर देखा। 'तू चिंता मत कर, मैं सारी व्यवस्था कर लूँगी' बीजी ने तसल्ली दी। बीजी ने फोन उठाया। टैक्सी स्टैंड के लिए नंबर डायल किया और अगले दिन ठीक दो बजे के लिए टैक्सी बुक कर ली। घर में ऐलान कर दिया कि सास-बहू लांग-ड्राइव पर जाएँगी। और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। घर में किसकी हिम्मत कि कोई बीजी से पूछता कि लांग-ड्राइव पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई। पहले तो कभी नहीं गई। मंजीत ने टोका जरूर 'बीजी टैक्सी बुक कराने की क्या जरूरत थी। घर की गाड़ी ही ले जातीं।' 'बात तो तेरी ठीक है, पर मैनू सोचा कि कहीं हमारे कारण तुम्हें आने-जाने में परेशानी न हो। अब बुक करा ही ली है तो उसी से चले जायेंगे।'

सुलेखा, सुचित्रा ने हाँक लगाई, 'हम दोनों भी आपकी लांग-ड्राइव पर चलेंगी, बड़ा मजा आएगा।' बीजी ने बरज दिया, 'तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा था?' 'हाँ सबने सुना और समझा है। सास-बहू में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। छोड़ो भी बच्चियों, तुम दोनों को मैं घुमाकर लाऊँगा।' मंजीत ने हँसकर कहा 'फिल्म लगी है वीरजारा' मंजीत के इतना कहते ही दोनों बेटियाँ खुश हो गई।

अगले दिन बीजी और सावित्री दोनों गाड़ी में बैठकर चल दीं। सावित्री को पूरी रात नींद नहीं आई। दिल धड़कता रहा। आँखें लगीं तो करन् के साथ अमराइयों में घूमती रही या बैचेनी से करवटें बदलती रही। मंजीत ने पूछा भी 'सावित्री कोई परेशानी है। नींद नहीं आ रही क्या?' 'बस योंहि जरा सिर दुख रहा था,' सावित्री ने बहाना बनाया। और मंजीत काफी समय तक उसका सिर सहलाता रहा। मंजीत का प्यार महसूस कर अंदर तक भींगती रही और आँखें बंद किए पड़ी रही।

सुबह से उसकी बदहाल तबीयत और बैचेनी बीजी लक्ष्य कर रही थीं। टोंक भी चुकी थीं 'सावित्री पुत्तर स्वयं को संभाल।' सावित्री बीजी के साथ करन् को देखने जा रही है और मन ही मन डर भी रही है कि स्वयं को संभाल भी पाएगी या नहीं। यदि नहीं संभाल पाती तो बीस साल की बसी-बसाई गृहस्थी को ग्रहण लग जाएगा। उसे यहाँ आना नहीं चाहिए। मन हुआ बीजी से लौट चलने के लिए कहे। यदि किसी ने देख लिया और पहचान लिया तो। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा और एक जा रहा था। हाथ-पाँव ठंडे हुए जा रहे थे। अपने आशिक से मिलने सास के साथ जा रही है। ऐसी भी सास होती है भला।

'इतना क्यों घबरा रही है सवि। मैं हूँ न तेरे साथ।' बीजी ने हिम्मत बंधाई। सावित्री ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया। चेहरा तो ढक गया, पर अतीत की परतें उधड़ने लगीं। करमजीत को गाँव में जो करने को कहो, वह सब झट कर देता। शहर पढ़ने जाता तो लौटते समय किसी न किसी का सामान अवश्य लाता। अपने घर में भी करन् की गुहार मची रहती। करन् हँसकर कहता, 'हमेशा सजी-धजी गुड़िया बनी रहती है। कभी कोई मतलब का काम भी किया कर। जमाना तेजी से बदल रहा है।'

'जमाना तो तेजी से बदल रहा है तो क्या साथ श्रृंगार छोड़ दूँ? या शहर में मेरा सामान मिलना बंद हो गया है।' सावित्री सवाल दर सवाल ठोक देती। 'इस अक्ल का थोड़ा सदुपयोग किया कर। हमेशा ऊपर जुबान चलाती रहती है। थोड़ा पढ़-लिख लेती जो जीवन में काम आता।' करन् के सिर पर चपत लगाकर कहती, 'मुझे कौन पढ़ाएगा।' 'क्या लड़कियों का स्कूल गाँव में नहीं है?' 'वहाँ छोटी-छोटी लड़कियाँ पढ़ती हैं, और मैं इतनी बड़ी? मुझे स्कूल जाते शर्म आएगी' चुटीले के फुंदने से खेलती सावित्री कहती। 'तुझे वहाँ जाते शर्म आएगी, मुझसे पढ़ने में नहीं आएगी।' करन् चोटी खींचते हुए कहता। 'नहीं तुझसे शर्म कैसी?'

अगले दिन करन् शहर गया तो सावित्री के लिए ककहरे की किताब, स्लेट और पेंसिल ले आया। इस प्रकार सावित्री की पढ़ाई का श्रीगणेश हुआ। पढ़ाई आरंभ हुई तो दोनों इस बहाने एकांत में एक-दूसरे के दिल में उतरते चले गए। या तो करन् पढ़ाई के बहाने सावित्री के घर जमा रहता था या सावित्री करन् के यहाँ। दोनों को लेकर गाँव में खुसुर-फुसुर होने लगी। तब जाकर दोनों परिवारों की आँखें खुलीं। आँखें क्या खुलीं दोनों परिवारों ने बच्चों की खुशी को अपनी खुशी बना लिया। अब करन् और सावित्री के दिन सोन-चिरैया से उड़ने लगे। तभी एक दिन करन् ने सावित्री से कहा, 'सब्बो मैं कुछ दिन के लिए परदेश जा रहा हूँ। खूब पैसा कमाकर लौटूँगा। किसी से कहना नहीं। मेरा इंतजार करना।' 'करन् तूने अम्मा-बाबा से पूछा? अपने घर बताया?' 'इसमें बताने की क्या बात है? बताऊँगा तो कोई जाने देगा? तू समझती है मुझे, इसी से कह रहा हूँ।' सुनकर सावित्री का दिल धक से रह गया।

'घर बोल कर जाता तो किसी को चिंता न रहती। करन् कितने दिन लगेंगे? तू मुझे चिट्ठी लिखेगा?' 'तू चिंता न कर। जल्दी ही लौट आऊँगा। इंतजार करेगी न?' 'करूँगी पर तू परदेश जाकर क्या करेगा? यहीं काम-धंधा कर ले। अपने खेत संभाल। मैं भी तेरा साथ दूँगी।' कहते-कहते रो पड़ी सावित्री। 'यहाँ क्या काम है देख नहीं रही। पैसा पास होगा तो हम यहाँ नहीं, शहर में घर लेकर ठाट से रहेंगे।' लाख रोकना चाहा सावित्री ने, पर करन् अपनी बात पर दृढ़ रहा। एक दिन अचानक सबको छोड़कर चला गया। एक साल तक सावित्री ने खूब इंतजार किया। आखिर थक-हार कर माँ-बाप की बात माननी पड़ी। मुँह पर ताले जड़ लिए। पर आँखें दरवाजे पर लगी रहतीं। माँ-बाप ने डोली में बिठा मंजीत के साथ विदा कर दिया।

मायके जाती तो आँखों में एक ही सवाल तैरता 'करन् आया क्या?' माँ उसकी बैचेनी समझती। एक दिन पास बैठाकर समझाया भी उसे 'बेटी करन् तेरा कल था। मंजीत तेरा आज है। पलकों पर बिठाकर रखता है। तुझे कोई दुख नहीं देता। तू कल में जीना छोड़, नहीं तो मंजीत के साथ न्याय नहीं कर पाएगी। तू एक भले घर की बहू है। याद रखना भूल से भी करन् का नाम तेरी जुबान पर नहीं आना चाहिए। वर्ना तेरा जीवन तो नरक होगा ही, हम भी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तेरी एक गलती दोनों परिवारों को तबाह कर देगी। करन् के सपने आँखों में बंद कर ले। पता नहीं जिंदा भी है या...।' 'माँ ऐसे कुबोल न बोल। वह जैसा भी है, जहाँ भी है, बस ठीक रहे। तेरी सौगंध माँ आगे से कभी उसका नाम जुबान पर नहीं लाऊँगी। पर तू भी एक वायदा कर कि कभी बद्दुआ नहीं देगी।' माँ ने सावित्री के सिर पर हाथ रखा और दुपट्टे के कोर से आँखें पोंछ कर उठ गई। वे क्या बेटी का दर्द समझती नहीं।

यदि करन् जाता नहीं तो सावित्री का गठबंधन उसी के साथ होता। वह तो अच्छा ही रहा कि विवाह से पहले ही चला गया। यदि बाद में जाता तो सावित्री पुत्तर कब तक निहोरे करती। भगवान जो करता है, ठीक ही करता है। शहर में रहने के सपने दिखा बलवंत ही ओझल हो गया। ऐसे कौन से परदेश चला गया माँ-बाप ढूँढ़-ढूँढ़ कर पगला गए। सावित्री ने माँ की बात मान ली। करन् की याद सीने में दफन कर ली। अब अचानक बीस साल से सीने में दफन चिंगारी हवा पाते ही शोला बन भड़क उठी। वह तो बीजी ने संभाल लिया, वरना सब भस्म हो जाता। ठीक तीन बजे गाड़ी कोट के पुल पर खड़ी हो गई। करमजीत के रिश्तेदार भी आगवानी के लिए खड़े थे। बीजी ने दो फूल मालाएँ खरीदीं। एक स्वयं ले ली, दूसरी सावित्री को पकड़ा दी। जैसे ही गाड़ी आती दिखाई दी बीजी ने आगे बढ़कर हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाई। करमजीत जिंदाबाद के नारे लगने लगे। करमजीत गाड़ी से बाहर आया। बीजी सावित्री का हाथ कसकर थामे रही।

बीजी ने अपने हाथ की माला करमजीत के गले में डाली। करमजीत ने झुककर बीजी के पाँव छुए। बीजी ने आशीषा, 'रब लंबी उम्र दे पुत्तर। तुझे देखकर आँखे जुड़ा गईं। सुखी रह।' सावित्री के हाथ काँपे और फूल माला करमजीत के पैरों में गिर पड़ी। एक तरह से सावित्री ने अपने स्नेह सुमन करमजीत के पैरों में चढ़ा दिए। करमजीत ने उसे उठाकर अपने हाथ में लपेट लिया। लोग करमजीत को फूलों से लादने लगे। गाँव का खोया बेटा लौटा था और बीजी सावित्री को सहारा दिए गाड़ी में बैठी थीं। गाँव की सीमा पर आकर बीजी ने बरजा, 'खुद को संभाल पुत्तर, रोनी सूरत बनाकर घर में घुसेगी तो घरवालों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। गये थे लांग-ड्राइव पर, लेकिन शक्ल से लग रहा है कि मातम मनाकर लौट रहे हैं। गुजर गया उसे भूल जा। तूने आज मेरे घाव भी हरे कर दिए। सावित्री हैरानी से बीजी का चेहरा देखने लगी। उसने पल्लू से बीजी के आँसू पोंछे। 'अब हम नहीं रोयेंगे बीजी' और सास-बहू दोनों ने मुस्कराकर एक-दूसरे की ओर देखा।

- 290-ए, कृष्णा नगर
बुलंद शहर-203001
मोबाइल: +91 9917869962

लेख

समाज के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका

- डॉ दादूराम शर्मा -

श्रम सृजन का मूल है, उत्पादन का उत्स है, विकास का आधार है। श्रमिक ही समाज निर्माण के सूत्रधार होते हैं। उनके स्वेद कणों से सिंचित होकर ही भूमि उर्वरा और शस्य श्यामला होती है। कारखानों में वस्तुओं का निर्माण होता है, भवन बनते हैं, नदियों में पुल और सेतु (बांध) बनते हैं। सड़कों का निर्माण होता है। आवागमन के साधन संपन्न होते हैं। अनगढ़ पाषाण भव्य प्रतिमाओं में परिणत हो जाते हैं। इन्हीं के श्रम से धरा का श्रृंगार होता है। मानव वस्त्रालंकारों से विभूषित होता है, विद्यावान और गुणी बनते हैं।

ऋग्वेद में समाज को विराट पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 'पुरुष सूक्त' में कहा गया है -

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
स भूमिम् वृत्वाऽत्यतिष्ठद् दशाङ्गुलम्।।

सहस्रशीर्षा, अर्थात हजारों वस्तुतः अनेक सिरों वाले, सहस्राक्षः सहस्रपात्, अर्थात अनेकों आँखों वाले एवं अनेक पैरों वाले जिस पुरुष को प्रस्तुत किया गया है, वह समष्टि पुरुष समाज ही है। सायण ने अपने भाष्य में लिखा है - 'सर्वप्राणि समष्टिरूपो ब्रह्माण्ड देशो विराडाख्यो वः पुरुषो सोऽयं सहस्रशीर्षा। सहस्रशब्दस्योप लक्षणत्वाद् अनन्तैः शिरोभिर्युक्तः इत्यर्थः।' श्रमिक ही उसके पैर हैं, जिस पर यह समाज खड़ा है और विकास के पथ पर सतत् गतिशील है।

मेरे प्रस्तुत दोहे श्रमिकों का यथार्थ मूल्यांकन करने वाले हैं:

श्रम के बिना नहीं कहीं पूँजी का कुछ अर्थ।
श्रम के बिना प्रगति के संसाधन सब व्यर्थ।।1।।

पीठ दोहरी हो गई ढो-ढो दुर्वह भार।
थपथपाई गई न पर उलटे हुए प्रहार।।2।।

जिनकी तृष्णा-पूर्ति में जुटे रहे दिन-रात।
मारी इनके पेट पर उन्हीं जनों ने लात।।3।।

छू जिनके कर हो उठे उपल भव्य सप्राण।
मूर्तिकार जीवन यहाँ ढोते हैं निष्प्राण।।4।।

शस्य-श्यामला भू करें स्वेद सलिल से सींच।
जग को देते प्राण ये अपने प्राण उलीच।।5।।

कला-प्रेम-सौंदर्य का जिन हाथों ने ताज।
रखा शीश पर उन्हीं को काट गिरायी गाज।।6।।

जुटा रहा जग-प्रगति के संसाधन भरपूर।
खाता दर-दर ठोकरें वही दीन मजदूर।।7।।

अन्न वस्त्र भूषण दिए भव्य भवन बहुयान।
भूखें-नंगे भटकते वे बेघर बिन मान।।8।।

जिनके अथक प्रयास ने सृजे विविध परिधान।
चिथड़ों में लिपटे फिरें वे बेघर बिन मान।।9।।

छीन रही हैं रोटियाँ इनकी आज मशीन।
होगा निकट भविष्य में जग क्या श्रमिक विहीन।।10।।

होगा कैसा विश्व जब निर्दय दनुज विकास।
लील जाएगा श्रमिक सब बना मशीनी ग्रास।।11।।

पुष्ट भुजाओं ने किया जग का सतत विकास।
श्रम सीकर से लिख रहे श्रमिक प्रगति इतिहास।।12।।

श्रम जीवियों में भूमि से अन्न उत्पन्न करने वाले कृषक, वितरक, व्यापारी आदि भी आते हैं। समाज की रक्षा करनेवाले और सतत जागरूक रहकर रात-दिन पहरा देते हुए देश की रक्षा करनेवाले और दुश्मनों से सदैव युद्ध के लिए तैयार रहने वाले सैनिक और सैन्याधिकारी भी श्रमजीवी ही हैं, जो न केवल अपना पसीना बहाकर पहरा देते हैं अपितु अपना खून बहाकर आत्म-बलिदान देकर भी राष्ट्र की रक्षा करते हैं।

देश की आंतरिक शांति व्यवस्था और अपराधियों, असामाजिक तत्वों को नियंत्रण में रखने वाले आरक्षक और पुलिस अधिकारी भी श्रमजीवी ही हैं। शिक्षक भी श्रमजीवी ही हैं। यद्यपि उनका श्रम शारीरिक नहीं, मानसिक होता है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नर्स, वार्डबॉय, डाक्टर आदि भी श्रमजीवी ही हैं। यद्यपि उनका श्रम शारीरिक नहीं, मानसिक होता है। जितने भी वेतन भोगी कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे भी श्रमजीवी ही हैं। क्योंकि उन्हें पारिश्रमिक के रूप में वेतन मिलता है। न्याय व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी और अधिवक्ता तो श्रमजीवी हैं ही, माननीय न्यायाधीशों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। क्योंकि इन्हें भी समाज, राष्ट्र द्वारा इनकी सेवाओं पर वेतन के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है। इस तरह श्रमिक शब्द को व्यापक परिप्रेक्ष्य में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो समाज निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करते हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी में हुए कार्लमार्क्स के चिंतन ने नई वैचारिक क्रांति का श्रीगणेश किया। उसने समाज को दो वर्गों में विभाजित किया, 1. पूँजीपति या बुर्जुआ अथवा शोषक, एवं 2. श्रमिक या सर्वहारा या शोषित वर्ग। जिससे आगे चलकर रूस में 1917 में राज्यक्रांति हुई, जिसने जारशाही समाप्त कर साम्यवादी शासन की व्यवस्था लागू की और चीन में भी साम्यवादी राज्य स्थापित हुआ।

मार्क्स ने श्रम को ही सृजन का मूल बताया। पुरुषार्थ की महत्ता प्रतिपादित कर कर्मवाद की स्थापना और भाग्यवाद का खंडन किया। दिनकर के शब्दों में - 'उद्यम से विधि का अंक (भाग्य) उलट जाता है। किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है (रश्मिरथी)।

मार्क्स ने पूँजी को लूट कहा और श्रम को ही विकास का मूल बताया। उसने घोषणा की कि भूमि किसी की क्रीत दासी नहीं है, उस पर सबका समान अधिकार है। भाग्यवाद बकवास है, वह शोषण का शस्त्र मात्र है। श्रम ही मनुष्य का भाग्य है।

पूँजीपतियों का उद्देश्य अधिकतम उत्पादन के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। श्रमिक दिन-रात कठिन परिश्रम करके उत्पादन वृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और अर्थोपार्जन की भूमि प्रशस्त करते हैं। किंतु पूँजीपति उनके हितों का कोई विशेष ध्यान नहीं रखते। उन्हें न तो उनके श्रम का समुचित पारिश्रामिक ही दिया जाता है और न ही उनकी मूलभूत आवश्यकताओं, जैसे रोटी, कपड़ा ओर आवास आदि की कोई व्यवस्था ही की जाती है। उनसे अधिक काम तो लिया जाता है। किंतु काम के घंटे भी तय नहीं किये जाते। उनके परिवार की आवश्यकताओं को भी नजरंदाज किया जाता है और दुर्घटना, बीमारी आदि की स्थिति में भी उनको कोई विशेष आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। उन्हें निर्माण की मशीन मात्र ही माना जाता है। फलस्वरूप पूँजीपतियों से अपने हितों का संरक्षण और सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए श्रम संगठनों का निर्माण होता है।

श्रमिकों को शोषण एवं अत्याचार से मुक्त कराने हेतु श्रमिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), भारतीय मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) आदि कई प्रमुख संगठन श्रमिकों के हितों के रक्षार्थ बहुत प्रशंसनीय कार्य एवं प्रयास कर रहे हैं। यदि संगठन न हों तो श्रमिकों की कोई सुनने वाला नहीं है।

सन् 1917 में बोल्शेविक क्रांति के सफल होने के उपरांत साहित्य में उभरे प्रगतिशील आंदोलन ने मार्क्स के आह्वान 'दुनिया के मजदूरों एक हो' को आत्मसात कर श्रमिकों के संघर्ष, श्रम की महत्ता एवं उत्पादन संगठनों में श्रमिकों की भागीदारी का पुरजोर समर्थन किया। पूँजीवादी सोच ने भले ही श्रमिकों को कोई महत्व न दिया हो, लेकिन आज समूचे विश्व में जो भी विकास परिलक्षित हो रहा है, वह हमारे श्रमिक भाई-बहनों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है।

अनेकानेक कवियों एवं साहित्यकारों ने श्रमिकों के संघर्ष एवं उनकी महत्ता को प्रतिपादित कर अपनी मुखर वाणी दी है। सुप्रसिद्ध कवि केदार नाथ अग्रवाल ने श्रमिकों की श्रम शक्ति को श्रेष्ठतम मानते हुए श्रमिकों की महत्ता को प्रतिपादित किया -

'एक हथोड़े वाला घर में और हुआ।
हाथी सा बलवान, जहाजी हाथों वाला और हुआ।
सूरज सा इंसान, तरेरी आँखों वाला और हुआ।।'

'जिंदगी को वह गढ़ेंगे
जो शिलाएँ तोड़ते हैं।
जो भगीरथ नीर की,
निर्भय शिलाएँ मोड़ते हैं।
यज्ञ की इस शक्ति-श्रम को,
श्रेष्ठतम मैं मानता हूँ।।'

देश के प्रख्यात शायर मुनव्वर राणा ने मजदूरों की यथार्थता को अपने शैर में उजागर किया है -

'सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछा कर,
मजदूर कभी नींद की गोलियाँ नहीं खाते।'

नींद भले ही बिना गोलियाँ खाये आ जाये, परंतु यदि पेट भरा नहीं हो तो भला नींद कैसे आ पायेगी?

बेबस, लाचार श्रमिक की नियति पर प्रख्यात कवि रामावतार त्यागी के मार्मिक गीत की पंक्तियाँ देखिएगा -

'किसी गुमनाम से इक गाँव में पैदा हुए थे हम,
नहीं मालूम पर कोई अशुभ सा ही महीना था।
रजाई की जगह ओढ़ी पुआलों की भभक हमने,
विरासत में मिला जो कुछ हमारा ही पसीना था।।'

रामावतार त्यागी ने अपने काव्य में श्रमिकों की स्वभावगत वाणी दी -

'अकलमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती,
मगर भोले नहीं इतना कि जितना आम दिखते हैं।
हमें हस्ताक्षर करना न आया चेक पर माना,
मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं।।'

रामावतार त्यागी ने श्रमिकों के अंत: भावों को बहुत ही मार्मिकता से चित्रित किया है -

'हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित,
हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना।
न गंगा जल न हलाहल न कोई और ही जल हो,
किसी लाचार आँसू को हमारे भाल पर लिखना।।'

देश के सुविख्यात कवि दुष्यंत कुमार ने श्रमिकों की अभावग्रस्तता को शेरों में व्यक्त किया है -

'न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढँकते हैं,
ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए।'

श्रमिकों की रोजमर्रा की जद्दोजहद जिंदगी को अदम गोंडवी ने नजदीकी से अपनी पारखी नजरों से देखा। उन्होंने मेहनतकश श्रमिकों की ऐसी तस्वीर खींची है, जिसके कारण रसूखदार लोगों के बंगलों में रौनक दिखाई देती है -

'वो किसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है।
उसी की दम से रौनक आपके बंगलों में आई है।।
महल से झोंपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है,
किसी का पेट खाली है किसी की रूह प्यासी है।।'

देश के प्रख्यात गीतकार यश मालवीय ने लाचार, बेवस महिला श्रमिक की वेदना को अभिव्यक्त किया है -

'दूध नहीं मिलता,
बच्चे को खून पिलाती है।
धधक रहे सूरज से खुलकर,
आँख मिलाती है।
भूखे सच के आगे,
खुद को रख कर देख रही।
पता नहीं रोटी झुलसी है,
या झुलसा चेहरा।।'

समाज वह आर्थिक व्यवस्था है, जो शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से व्यक्तिगत पूँजी को सार्वजनिक पूँजी में परिवर्तित करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न करती है। जहाँ पूँजीवाद व्यक्तिगत स्वामित्व, नियंत्रण और अधिकार की धारणा पर आधारित है, वहाँ समाजवाद समष्टिगत स्वामित्व नियंत्रण और अधिकार धारण्य पर आधारित होता है। अर्थ पर पूरा नियंत्रण समाज का होता है, व्यक्ति का नहीं। अर्थात राष्ट्रीय संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति होती है।

पूँजीवाद में संपत्ति पर मनुष्य की एकाधिकार की मूल प्रवृत्ति क्रियाशील होती है। यह अधिक से अधिक संपत्ति बटोरने के लिए उचित और अनुचित किसी भी साधन का प्रयोग कर सकता है, दूसरी ओर उसके अर्थोपार्जन के सशक्त स्तंभ श्रमिक भी उस अर्थोपार्जन में से अधिकतम या समुचित लाभांश लेना चाहते हैं। इस तरह पूँजीपतियों की अधिक से अधिक बटोरने की चाह और श्रमजीवियों की भी अधिकतम पारिश्रमिक की माँग के बीच संघर्ष स्वाभाविक है। अर्थात एक पक्ष कम से कम देना चाहता है तो दूसरा पक्ष अधिक से अधिक लेना चाहता है। यही वर्ग संघर्ष का मूल कारण है, जो पूँजीपतियों द्वारा सीधे ढंग से श्रमजीवियों की माँगें न मानने पर खूनी संघर्ष में बदल जाता है और समाज में अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तब शासन को समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है।

मार्क्स के उक्त दर्शन में स्थूल का ही आग्रह है। वह मानव को दैहिक धरातल तक ही सीमित रखता है। दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उसके पुरुषार्थ की इति मान लेता है। उसके वर्ग संघर्ष की योजना में भौतिक सुख की चाह, शोषकों के पास से संपत्ति छीनकर हस्तगत कर लेने का भाव तो है, किंतु अपना हक औरों को अनाकांक्ष भाव से दे देने की उच्चाश्यता नहीं। अतः उसमें मानवीय समस्याओं का शाश्वत समाधान नहीं है। क्योंकि मार्क्स ने मनुष्य को मात्र हाड़-चाम का पुतला ही माना है और उसकी मूल आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) तक ही उनकी दृष्टि सीमित है। भोजन पशु धरातल की बात है, किंतु मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त कुछ और चाहिए। इसी कुछ और में मानवीय संस्कृति का विकास निहित है। यह 'कुछ और' है - कविता (भावना), यह 'कुछ और' है दर्शन (चिंतन), यह 'कुछ और' है धर्म (सदाचार)। रोटी देकर चिंतन का अधिकार छीन लेना मार्क्सवाद की सबसे बड़ी सीमा है। मनुष्य को रोटी के साथ-साथ निर्भय, निर्बाध चिंतन का अधिकार भी चाहिए, यही भारतीय मार्ग है।

'रोटी और अभय भी दो।
तन को दो आहार अन्न का
मन को चिंतन का अधिकार।
तन मन दोनों बढ़े अगर तो
चमक उठे सचमुच संसार।
बाधा मुक्त करो मानस को
शंका रहित हृदय भी दो।'
(नीलकुसुम - 'दिनकर' हिमालय का संदेश-ध्वनिरूपक)

श्रमिकों के कल्याण हेतु अभी बहुत कुछ करने की महती आवश्यकता है। विशेषतः असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। इन्हें शासन द्वारा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। उन्हें कम से कम इतनी मजदूरी तो दी जाय, ताकि उनकी रोटी, कपड़ा एवं आवास की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। श्रमिक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें। श्रमिकों की जीवन सुधार की प्रक्रिया तीव्र की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि उन्हें बारहों महीने पर्याप्त काम मिल सके एवं श्रमिक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें।

श्रमिकों का महत्व और उपादेयता का ज्वलंत उदाहरण माह अप्रैल-मई **2020** में कोरोना के अत्यधिक संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में उनका मुंबई और दिल्ली आदि महानगरों से पलायन, जिसके कारण उद्योग-धंधे ठप्प हो गए। देश का आर्थिक विकास थम गया। परिणामस्वरूप मिल मालिकों का उन्हें डेढ़ गुना वेतन देने, जब से काम बंद था तब से काम शुरू होने तक की अवधि का वेतन देने का वचन देकर उन्हें ए सी बस भेजकर गाँवों से बुलवाया जा रहा है और काम पर लगाया जा रहा है। इस तरह आर्थिक विकास धीरे धीरे गति पकडने लगा है।

- महाराज बाग, भैरवगंज़
सिवनी-**480661**
मध्य प्रदेश
मोबाइल: **+91 8878980467**

शहनाई

- श्रीमती अनिता रश्मि -

मणिकर्णिका घाट... सामने जलती हुई एक ताजी चिता। सीढियों पर बैठे चंद लोग। उनमें वह भी... निशांत... निराश! हताश! उसके हाथ में एक शहनाई है। वह शहनाई को सीने से लगाए अजब असमंजस में घिरा है। घर से शहनाई उठाकर लाई थी कि जब बजाने वाला ही नहीं रहा, तो उसकी सबसे प्रिय चीज उसके पास ही भेज दी जाए।

शहनाई उठाकर उसने जैसे ही चिता की तरफ हाथ बढ़ाया, किसी ने हाथ थाम लिया।

- नहीं... इसे न जलाओ। यह उसकी निशानी है।

एक मन कहे - मासूम की प्यारी वस्तु उसके साथ ही जानी चाहिए। दूसरा कहे - मासूम की प्रिय वस्तु को अपने पास सहेजकर रख ले। आखिर इसमें उसकी आत्मा बसती है।... इसमें उसका स्पर्श, उसकी साँसों की गंध छिपी है।

इतना सोच अपने मन को सांत्वना-सा देते हुए निशांत ने शहनाई को गले से लगा लिया।

निशांत पिछले तीस वर्षों से शहनाई का जाना-पहचाना नाम है। उसके प्रेरणास्रोत सुप्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिलाह खाँ रहे हैं। निशांत भी विश्वनाथ मंदिर की तंग गलियों से गुजरते हुए जैसे शहनाई की मिठास में उब-डूब करने लगता है।

उसे लगता है, जैसे आज भी गंगा-जमुना संस्कृति के महत्वपूर्ण सुरीले वाहक बिस्मिल्लाह खाँ की शहनाई की मधुर ध्वनि मंदिर के अंदर गूँज रही है। वह भावविभोर हो उन्हें सुन रहा है। निशांत की आँखें मुंद जातीं और वह देवालय की सीढ़ियों पर बैठा सुरों के बादशाह को अपने अंदर उतरते हुए महसूस करता रहता। बहुत देर तक वहीं बैठकर वह उनकी धुन में मगन रहता। भगवान विश्वनाथ और उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ दोनों के सजदे में उसका सर झुका रहता।

देर तक मंदिर में बैठे रहने के पश्चात निशांत गंगा तट की ओर चल देता। वहाँ लहरों के पास बैठ, घंटों शहनाई बजाता रहता। देवालय में बजाने की हिम्मत नहीं, लेकिन मंदाकिनी के तट पर उसकी शहनाई की धुन गूँजती रहती। वह पद्मश्री खाँ साहब की ऊँचाई तक तो नहीं पहुँच पाया, परंतु खाँ साहब को जिंदा रखने के लिए संगीत कला केंद्र खोल कर प्रशिक्षणार्थियों के अंदर इस कला को जीवित रखने की कोशिश करता।

एक दिन निशांत ने पत्नी से कहा था - 'सोचता हूँ, नौकरी छोड़ दूँ। तुम सब संभाल लोगी?'

पत्नी ने बड़े आसान शब्दों में हामी भरा - 'हूँ... आप जैसा चाहें।'

उसकी सहमति से उत्साहित हो, उसने अपना पूरा वक्त शहनाई को समर्पित कर दिया था। संगीत कला केंद्र में चार बैच का प्रशिक्षण शुरु। उसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली। निशांत ने कई होनहार शहनाई वादक तैयार किए। उसके अनेक शिष्य देश-विदेश में नाम कमा रहे हैं।

निशांत का पुत्र अंकुल जब बहुत छोटा था, उसकी शहनाई को हाथों से बड़े प्यार से छूता रहता। निशांत जब रियाज करता, वह मुस्कुराते हुए झूमता रहता। कभी उसकी तरह ही अंकुल होंठों से शहनाई को लगा लेता... पूत के पाँव पालने में नजर आ रहे थे। लेकिन बड़ा होते हुए उससे दूर भागने लगा था। पता नहीं क्यों, शहनाई जब घर में मधुरता घोलती, अंकुल वहाँ से लान की ओर भाग जाता। दस वर्ष का था, जब निशांत ने शुभ्रा से कहा था - 'आज से इसकी तालीम शुरु। यह मेरे साथ रोज सुबह शाम के प्रैक्टिस के लिए तैयार रहे।'

उसने शहनाई अंकुल को पकड़ाया था। अंकुल ने पहले तो उसे उलट-पलट कर गौर से देखा था, जैसे पहचानता ही नहीं। फिर हँसकर जमीन पर फेंक दिया था।

'यह सीख पाएगा?'

शुभ्रा की आशंका निर्मूल नहीं थी।

'अभी साथ बैठना शुरु करे पहले। रस्सी से जब पत्थर घिस सकता है, तो कुछ भी हो सकता है शुभ्रा।' निशांत दूसरे दिन से ही अंकुल को सिखाने की कोशिश करने लगा। वह निशांत के पास बैठ फूँक मारने का प्रयास करता रहता था।

पाँचेक साल बाद अंकुल के अभ्यास, निशांत की अथक मेहनत का फल दिखना शुरु हो गया था। बारह वर्ष बाद दोनों साथ प्रोग्राम में जाने लगे थे। सुरों की जुगलबंदी में श्रोता मस्त। निशांत ने अपनी इस उपलब्धि पर इतराना प्रारंभ ही किया था कि अंकुल गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया और दो वर्षों तक बिस्तर पर निढाल सा पड़ा... दर्द-कराह से तड़पता रहा।

सुबह-शाम निशांत प्रशिक्षणार्थियों को पूरे मनोयोग से सिखाता। लेकिन शहर के बाहर जाने का क्रम छूटता गया। उधर अंकुल के हाथ से जीवन की डोर छूटती जा रही थी, तमाम इलाज, एहतियात के बावजूद अंकुल की बीमारी बढ़ती जा रही थी, ठीक

होने के आसार नहीं के हो गए। कहाँ-कहाँ लेकर नहीं गया। अपोलो, सी एम सी वेल्लोर, एम्स, जसलोक सभी अस्पतालों का चक्कर काटा, पर...। दोस्तों से बताते हुए आगे के वाक्य गुपचुप-सी सिसकियों में ढल जाते। उसमें घुली कराह ऊपरी सतह पर नजर नहीं आती, शुभ्रा के आँसू भरे नयन ताड़ लेते।

जब एक शिष्या ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ साहब की फटी लुंगी की ओर ध्यान दिलाया था, तब उन्होंने कहा था कि 'मालिक फटा सुर न बख्शे, लुंगिया फटी है सिल जाएगी। सुर नहीं फटने चाहिए।' सच्चे सुर साधक के सुर कभी नहीं बिखरने चाहिए। लेकिन इधर निशांत को लग रहा था कि उसकी शहनाई के सुर बिखर रहे हैं।

'...पापा! मेरी शहनाई वहाँ से ला दें।' 'क्या करोगे?' '...बजाऊँगा।' 'तुम बजा सकोगे? नहीं बेटा अभी रहने दो...।' '...मैं बजाऊँगा। ला दें प्लीज!' क्षीण होती उसकी ताकत और कमजोर अंगों की तकलीफ देख निशांत की हिम्मत नहीं हुई। पर अशक्त बेटे का मन रखने के लिए शुभ्रा ने शहनाई लाकर उसके हाथों में पकड़ा दी। अंकुल मुस्कुरा उठा। एक क्षीण, दर्दभरी मुस्कान उसके होंठों पर उभर उठी। उसने शहनाई को होंठों से लगा कर फूँक मारी। पूरा जोर लगाने पर भी कोई आवाज नहीं निकली। वह बार-बार कोशिश करने लगा। निशांत ने उसके सिर पर हाथ फेरा - 'छोड़ दो बेटा।' अंकुल के बालों के भीतर व माथे पर पसीना चुहचुहा उठे थे। कुछ बूँद उसकी कनपटियों से बहकर नीचे आ गई थीं।

'तुम जल्द ठीक हो जाओ। फिर हम इकट्ठे पहले की तरह स्टेज पर परफार्म करेंगे।' निशांत के अंदर दो सालों से जमे आँसुओं का ग्लेशियर पिघलने को बेताब हो उठे थे। बड़ी कठिनाई से उन्हें रोके रखा। शुभ्रा दूसरी ओर ताके जा रही थी। उसकी आँखों की कोरों ने बगावत कर दिया था। अंकुल ने शहनाई को अपने होंठों से लगाए हुए धीरे-धीरे आँखों को बंद कर लिया और फिर... वे आँखें सदा के लिए ही बंद हो गईं।

मणिकर्णिका घाट पर चिता की ओर एकटक ताकता निशांत शहनाई थामे बेहोश हो गया। लोगों की जुगत से जल्द ही होश में आ गया। फिर निशांत ने निर्णय ले लिया।

'नहीं! मैं इसे... उसकी अंतिम निशानी को चिता के हवाले नहीं कर सकता।'

***

अब नहीं गूँजता शहनाई का स्वर... ना ही घर पर... न संगीत कला केंद्र में... ना ही देश-विदेश के मंचों पर। अब संगीत कला केंद्र पर एक बोर्ड लगा है - 'यहाँ के सुर खो गए।'

हाँ, उसे मणिकर्णिका घाट पर नित्य देखा जा सकता है। हाथ में शहनाई थामे वह इधर से उधर भटकता रहता है। लोग कहते हैं, 'देखो वही हैं उस्ताद निशांत...', 'कौन?' 'वही, जिसके हाथ में शहनाई है, पर अब वे नहीं बजाते।' 'उन्हें सुर सम्राट जगजीत सिंह को सामने रखना चाहिए', जानने वाले कह ही देते।

धीरे-धीरे निशांत अन्य बातों से भी बेजार होता जा रहा था। 'उसकी साँसों की डोर मेरी जिद के कारण ही टूट गई।' 'क्या बोलते हैं? यह अनहोनी थी...।' - शुभ्रा ज्यादा मजबूत। 'वह लंग्स की बीमारी से मरा। कहीं ना कहीं, मैं ही दोषी। जबरन ले जाता रहा उसे। इधर वह बजाना नहीं चाहता था, तो मैं उसका बहाना समझता रहा।'

आगे बोल नहीं पाता। गला अवरुद्ध हो जाता उसका। शुभ्रा तमाम कठोरता के बाद भी अपने को रोक नहीं पाती। दोनों शहनाई को सहलाने लगते। 'इसमें उसकी जान बसती थी, लेकिन लास्ट में... हम पहले क्यों नहीं समझ सके?' अंकुल का रूम पूजा गृह। एक-एक चीज को सजाकर रख दिया गया। देश-विदेश से मिले पुरस्कार, प्रमाण पत्र, मोमेंटो को कांच के कैबिनेट में सजा दिया गया। वहाँ एक ओर दीवान पर मसनद के पास उसकी बड़ी सी तस्वीर, सामने एक स्टूल, स्टूल पर बड़ा सा पीतल का दिया। दोनों नित्य तस्वीर के सामने दीपदान करना नहीं भूलते।

देखते-देखते पक्षियों की परवाज वाले समय ने छः वर्ष निकाल दिए। उस्ताद निशांत की शहनाई कहाँ पड़ी है, खुद उसे याद तक नहीं। परंतु घाट पर आना एक दिन भी नहीं भूला वह।

ना ही अंकुल की शहनाई लाना। आज भी वहाँ वैसे ही घूम रहा है... हताश... निराश। थोड़ी देर में वह बैठ गया एक सीढ़ी पर। उसकी आँखों में एक चिता आज भी जल रही है। सामने कई।

आज... हाँ! आज ही के दिन अंकुल छोड़ गया था। जिद कर साथ आई शुभ्रा भी सोपान के एक किनारे खड़ी है। गंगा के जल पर शाम के रक्ताभ सूर्य का बिंब उतर आया। क्षितिज रंगीन है। उन दोनों का ध्यान उधर नहीं। उनके नेत्रों में आग की लपटों की ललाई छाई है। शाम ढल रही है। उनके अंदर भी शाम गहरा रही है। अब वे लौटने को उद्यत। दोनों चुपचाप घर के सन्नाटे की ओर बढ़े। अचानक निशांत चौंक उठा। 'यह आवाज... यह आवाज? शुभ्रा, तुम सुनी?' 'हाँ! सुनी। पर कितनी बेसुरी है।' 'कौन बजा रहा है? चलो देखें।'

वे आवाज की दिशा में बढ़े। हालाँकि सुर दिशाहीन थी। आगे एक दूकान की बाहरी पटरे पर बैठा लगभग 10-11 साल का किशोर शहनाई में उलझा था और बेतरह उलझे हैं उसके सुर। निशांत ने तेजी से आगे बढ़ उसकी शहनाई छीन ली। 'इस कदर बेसुरा... कहाँ, किससे सीखा?' 'हूँ...! किशोर भयभीत! किशोर भौंचक!' वह डाँटने को हुआ पर पिघल गया। किशोर में उसे अंकुल दिखा। हू-ब-हू अंकुल। बस उसके वस्त्र मैले, फटे और हाथ-पाँव गंदगी से काले। पैरों में चप्पल नहीं। किशोर के सर पर दाहिनी हथेली रख निशांत कह उठा, 'इसे संवारने की जरूरत है शुभ्रा।' शुभ्रा एकटक किशोर को देखे जा रही थी।

'खाँ साहब पूरी जिंदगी सच्चा सुर माँगते रहे। उस उम्र में उतना नाम कमाने के बाद भी सच्चे सुर के लिए अल्लाह के सजदे में झुकते रहे... सुर के बचे रहने की कामना करते रहे। उनका अनुयायी होकर मैं... कच्चे सुर को नहीं झेल सकता। मैं इसे सिखाऊँगा।' शुभ्रा अपलक निशांत की बातें सुनती रही। सालों बाद 'हूँ...! हाँ...!! नहीं...!' से बाहर आया था निशांत 'सा रे ग म' पर। निशांत ने किशोर का हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। थोड़ी देर तक उसे निहारता रहा - 'तुम सीखते हो?' 'नहीं सीखता।' 'सीखोगे? मैं सिखाऊँगा।'

'हाँ! सीखूँगा।' किशोर के अंदर गहरी उत्सुकता और प्रसन्नता की लहर उठी। 'नाम क्या है बेटे?' 'जी, परकास।' 'ओऽऽ... प्रकाश।' 'कहाँ हैं तुम्हारे माता - पिता? मैं...।' 'वहाँ... उधर। अभी आ जाएँगे।' उसने उंगली से एक ओर इशारा किया। उसके स्वर से खुशी छलक रही थी। आज निशांत के होंठों पर भी हल्की सी थोड़ी सी ज्यादा मुस्कुराहट आ गई।

दूसरे दिन से ही प्रकाश का प्रशिक्षण घर पर शुरु। जीवन फिर से लय-ताल में डूबने लगी। जहीन दिमाग प्रकाश तेजी से सीखने लगा। निशांत अक्सर अपने भीतर उतरता। वहाँ उसे अंकुल का सान्निध्य मिलता। देर तक अंकुल साथ रहता। इतनी ही तेजी से सीखता था वह। शांत होने लगा था निशांत। दिल दिमाग पर पड़ी धूल छँटने लगी थी।

कुछ महीनों में संगीत कला का बोर्ड पुन: चमकने लगा। बोर्ड के साथ किनारे पड़ी उसकी सबसे कीमती शहनाई, जिसे वह अंकुल के साथ जुगलबंदी के समय बजाया करता था, जिसने विदेशों में भी अप्रतिम प्रतिष्ठा दिलाई थी, धूल झाड़कर उठ खड़ी हुई।

- फ्लैट नं.10, ब्लॉक-डी
सत्यभामा ग्रांड, कुसाई कॉलोनी
एस बी आई के समीप , दोरंडा
राँची-834002
मोबाइल: +91 9431701893

डॉगी का बिस्कुट

- डॉ शैल चंद्रा -

'अम्मा! हम लोगों की जात क्या है?' नन्हा मोनू पूछ रहा था।

'क्यों तुझे जात का क्या करना है?' अम्मा ने झुंझलाते हुए कहा।

'वो गली के मोड पर जो बड़ी बिल्डिंग है न, जिनके यहाँ डॉगी है। आज मैं उनके डॉगी के साथ खेल रहा था। उन्होंने अपने डॉगी को ढेर सारा दूध और बिस्कुट खाने को दिया था। मैंने चुपके से डॉगी का एक बिस्कुट खा लिया। आंटी ने मुझे बिस्कुट खाते देख लिया। फिर उन्होंने खूब डाँटा और अपने आँगन से भगा दिया। कहा - 'चल भाग यहाँ से, न जाने किस जात का है? कुत्ते की बिस्कुट खा गया।' बताओ न अम्मा! हमारी जात क्या है?'

यह सुनकर माँ की आँखों से आँसू छलक आये। वे आँसू पोंछती हुई बोलीं - 'बेटा, जातियाँ तो बहुत होती हैं। पर हमारी गरीबों की जाति सिर्फ और सिर्फ गरीबी होती है।' अम्मा की बात सुनकर मोनू के चेहरे पर उदासी छा गई।

- रावण भाठा, नगरी
जिला धमतरी, छत्तीसगढ़
मोबाइल: +91 997783464

शब्द संसार भी बहुत जटिल व कठिन है...

- श्री ओमप्रकाश 'मंजुल' -

मानव संसार की तरह शब्द संसार भी अति विशाल व विराट तो है ही, परम विचित्र व जटिल भी है। यह अथाह सागर और असीम जंगल जैसा है। सागर में व्हेल, घड़ियाल और सर्प जैसे विविध प्रकार के खतरनाक व घातक जीव होते हैं तो हीरे, मोती, जवाहरात जैसे कीमती रत्न भी होते हैं। इसीलिए समुद्र को 'रत्नाकर' भी कहा गया है। इसी तरह जिस जंगल में शरीर को नोचने-फाड़नेवाली जटिल व कटीली झाड़ियाँ एवं आँखों को अच्छे न लगनेवाले टेढ़े-मेढ़े, मोटे-पतले व गूमड़ तथा गाँठोंवाले पेड़ होते हैं, उसी वन में धूप-चंदन और देवदार जैसे देववृक्ष एवं विविध प्रकार के फल व फूल वाले नयनाभिराम पादप व लताएँ भी होती हैं।

ऐसे ही शब्दों की लीला व माया भी बड़ी विचित्र और जटिल है। 'राम' भी शब्द है और 'रावण' भी शब्द है, पर 'राम' के श्रवण से जहाँ हृदय श्रद्धा से भर जाता है, वहीं 'रावण' के उच्चारण मात्र से मन में घृणा का उद्रेक होने लगता है। एक बात और - आज के आविष्कारक और सूचना प्रौद्योगिकी व विद्वता के अत्याधुनिक युग में भी निश्चितता से नहीं कहा जा सकता है कि भाषा पहले आई या मानव? यह प्रश्न भी 'मुर्गी पहले आई या अंडा?' वाले प्रश्न जितना ही गूढ़ एवं अनुत्तरित है। साथ ही यह प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भाषा को व्यक्ति ने बनाया है या महासागर और महावन को बनानेवाली प्रकृति ने ही बनाया है? और हो सकता है कि बाद में व्यक्ति ने इसका विकास व विस्तार किया हो। (श्रीमद्भागवत-महापुराण में उल्लेखित अनुसार ब्रह्माजी ने शून्य में 'तप', 'तप' दो बार तप शब्द सुना और उससे प्रेरित होकर उन्होंने एक हजार दिव्य वर्षों तक तप किया। वे सृष्टि निर्माण में सक्षम हुए और उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया।) अधिक विस्तार में न ले जाकर यहाँ यथा आवश्यक अंग्रेजी के कुछ शब्दों सहित हिंदी के शब्दों की विचित्रताओं एवं सुखद जटिलताओं का वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ:

हिंदी व अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण और अर्थ में समानता:

हिंदी और अंग्रेजी में ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनका उच्चारण और अर्थ दोनों समान हैं। इस समानता को देख कर एक बारगी यह सोचने को विवश होना पड़ता है कि कदाचित अंग्रेजी हिंदी से ही निकली हो और कालांतर में उसने अपना भिन्न शब्दकोश और व्याकरण बना लिया हो। ऐसे कतिपय शब्दों को देखें:

पथ	Path	कवच	Cover	अंदर	Under
खाट	Cot	अंतर	Inter	नाम	Name
अर्ज	Urge	बैरा	Bearer	ऊपर	Over
पार	Par	लूट	Loot	अंतरिम	Interim
डकैती	Dacoity	शैतान	Satan	कटाई	Cutting
आदम	Adam	पटल	Portal	बैल	Bull
डाक	Dak	चीट	Cheat/chit	रोमांच	Romance
क्लेश	Clash	संतरी	Sentry	सिपाही	Sepoy
मील	Mile	पैदल	Pedal	कोयला	Coal
वारना	Burn	पुरोगम	Program	कांड	Scandal
केतली	kettle	गली	Gallary	नवल	Novel
अलोप	Elope	आठ	Eight	संत	Saint
पात्र	Pot	काज	Cause	नौ	Nine
हीन (नीच)	Heinous	व्यवहार	Behaviour	अर्थ	Earth
रोग	Rogue	गुण	Good	सोख	Soak
साम (सामवेद में वर्णित ईश्वरीय गान)			Psalm		

हिंदी में घुसपैठिए शब्द:

ऐसा कहा जाता है कि बात के पैर सबसे लंबे होते हैं। मुँह से निकली हुई बात अथवा बोली क्षितिज से टकराकर ही दम लेती है। शब्दों के उच्चारण की परंपरा तेजी से बढ़-फूल-फल कर कालांतर में इतनी रूढ़ हो जाती है कि कभी-कभी अशुद्ध शब्द शुद्ध और शुद्ध शब्द अशुद्ध से प्रतीत होने लगते हैं। ये शब्द मानवीय घुसपैठियों की तरह घुसपैठ कर दीर्घकाल में स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। कुछ गलत शब्द सही शब्दों जैसे व्यवहृत हो रहे हैं। देखें:

शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध
गलती	गल्ती	गलत	गल्त	विद्यालय	विध्यालय
असमर्थ	अस्मर्थ	त्योहार	त्यौहार	वेश्या	वैश्या
कैलास	कैलाश	नेपाल	नैपाल	तत्त्व	तत्व

उपरोक्त में कुछ गलतियाँ इस प्रकार एवं इस स्तर की होती हैं कि गलती करनेवालों को क्षमा नहीं किया जा सकता। उत्तरप्रदेश के कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मैंने 'विध्यालय' बोलते हुए सुना। ये लोग समझते हैं कि 'औषधालय' की भांति ही स्कूल का उच्चारण 'विध्यालय' होना चाहिए। ये अयोग्य अधिकारी यह नहीं जानते कि औषधालय शब्द औषध+आलय से बनता है, जबकि विद्यालय विद्या+आलय से बनता है। हिंदी भाषा के बड़े-बड़े कार्यक्रमों एवं दूरदर्शन के कार्यक्रम में भी गर्व से 'सुस्वागतम' लिखा अथवा बोला जाता है, जबकि 'स्वागतम' शब्द से ही उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्य में भी बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के अनेक शिक्षकों द्वारा आशीर्वाद को आशीर्वाद/आर्शीवाद लिखते देखा गया है।

कुछ लेखकों व प्रिंट मीडिया ने ज्ञान और स्थान के अभाव में 'आदि' शब्द को ऐसा पकड़ा है कि 'इत्यादि' शब्द को लिखना-छापना ही छोड़ दिया, जबकि आदि अपर्याप्त है और इत्यादि का अर्थ होता है, 'अंत के पीछे से आरंभ तक' अथवा 'आरंभ से आगे अंत तक' उल्लेखनीय व्यक्ति/वस्तुएँ इत्यादि।

अंग्रेजी में समान उच्चारण व समानार्थी शब्दों की दो वर्तनियाँ एवं एकवर्तनी के असमान उच्चारण अर्थी शब्द:

इंग्लिश शब्दकोश की शायद यह निराली विचित्रता है कि इसमें एक ओर ऐसे शब्द हैं, जिनका अर्थ और उच्चारण समान होने के बावजूद उनकी वर्तनी में भिन्नता है, तो दूसरी ओर ऐसे शब्द हैं, जिनकी वर्तनी तो समान है, पर उच्चारण और अर्थ में भिन्नता है, देखें:

उच्चारण	अर्थ	वर्तनी
सेंटर	केंद्र	Centre, Center
फैण्टम	भयंकर छवि	Fantom, Phantom
पिग्मी	लघु	Pigmy, Pygmy
जिप्सी	अस्त-व्यस्त	Gipsy, Gypsy
पेडलर	फेरीवाला	Pedlar, Pedler
आइडिल	ग्राम्य जीवन-वर्णन	Idyl, Idyle

वर्तनी	उच्चारण	अर्थ
Arch	आर्च	गोलाकार रचना
Arch	आर्क	मुख्य
Minute	मिनट	घंटे का 1/60 भाग
Minute	माइनूट	सूक्ष्म
Learned	लर्न्ड	सीखा
Learned	लर्नेड	विद्वान
Bow	बो	मोड़
Bow	बाउ	नमस्कार, स्वीकृति

इस प्रकार के अनेक शब्द हैं, जिनका स्थानाभाववश यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

कैसे मित्र शब्द मौका मिलते ही शत्रु बन जाते हैं:

कुछ शुद्ध शब्द एक स्थान पर समान अर्थ प्रकट करते हैं। दूसरे किसी स्थान पर वे बिल्कुल उसका विलोम अर्थ प्रकट करते हैं। शायद हिंदी शब्दों में यह विचित्रता इंग्लिश शब्दों से आई है, क्योंकि हम अंग्रेजों के पुराने नकलची रहे हैं। दोनों भाषाओं के ऐसे शुद्ध शब्द देखें। जैसे:

शब्द	उच्चारण	अर्थ
Offer	ऑफर	लेना, देना
Ravel	रैवल	फँसाना, खोलना
Blunt	ब्लंट	तेज, कुंद
Genius	जीनियस	अतिप्रतिभावान

'लोप' व 'आलोप', 'शेष' व 'अवशेष', और 'सृजन व विसर्जन' (विसजन) देखने में विलोम लगते हैं, पर हैं पर्यायवाची। तुलसी द्वारा प्रयुक्त 'सहरोषा' का 'सहर्ष' अर्थ भी सही है और 'सह रोष' (आक्रोश के साथ) भी सही है। संभ्रात का अर्थ पूर्णभ्रांत होना चाहिए। पर इसका रूढ़ अर्थ इससे लगभग पूरा उल्टा याने पूर्व सज्जन होता है।

हिंदी में द्विरूपीय शुद्धतावाले शब्द:

हिंदी में ऐसे शब्दों की काफी संख्या है, जो दोनों ही रूपों में शुद्ध माने जाते हैं। हालाँकि इन दोनों ही रूपों में अंतर अति सूक्ष्म होता है। इन शब्दों पर क्षेत्रीय ध्वन्यात्मकता का भी असर पड़ता है, उदाहरणार्थ बंगाल के लोग 'व' को भी 'ब' बोलते और कभी-कभी लिखते भी हैं, जैसे प्रणव के स्थान पर प्रणब एवं 'प्रवास' में प्रयुक्त 'स' के स्थान पर 'ष' अथवा 'श' का उच्चारण करते हैं। ऐसे ही वे लोग 'साहब' के स्थान पर 'शाहब' बोलते हैं। अवध के लोग 'श' के स्थान पर अधिकांशत: 'स' उच्चारित करते हैं, जैसे 'शंकर' के स्थान पर 'संकर' इत्यादि। उदाहरणार्थ द्विरूपी शुद्धतावाले कुछ शब्दों को देखें:

वसंत	बसंत	वीर	बीर	विना	बिना
विमल	बिमल	वामन	बामन	श्रीमान	श्रीमन
वाजपेई	बाजपेई	शिर	सिर	दस	दश
वाह्य	बाह्य	वहिन	बहन	सारणी	सारिणी
गृहणी	गृहिणी	वन	बन	ब्रज	ब्रज/व्रज
मिष्ठ	मिष्ट	पृष्ट	पृष्ठ	छाई	झाई
सृजन	सर्जन	जशोदा	यशोदा	यमुना	जमुना
धरणी	धरिणी	सरणि	सरणी	केवट	खेवट
युग	जुग	वाण	बाण	नाप	माप

विशेष:

कुछ शब्द जैसे 'षड़यंत्र' व 'क्रीडा' आदि का लापरवाही से हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इस तरह के सभी शब्द संस्कृत से आए हुए हैं। इनकी हिंदी 'ड' के नीचे बिंदी लगाने पर बनती हैं, याने 'क्रीडा' को 'क्रीड़ा' और 'षड़यंत्र' को 'षडयंत्र' बनाया जाता है।

हिंदी में अंतर्व्यतिक्रम वर्णीय शब्द:

हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनमें दो वर्णों के इधर से उधर स्थानांतरित होने के कारण शुद्धता नष्ट होनेवाले शब्द धड़ल्ले से प्रचलन में हैं। इनका व्यवहार वैसे ही होता है, जैसे भारत में कोई भ्रष्ट व्यक्ति का होता है, जो ईमानदार व शरीफ व्यक्तियों के सामने मूँछों पर ताव देकर बात करता है। खैर, ऐसे कुछ शब्दों का दर्शन कीजिए:

शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध
आह्लाद	आल्हाद	अपराह्न	अपरान्ह
वह्नि	वन्हि	आह्वान	आवाह्न
हिरण्यकश्यप	हिरण्यपश्यक	मध्याह्न	मध्यान्ह
मुगदर	मुदगर	तीर्थराम	रामतीर्थ
आह्वान	आवाह्न	देलही	देहली
झकझोरा	झझकोरा	हिंस्र	सिंह
चिह्न	चिन्ह	भर्ग	गर्भ
कोलतार	तारकोल	नाश	नशा

विविध:

इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ विचित्र, मूर्खतापूर्ण एवं हास्यास्पद प्रयोगों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. 'बावजूद' शब्द के बाद 'भी' का प्रयोग उचित नहीं है। क्योंकि 'बा' का अर्थ होता है 'सहित' अथवा 'भी'। जैसे, 'मेरे मना करने के बावजूद वह मेला चला गया' शुद्ध है, जबकि 'मेरे मना करने के बावजूद भी वह मेला चला गया' अशुद्ध है। इसी प्रकार 'अपितु' के साथ 'भी' का प्रयोग होते देखा गया है, जबकि अपितु का अर्थ 'भी' होता है। जैसे, 'कार्यक्रम में न केवल प्रमाण-पत्र अपितु नकद राशि दी गई' - यह शुद्ध है, जबकि 'कार्यक्रम में न केवल प्रमाण-पत्र अपितु नकद राशि भी दी गई' - अशुद्ध है, जिसका प्रयोग धड़ल्ले से होता है। कई बार सुनने के लिए मिलता है, जब लोगों की संख्या के लिए 'बड़ी मात्रा' का प्रयोग किया जाता है, जबकि ऐसी जगहों पर 'बड़ी संख्या' का प्रयोग होना चाहिए। गनीमत है कि अभी तक किसी 'चाय में बहुत अधिक संख्या में चीनी डाली गई है,' कहना शुरू नहीं हुआ है।
2. हिंदी का एक प्रसिद्ध अखबार, जो स्वयं में विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला घोषित करता है, वह जब लिखता है कि 'अमुक ने हर एक सवाल का बखूबी से जवाब दिया', तो उसकी भाषाई समझ पर सवाल उठना लाजिमी है। दरअसल 'हर' लिखने के बाद 'एक' लिखना जरूरी नहीं है।
3. राष्ट्रीय दूरदर्शन पर 'अब की बरस मोहे बिटिया ही दीजो' धारावाहिक आता था। किसी ने दूरदर्शन को पत्र लिखा कि 'पहले ही जनाधिक्य से ग्रस्त भारत जैसे देश में आपका यह नारा गलत है। यदि महिलाएँ प्रतिवर्ष लड़की पैदा करने लगीं तो देश की क्या हालत होगी? यदि ऐसा नारा देना ही है तो 'अब की बरस' की जगह 'अब की बार' लिखा जाना चाहिए।
4. भाषाई प्रयोग से जुड़ा एक घटना राजस्थान के चुरू में देखने के लिए मिली, एक देवी जी भागवत कथा कह रही थीं। चुरू का यह देहाती और पिछड़ा क्षेत्र था। कथा सुननेवाले में अधिकतर ग्रामीण स्त्रियाँ थीं, जो आगे बैठी हुई थीं। देवी जी का संवाद सुने 'जैसे हेलीपैड को साफ-सुथरा और चिकना बनाए जाने के बाद ही हेलीकाप्टर लैंड होता है, वैसे ही जब तुम अपने तन और मन दोनों को साफ, स्वच्छ और चिकना बनाओ, तभी भगवान तुम्हारे शरीर में लैंड करेंगे।' सामने बैठी स्त्रियों ने क्या समझा भगवान ही जानता है।
5. खरगोश की मुद्रा से साम्य रखने के कारण एक आसन को 'शशकासन' कहा जाता है। मुखसुख के कारण इसे 'शशांक आसन' कहने की परंपरा रूढ़ हो गई है, जबकि खरगोश को 'शशक' कहा जाता है, 'शशांक' (चंद्रमा) नहीं।
6. हिंदी के अखबारों में प्रयोग होने वाले कुछ शीर्षक इतने हास्यप्रद होने लगे हैं कि उन पर तरस आती है, जैसे: 'दारोगा की शिकायत से कोतवाली हडकंप।' इससे बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि किसी ने दारोगा के खिलाफ कोई शिकायत उच्चाधिकारी से की है या स्वयं दारोगा ने कोतवाल आदि से शिकायत की है। 'टीचर की पिटाई से छात्रों में रोष' इसमें पता नहीं चल रहा है कि टीचर ने किसी छात्र को पीटा है या अन्य किसी ने टीचर को पीटा है। इस वाक्य का विन्यास देखें, 'बच्चे के पिटे जाने पर पड़ोसी की पत्नी को गोली मारी' यह वाक्य इतना अस्पष्ट है कि बिना पूरी खबर पढ़े कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। या फिर 'घर में घुस कर कुत्ता उठा ले गया तेंदुआ' शीर्षक से प्रथमत: आपको नहीं लगता, मानो कुत्ता तेंदुवे को उठाकर ले गया हो? एक और खबर का शीर्षक देखें, 'सदस्यों ने गन्ने को लेकर सदन में हंगामा किया' आदि भाषा की दृष्टि से बहुत चिंतनीय व मननीय हैं।

- 'कामायनी' कायस्थान
पूरनपुर, पीलीभीत-262122
मोबाइल: +91 8954552879

चूर्णित कोयला प्रेषण

(धमन भट्ठी के उप महाप्रबंधक (यांत्रिकी) श्री सुमन कुमार झा के सौजन्य से)

धमन भट्ठी को इस्पात उद्योग का रीढ़ कहा जाता है। विश्व के लौह उत्पादन में धमन भट्ठी का 85% से अधिक का योगदान है। धमन भट्ठी द्वारा सिंटर, लौह अयस्क, कोक, लाइमस्टोन जैसे प्रमुख कच्चेमाल के उपयोग से तप्त धातु बनाया जाता है, जिसे इस्पात गलन शाला में भेजकर द्रव इस्पात में परिवर्तित किया जाता है एवं सतत ढलाई मशीनों में ढालकर ब्लूम व बिलेट जैसे अर्द्ध-परिसज्जित एवं लंबे एवं फ्लैट परिसज्जित उत्पाद बनाये जाते हैं।

देश में कोकिंग कोयले के कम स्रोत एवं आयातित लागत से बचने के उद्देश्य से देश के लगभग सभी आधुनिकीकृत धमन भट्ठियों में कोक के आंशिक प्रतिस्थापन के उद्देश्य से चूर्णित कोयला का प्रेषण किया जाता है। इसी क्रम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में तप्त धातु उत्पादन हेतु कोक की जगह चूर्णित कोयले के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

चूर्णित कोयले से महीन पिसा हुआ कोयला अभिप्रेत है, जिसका धमन भट्ठी में बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। चूर्णित कोयले से कोक की मात्रा के साथ-साथ आवश्यक ऊर्जा के उपयोग में भी कमी होती है।

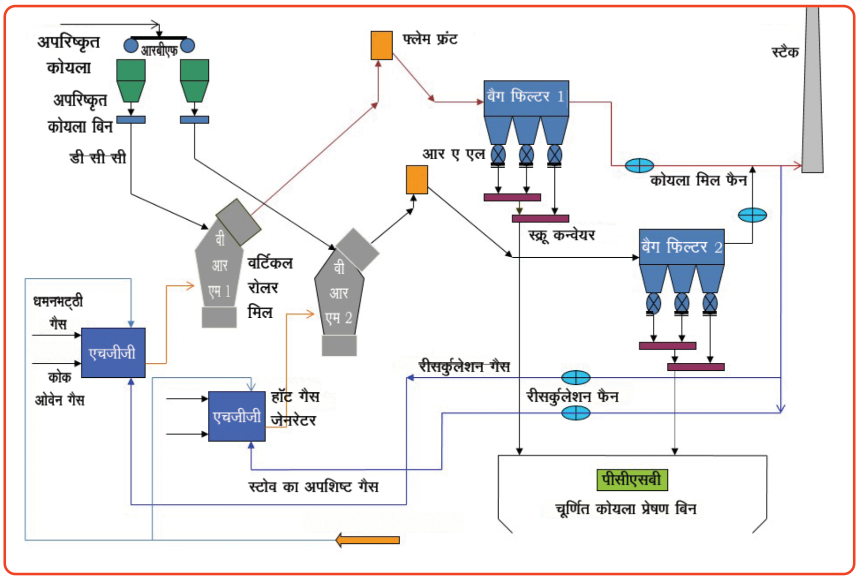

तप्त धातु के उत्पादन हेतु चूर्णित कोयले के उपयोग की प्रक्रिया में सबसे पहले ग्राइंडिंग व ड्राइंग प्लांट में अपरिष्कृत कोयले को महीन पिसा जाता है। इसके लिए ग्राइंडिंग व ड्राइंग प्लांट में दो लाइन होते हैं। प्रत्येक लाइन एक ऊर्ध्वाधर रोलर मिल से जुड़ा होता है, जिसमें ड्रैग चेन कन्वेयर द्वारा च्यूट के माध्यम से कोयला डाला जाता है। कन्वेयर के माध्यम से प्राप्त कोयले में फेरस एवं नॉन-फेरस तत्व भी होते हैं। मैग्नेटिक सेपरेटर की सहायता से उसमें मौजूदा मेटालिक तत्वों को अलग किया जाता है।

तत्पश्चात उसे रिवर्सिबुल कन्वेयर के माध्यम से अपरिष्कृत कोयला बंकरों में भरा जाता है। मिल में भरी जानेवाली कोयले की मात्रा ड्रैग चेन कन्वेयर के वेरिएबुल स्पीड ड्राइव के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। मिल में सामग्री भेजने की मात्रा का चूर्णित कोयला बंकर के वजन से पता लगाया जाता है। अपरिष्कृत कोयला मिल, ड्रैग चेन कन्वेयर के नीचे रखी जाती है, जहाँ अधिकतम 80 मिलीमीटर आकार के कोयले को अपेक्षित आकार में पिसा जाता है और सुखाया जाता है।

हॉट गैस जेनरेटर (एच जी जी) से उत्पन्न तप्त गैसों के उपयोग से कोयले को सुखाया जाता है। एच जी जी में बर्नर सहित रीफ्रैक्टरी से बना चैंबर होता है, जिसमें ईंधन के रूप में धमन भट्ठी गैस एवं इग्नीशन गैस के रूप में कोक ओवेन मिश्रित गैस का उपयोग किया जाता है। मॉड्युलेटेड कंट्रोल डैंपर्स के माध्यम से हीटिंग गैस को मिल में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कंबस्सन एयर फैन से वायु, धमन भट्ठी गैस अथवा मिश्रित गैस एवं स्टोव अपशिष्ट गैस की स्वीकार्य मात्रा मिल में प्रेषित की जाती है। 'वायु से ईंधन' का अनुपात न्यूनतम रखा जाता है, ताकि सीमित समय में कंबस्सन की प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। वांछित परिणाम की प्राप्ति हेतु मिल में ईंधन एवं वायु की मिश्रित मात्रा के माध्यम से लक्षित तापमान को बनाये रखा जाता है।

इसके बाद उस महीन कोयले को गैस स्ट्रीम के माध्यम से बैग फिल्टर में भेजा जाता है। बैग फिल्टर से चूर्णित कोयला आवश्यकता के आधार पर स्क्रू फीडर के माध्यम से चूर्णित कोयला बंकर में भेजा जाता है। गैस एनलाइजर के माध्यम से गैस में ऑक्सीजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को मापा जाता है। बैग फिल्टरों एवं चूर्णित कोयला भंडारण बिन (पी सी एस बी) के बीच दो सीविंग मशीन लगी रहती हैं, जिनसे चूर्णित कोयले के बड़े टुकड़ों को छाँट लिया जाता है, ताकि चूर्णित कोयले के प्रवाह में कोई बाधा न आए। तत्पश्चात चूर्णित कोयले को पी सी एस बी में इकट्ठा किया जाता है और इसके बड़े टुकड़ों को

निचले तल में स्थित दो बिनों में संग्रहित किया जाता है। ये बिन समय समय पर खाली किये जाते हैं और इन्हें खाली करते समय बिन के नीचे के पाइप में स्थित मैनुअल स्लाइड वॉल्व को बंद रखा जाना अनिवार्य होता है।

पी सी एस बी में चूर्णित कोयले का भंडारण किया जाता है। साथ ही इस बिन में नाइट्रोजन को प्रवाहित कर कोयले को संरक्षित किया जाता है, ताकि अन्य गैसों के प्रवाहित होकर घनीभूत होने से भट्ठी में कोयले की आपूर्ति में बाधा न हो। पी सी एस बी में उपलब्ध कोयले की मात्रा का मापन पद्धति के माध्यम से अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिए 3 लोड सेल लगे होते हैं, जिनसे प्राप्त संकेतों के आधार पर भंडारण बिन में कोयले की शेष मात्रा का पता लगाया जाता है और निर्धारित स्तर पर पहुँचने के बाद बिन पुन: चूर्णित कोयले से स्वत: भरने लगता है।

जब चूर्णित कोयला, भंडारण बिन से कन्वेयिंग हॉपर में भेजा जाता है, उसके निर्बाध प्रवाह को बनाये रखने के लिए कोनिकल सेक्शन के निचले हिस्से में पाइप के माध्यम से नाइट्रोजन लगातार प्रवाहित किया जाता है। कन्वेयिंग हॉपर, कोयला भंडारण बिन के नीचे लगे होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण पद्धति के माध्यम से भरते हैं। कन्वेयिंग हॉपर से भट्ठी में चूर्णित कोयले की आपूर्ति की जाती है, जिसे ऑन-लाइन हॉपर कहा जाता है और उसके खाली होने तक दूसरे कन्वेयिंग हॉपर, जिसे ऑफ-लाइन हॉपर कहा जाता है, में चूर्णित कोयला भरा जाता है। जब पहला कन्वेयिंग हॉपर खाली हो जाता है तो दूसरे कन्वेयिंग हॉपर से भट्ठी में कोयले की आपूर्ति की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया प्रोग्रामेबुल लॉजिक कंट्रोल (पी एल सी) से संचालित होती है। कन्वेयिंग हॉपर से नाइट्रोजन के माध्यम से घनीभूत कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

धमन भट्ठी-3 के लिए चूर्णित कोयला प्रेषण दर 60 टन प्रतिघंटे है। इस हिसाब से इस भट्ठी के लिए औसतन तप्त धातु उत्पादन के लिए अधिकतम प्रेषण दर 200 किलोग्राम प्रति टन है। इस अधिकतम डिजाइन स्तर से टर्नडाउन अनुपात 5:1 है, जो 12 टन चूर्णित कोयला प्रति घंटे के बराबर है। किसी कन्वेयिंग हॉपर से अधिकतम प्रेषण दर लगभग 13 मिनट ऑन-लाइन रनिंग टाइम है। जब ऑफ-लाइन हॉपर पर ऑन-लाइन हॉपर के बराबर दाब बनने लगता है अथवा प्रचालक द्वारा चयनित स्तर पर दाब पहुँचने लगता है, कन्वेयिंग हॉपर में नाइट्रोजन आपूर्ति स्वत: बंद हो जाती है। कोयला प्रवाह दर ठीक हो, इसके लिए उपयोग किये जानेवाले नाइट्रोजन का प्रवाह दर कंट्रोल वॉल्व से नियंत्रित किया जाता है।

कन्वेयिंग हॉपर से चूर्णित कोयला वायुचालित तरीके से घने रूप में डिस्ट्रिब्यूटर स्टेशन में भेजा जाता है, जहाँ से फिर ट्युअरों के माध्यम से भट्ठी में प्रेषित किया जाता है। पी सी आई संरचना एवं डिस्ट्रिब्यूटर के बीच कन्वेयिंग लाइन की लंबाई लगभग 220 मीटर है। कन्वेयिंग लाइन ऐसा बनाया गया है, जिससे लाइन वेअर एवं नाइट्रोजन गैस की खपत न्यूनतम हो। डिस्ट्रिब्यूटर एवं ब्लोपाइप के बीच चूर्णित कोयला प्रेषण लाइन की लंबाई लगभग 80 मीटर है। यदि पाइपलाइन में घर्षण की स्थिति हुई तो नाइट्रोजन गैस के दाब में कमी आ जाती है, जिससे गैस फैल जाती है। दाब में कमी के कारण गैस के फैलने से कन्वेयिंग लाइन की गति बढ़ जाती है। अत: कन्वेयिंग लाइन के प्रवाह क्षेत्र के छोर पर पाइपलाइन की गति विपरीत दिशा की तुलना में अधिक होती है। दाब में कमी से बचने एवं लाइन की वेअर क्षमता को बनाये रखने हेतु कन्वेयिंग पाइपलाइन डिजाइन में बड़े आकार के घुमावदार बेंड लगाये गये हैं।

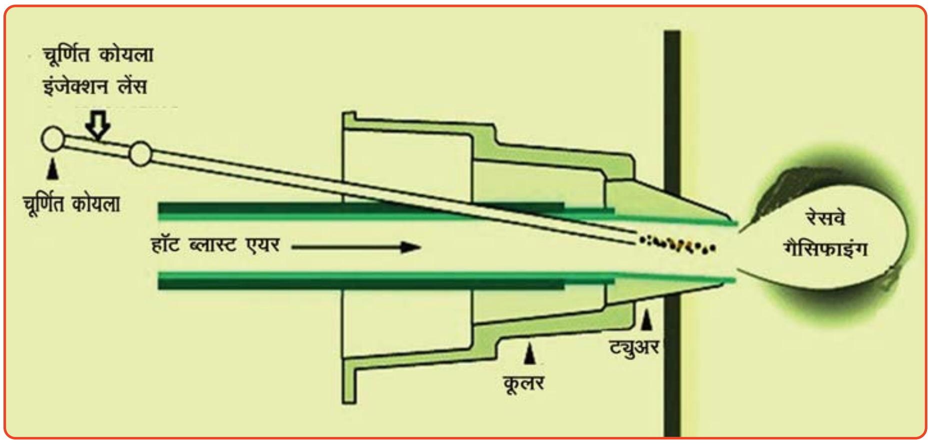

कन्वेयिंग पाइपलाइन में दो मिक्सिंग चैंबर हैं, जिनके माध्यम से पाइप में ट्युअर के हॉट ब्लास्ट प्रेशर की तुलना में दाब को अधिक बनाये रखा जाता है, ताकि दाब के पीछे की ओर प्रवाह से बचा जा सके। पी एल सी के कंट्रोल लूप के माध्यम से नाइट्रोजन प्रवाह की गणना की जाती है।

भट्ठी के समीप स्थित डिस्ट्रिब्यूटर सिमेट्रिकल इकाई है। भट्ठी के ट्युअरों को जानेवाले कोयला आपूर्ति लाइन डिस्ट्रिब्यूटर के ऊपरी हिस्से से जुड़े होते हैं। प्रत्येक लाइन का कोयला प्रेषण दर 1.75 टन प्रति घंटा है और भट्ठी हेतु चूर्णित कोयला प्रेषण दर कुल 60 टन प्रति घंटा है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में प्रचालित तीन धमन भट्ठियों में अधिकतम 153, 166 और 173 किलोग्राम प्रति टन तप्त धातु के दर पर चूर्णित कोयला प्रेषण किया गया है।

सन्यास

'सन्यास' शब्द के अर्थ की व्यापकता को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी कर्मशील सामाजिक परिस्थितियों में 'सन्यास' लेने वालों के प्रति बहुत अच्छी सोच नहीं है। उन्हें अकर्मण्य, पाखंड, पलायनवादी, गैर-जिम्मेदार और परावलंबी के रूप में देखा जाता है। अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग सन्यासी बन जाते हैं और उनसे समाज को कोई फायदा हो या न हो, वे समाज पर आजन्म बोझ बने रहते हैं।

प्राय: देखा गया है कि तथाकथित सन्यासी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह के साथ-साथ घृणा, द्वेष, शोषण और भय आदि सभी मानसिक संवेगों से ग्रसित रहते हैं। उनमें वस्त्र और बाह्य अलंकरण के सिवा साधारण मनुष्य से इतर कुछ खास नहीं होता। ऐसे सन्यासियों में भी वर्ग से लेकर अहंकार का संघर्ष होता ही रहता है। गुरु-शिष्य के बीच स्वार्थ का सेतु होता है। दोनों एक दूसरे से भयग्रस्त रहते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा गान करने पर ही शिष्य को अहमियत मिलती है। गुरु के पाँव दबाने पर ही शिष्य की अहमियत बनी रहती है। यह शास्त्र सम्मत 'सन्यास' का अपमान के सिवा और कुछ नहीं है।

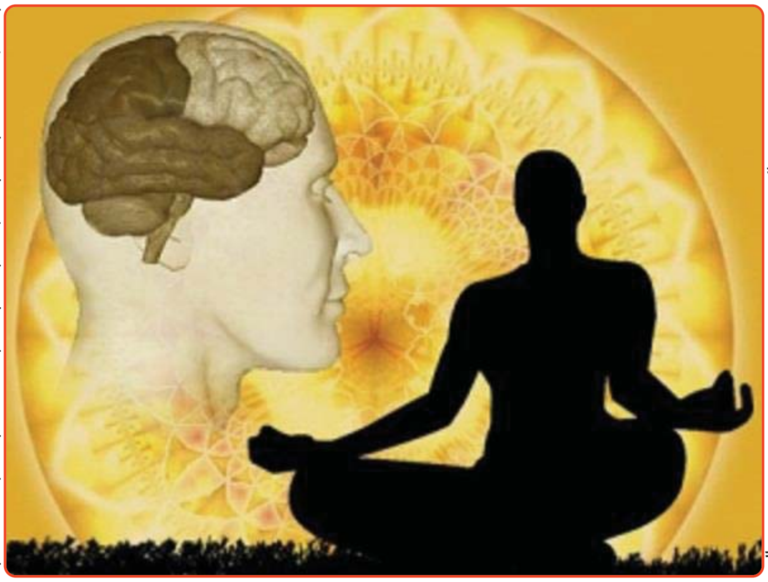

हालाँकि सन्यास की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि 'जब हम तटस्थता, निवृत्ति, निर्लिप्तता, निस्संगता, अलगाव अथवा अनासक्ति के भाव में होते या रहते हैं, तो इसे सन्यास कहते हैं।' अर्थात सन्यास की स्थिति में व्यक्ति संसार के मायाजाल से मुक्त होकर निर्लिप्त सा रहता है और सभी प्रकार की भौतिकताओं से विमुक्त होता है। उसे किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति आसक्ति अथवा प्रेम नहीं होता, बल्कि वह निष्काम भाव से तटस्थ हो जाता है।

गीता के एक अध्याय में तो 'कर्म एवं सन्यास' दोनों ही विपरीत स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 'कर्म सन्यास योग:' कहा गया है। अर्थात कर्म को जीवन का अभिन्न अंग और श्रेष्ठ जीवन का आधार माना गया है। यह एक योग है, क्योंकि इसमें कार्यशीलता, रचनात्मकता, सृजनशीलता, सक्रियता समाहित होती है। गीता में यह भी समझाया गया है कि कर्म-व्यस्तता से आम आदमी तनावमुक्त एवं चेष्टाहीन तटस्थता की स्थिति में बना रहता है। यही तटस्थता की स्थिति तो 'सन्यास' की मूलभूत आवश्यकता है। हालाँकि कर्म में व्यक्ति लौकिक व सोद्देश्य कार्य करता है। उसमें उसका स्वार्थ जुड़ा होता है। लेकिन सन्यास का उद्देश्य पारलौकिक व असंसारिक होता है। हालाँकि क्रियाशीलता, कर्म-व्यस्तता दोनों के लिए सामान रूप से अनिवार्य है।

सनातन धर्म के अनुसार जीवन में सन्यास आश्रम का प्रावधान है। सन्यास की स्थिति में एक गृहस्थ से अपेक्षा होती है कि निष्काम भाव से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निरंतर ईश्वर की साधना व स्मरण में लीन रहेगा। क्योंकि वह भौतिक संसार से मुक्त हो चुका होता है। अतएव विद्वानों का मानना है कि सन्यास का अर्थ जीवन के लिए मरना है। यह स्थूल स्वार्थी जीवन की पूर्ण मृत्यु सदृश है। सन्यास एक नए जीवन का जन्म है, जहाँ व्यक्ति का अंत हो जाता है और सन्यासी का जन्म होता है। जो शनै: शनै: विश्व का अनुपम स्वरूप धारण करता है। वह प्रेम व त्याग की प्रतिमूर्ति बनता है। वह करुणा का द्योतक होता है और राग-द्वेष से परे होता है। वह आवागमन के भय से मुक्त होता है और ईश्वर व उसकी सृजनाओं का सम्मान करता है।

ओशो ने सन्यास के संबंध में 'ए बर्ड ऑन दि विंग' नामक पुस्तक में लिखा है 'तुम्हारे भगवा रंग के वस्त्र, तुम्हारी माला - ये नियम हैं, सन्यासी होने के। यह सब खेल है। किंतु यह वह नहीं है, जो वास्तविक सन्यास से मेरा अभिप्राय है कि जब तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, जब तुम विना नाम के हो जाते हो, जब तुम इतने साधारण हो जाओगे कि तुम पहचाने नहीं जाओगे, तब सन्यासी होगे और तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं होंगे।'

मनुष्य को सन्यास जैसा सौंदर्य कोई और चीज नहीं देती। सन्यस्त होकर तुम सुंदर न हो पाओ तो समझो कि तुमसे कहीं भूल-चूक हो रही है। सन्यास स्वयं में इतना बड़ा श्रृंगार है कि उसके बाद किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता में सन्यासी की परिभाषा देते हुए कृष्ण ने कहा है -

> 'अनाश्रित: कर्मफलं कार्य कर्म करोति य:।
> स सन्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रिय:।।

अर्थात जो व्यक्ति कर्मफल की इच्छा न करते हुए योग्य कार्य करता है वह सन्यासी और योगी है। अर्थात कर्मयोगी भी एक सन्यासी है। सन्यास के लिए गेरुआ वस्त्र पहन लेना आवश्यक नहीं है।

श्री राजेंद्र तिवारी की गजलें

(1)

रोज जीते हैं रोज मरते हैं।
यूँ मजूरों के दिन गुजरते हैं।

चाँद सूरज नहीं हैं हम, लेकिन,
डूब कर रोज फिर उभरते हैं।

उनको दुनिया से डर नहीं लगता,
वो जो केवल खुदा से डरते हैं।

काँप उठते हैं दिल दरख्तों के,
जब परिंदों के घर बिखरते हैं।

हम न रुक पायेंगे तेरी खातिर,
वक्त के पाँव कब ठहरते हैं।

(2)

बंद रख खोल मत जवाँ प्यारे
कोई सुनता नहीं यहाँ प्यारे।

अब कहाँ जिंदगी तलाश करूँ
ढूँढ़ आया, कहाँ-कहाँ प्यारे।

इस तरह तय हुआ सफर अपना
हर कदम जैसे इम्तेहाँ प्यारे।

राह दिखलायेंगे जमाने को
छोड़ जा पाँव के निशाँ प्यारे।

नींद आती, न ख्वाब आते हैं
हो गया कौन मेहरबाँ प्यारे।

छोड़ भी, ये तकल्लुफी बातें
तू कहाँ और मैं कहाँ प्यारे।

(3)

लोग करते रहें साजिश, नहीं रुकने वाली,
जो है कुदरत की नवाजिस नहीं रुकने वाली।

भीगना है, कि बचें, आपको तय करना है,
आपके कहने से बारिश नहीं रुकने वाली।

ये जो चिनगारी 'हवस' की है, दबी रहने दें,
वर्ना ख्वाहिश की ये आतिश नहीं रुकने वाली।

दिल पे काबू जो न रख पाये, बहक सकते हैं,
ख्वाहिशों की तो गुजारिश नहीं रुकने वाली।

उसने कर दी जो सजा कोई मुकर्रर तो फिर,
चाहे जिसकी हो सिफारिश नहीं रुकने वाली।

(4)

दिन दिन विष पीते हैं जीवन की आस लिये।
सब यूँ ही जीते हैं, खंडित विश्वास लिये।

साँसों की डोरों पर, अभिनय मजबूरी है,
चेहरे विद्रूपी हैं, अधरों पर हास लिये।

बारूदी मौसम में साँसों के चंदन वन,
जलते दावानल से गुमसुम निःश्वास लिये।

छलना मृगतृष्णा है मिथकों में पलना है,
सागर सा अंतर्मन, मरुस्थल सी प्यास लिये।

जाने कब बीतेंगे ये दिन पतझरों के,
जाने कब आयेंगे नूतन मधुमास लिये।

(5)

क्यों घुटन, नैराश्य, कुंठा, त्रास की बातें करें।
एक तिनका ही सही विश्वास की बातें करें।

आपका ये दोमुहाँ दर्शन समझ आता नहीं,
सृजन का संकल्प लें, सन्यास की बातें करें।

साथ रहते दूरियाँ लेकर बहुत दिन जी चुके,
दूर होकर भी दिलों से पास की बातें करें।

खौफ के बादल छटें हर स्वपनदर्शी आँख से,
इंद्रधनुषी रंग की मधुमास की बातें करें

दर्द तो है दर्द उसकी जाति क्या, पहचान क्या,
हर किसी के दर्द के एहसास की बातें करें।

(6)

चंद उम्मीदें कमाकर दिन ढले,
फिर थके मजदूर घर को चल दिए।

हादसे - दर - हादसे - दर - हादसे,
आदमी जाये कहाँ अब क्या करे।

हादसों का सच नजर आता तुम्हें,
तुम अगर मेरी नजर से देखते।

जिंदगी की मुश्किलें सब हम पे हैं,
आप के हिस्से में आये सब मजे।

जो कहेंगे आप सच होगा वही,
आपकी तहरीर, कातिब आपके।

प्यार, पूजा, ध्यान, सजदा और नमाज,
एक ही मंजिल के सब हैं रास्ते।

(7)

किसी कांधे के ऊपर सर नहीं है।
ये केवल भीड़ है, लश्कर नहीं है।

तुम्हारा प्रश्न पर मुँह फेर लेना,
हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

सजा इस बात की पाई कि अब तक,
कोई इल्जाम अपने सर नहीं है।

मुसाफिर हूँ मैं उस रास्ते का जिस पर,
कोई भी मील का पत्थर नहीं है।

मेरी हिम्मत है बस दौलत सफर में,
मुझे लुटने का कोई डर नहीं है।

(8)

बुतों में, दर्द का एहसास भर गई होगी
हमारी आह, करिश्मा ये कर गई होगी।

जो छुप गई है, कहीं रेत के समुंदर में
नदी वो, प्यास के मारों से डर गई होगी।

जुनूँ का कहर हो, या बिजलियाँ फसादों की
कोई बला हो, गरीबों के सर गई होगी।

थकन से चूर, लिये दिल में याद बच्चों की
उदास जिंदगी, दफ्तर से घर गई होगी।

उदासियों का वही सिलसिला मिला होगा
जिधर-जिधर भी तुम्हारी नजर गई होगी।

(9)

कहते हैं दिन को रात कहो, किस तरह कहें।
बे-कायदे की बात कहो, किस तरह कहें।

अपने हैं उंगलियों के निशाँ कागजात पर,
उनके कलम-दवात, कहो, किस तरह कहें।

धनिया की लाश थी तो हवेली के बाग में,
किस्सा-ए-वारदात कहो, किस तरह कहें।

मोहरों की चाल पर भी भरोसा नहीं रहा,
शह दे के पाई मात, कहो किस तरह कहें।

सब कुछ बदल रहा है तरक्की के नाम पर,
लेकिन है वाहियात, कहो किस तरह कहें।

(10)

जिसकी आँखों में हया, और दिल में खुद्दारी नहीं
आजकल जीने में उसको, कोई दुश्वारी नहीं।

मुल्क की हालत बिगड़ती जा रही है दिन-ब-दिन
और दिल्ली कह रही है, कोई बीमारी नहीं।

आग सीने में भरी हो, ये तो अच्छी बात है
कूद जाना आग में, कोई समझदारी नहीं।

हमने ऐसे सूरमा तो आज तक देखे नहीं
जंग लड़ने चल दिए हैं कोई तैयारी नहीं।

मौत से लड़ती रही, फिर भी है जिंदा आज तक
जाने कितना हौसला है, जिंदगी हारी नहीं।

खूबसूरत भी है, दिलकश भी है, दरियादिल भी है
उसमें सारी खूबियाँ हैं, बस वफादारी नहीं।

इसलिए राजेंद्र शामिल हो न पाया भीड़ में
उसमें फनकारी तो है लेकिन अदाकारी नहीं।

(11)

मेरी आँखों ने यूँ तो राह चलते कारवाँ देखे
न देखे मील के पत्थर न कदमों के निशाँ देखे।

किसी प्यासे की खातिर तो नहीं उतरे पहाड़ों से
समुंदर तक पहुँचने को मगर दरिया रवाँ देखे।

कोई भी हादसा हो शहर भर खामोश रहता है
जबाँ रखते हुए भी लोग हमने बेजबाँ देखे।

हकीकत में कभी मिलते नहीं नजरों का धोखा है
जो आपस में गले मिलते जमीनो-आस्माँ देखे।

उसूलों का इरादों का मुहब्बत का वफाओं का
कोई जैसे भी चाहे लेके मेरा इम्तेहाँ देखे।

(12)

चंद दाने ढूँढ़ने बस्ती से वीराने गये।
हर सुबह घर से परिंदे जिंदगी लाने गये।

साजिशें नाकाम कर दीं ऐ हवाओं! शुक्रिया
उठ गई रुख से नकाबें लोग पहचाने गये।

घायलों से कितनी हमदर्दी थी उनको दोस्तों,
थैलियाँ लेकर नमक की जख्म सहलाने गये।

भूल हमसे हो गई या तुमसे नादानी हुई,
वर्ना कैसे महफिलों तक अपने अफसाने गये।

यूँ न जाओ गाँव अपना छोड़कर पछताओगे,
लोग काफी दूर तक हमको ये समझाने गये।

(13)

सर पे जिम्मेदारियों का बोझ है, भारी भी है
डगमगाते पाँवों से लेकिन सफर जारी भी है।

क्या हुआ दौलत नहीं, रुतबा नहीं, शोहरत नहीं
हाँ मैं मुफलिस हूँ मगर इज्जत है खुद्दारी भी है।

मस्लहत कहती है मौके की नजाकत देखिये
दिल को सच कहने की आदत है ये लाचारी भी है।

बात के मकसद को लहजे से समझ लेता हूँ मैं
यूँ बहुत नादान हूँ पर इतनी हुशियारी भी है।

सिर्फ चेहरा देखकर 'राजेंद्र' दिल देना नहीं
भोली-भाली सूरतों के दिल में मक्कारी भी है।

(14)

क्या मजा आता है जलने में, ये जलकर देखिये
आप मेरे साथ अंगारों पे चलकर देखिये।

आईने को बेसबब इल्जाम देना छोड़कर
अपनी ऐनक के जरा शीशे बदल कर देखिये।

आपकी दुनिया से बेहतर एक दुनिया और है
दायरों की कैद से बाहर निकल कर देखिये।

होके कतरा भी समंदर से बड़े हो जायेंगे
प्यास के मारों की खातिर कुछ पिघलकर देखिये।

देखने के शौक में खुद ही तमाशा हो न जाएँ
देखिये बेशक तमाशा पर संभलकर देखिये।

- तपोवन
38-बी, गोविंद नगर
कानपुर-208006
मोबाइल: +91 6386680768

श्री प्रभात कुमार झा की कविताएँ

मौत जीवन से ज्यादा बड़ी है

साँस ही साँस से डर रही है,
जाने कैसी ये मुश्किल घड़ी है।
हर तरफ दर्द है, त्रासदी है
मौत जीवन से ज्यादा बड़ी है।

हे दाता! कृपा इतनी कर दो,
मन में उम्मीद कुछ ऐसी भर दो।
हैं पथिक राह लंबी है इनकी,
पग 'वामन' सा हो जाए वर दो।

राह चलते हुए उसका मरना
मन कहता मानवता मरी है।
हर तरफ दर्द है, त्रासदी है
मौत जीवन से ज्यादा बड़ी है।

काल का छाप नित होता अंकित
मृत्यु का नृत्य करता सशंकित।
हर दिशा जान पड़ती है मरघट,
देखकर दृश्य है प्राण कंपित।

हर गली, गाँव, नुक्कड़, शहर में
मुँह छिपाए विपत्ति खड़ी है।
हर तरफ दर्द है, त्रासदी है
मौत जीवन से ज्यादा बड़ी है।

राम तुमको फिर आना पड़ेगा
भारती को बचाना पड़ेगा।
धुंध सी छा गई है धरा पे,
सूर्य अपना जगाना पड़ेगा।

हर तरफ दर्द है, त्रासदी है
मौत जीवन से ज्यादा बड़ी है।

घर को लौटे वीर किसान

देख रहा हूँ ढलती शाम
सूरज बाँध रहा सामान
पंछी पेड़ को वापस जाते
घर को लौटे वीर किसान।

सुवह से पंछिया धौंक रहा है
कृषक बदन को छौंक रहा है
फसलें पकने को तैयार
जिसका करता वह इंतजार।

मन प्रफुल्लित, भूल थकान!
घर को लौटे वीर किसान!

अवकी फसल अच्छी आवेगी
घर में खुशहाली लावेगी
सर से कर्ज उतर जावेगा
घर बिकने से बच जावेगा।

मेहनत पावेगा सम्मान!
घर को लौटे वीर किसान!

पिछली फसल गई थी मारी
जाने कैसी लगी बीमारी
भुट्टे पे दाने ना आए
गेंहू ने भी खूब छकाए।

कर्ज ब्याज पहुँचा आसमान!
घर को लौटे वीर किसान!

सोचा मजदूरी कर लूँगा
यहाँ नहीं कहीं और करूँगा
कर्ज चुका के ही लौटूँगा
सहसा मन ने कहा नहीं रे।

पुरखों का होगा अपमान!
घर को लौटे वीर किसान!

विता दिए यूँ ही यह साल
मन में लिए यही मलाल

काश ना कुल का चक्कर होता
तो वह भी ना फक्कड़ होता।

ऊँची जाति, ऊँचा शान
कैसी जाति, कैसा शान
झूठी जाति, झूठा शान
घर को लौटे वीर किसान।।

मैं प्रतिपल लिखता रहता हूँ

मैं प्रतिपल लिखता रहता हूँ
जीवन की अबूझ कहानी को
आँखों में सज्जित लज्जा को
आँसू बन ढलते पानी को।

हर कदम - कदम दोराहा है
वह दूर है जिसको चाहा है
ऐ मंजिल तेरी मस्तकविल
को हमने सदा सराहा है।

जिंदा हैं हम साबित करती
रक्तिम पद चिन्ह निशानी को
कुंडली प्रबंध से बंधा यह मन
रुक- रुक हिचकोले लेता है।

गिरकर उठना, उठकर चलना
जीने का मकसद देता है
रज से पर्वत बन जाए जो
खम भरती नई जवानी को।

है आज यहाँ कल जाने कहाँ
तय वक्त हमेशा करता है।

रजनी के तमस कूप से छन
नित दिनकर नया निकलता है
संघर्ष सिंधु के सीने पर
बलखाती मौज रवानी को।

बेबस भारत चलता है

शहर-शहर और डगर-डगर
बेबस भारत चलता है।
मंगल तक तो पहुँच गए,
भूखा भारत खलता है।

पथिक उठाए बोझ चल रहा,
जीने को हर रोज चल रहा।
सपनों का षडयंत्र चल रहा,
पटरी पर गणतंत्र चल रहा।

महँगाई संग दाम लड़ रहा
महामारी से प्राण लड़ रहा।
जीने को संग्राम लड़ रहा,
मिलकर हिंदुस्तान लड़ रहा।

रेल के नीचे कटती बोटी,
जिसके संग थी सूखी रोटी।
शायद देख नहीं पाई थी,
व्यवस्था की आँखें मोटी।

कहते हैं थोड़ा रुक जाते,
घर बैठे राशन भी पाते।
चालीस दिन तो काट चुके हो,
बाँकी भी यूँ ही कट जाते।

भूख सब से कहीं बड़ा है,
आँतों में अकाल पड़ा है।
खुद तो शायद सह भी जाते,
सामने नौनिहाल खड़ा है।

उखड़ी साँसें बोल रही हैं,
प्रजातंत्र को तौल रही हैं।
चुप कैसे मैं रह पाता जब
कलम - स्याही खौल रही है।

कुंभकरण मैं जगा रहा हूँ।
रणभेरी फिर बजा रहा हूँ।
अभी कलम है निपट अकेली,
कलमवीर को मना रहा हूँ।

जब कलमों का घर्षण होगा,
शब्द अनल उत्सर्जन होगा।
दिग-दिगंत सब डोलेंगे, जब
कविकंठन का गर्जन होगा।

हे दिल्ली के राजहंस तुम
बस इतना-सा काम करो।
भूखा पथ पर मरे ना कोई,
कुछ ऐसा इंतजाम करो।

सृजन से विनाश तक

तुम्हारे सृजन की भव्य अट्टालिकाएँ
कारावास बन गई।
जीवन को सुगम करती उपलब्धियाँ
बकवास बन गई।
बेबस वृक्षों पे पड़ती कुल्हाड़ियाँ
विकास बन गई।
प्राकृतिक मर्यादा के विरुद्ध प्रवृत्तियाँ
सर्वनाश बन गई।

महानाश को आमंत्रण दिया है तुमने,
जल-शोधन का गरल पिया है तुमने।
योग त्याग भोग जिया है तुमने।
तप तज के रोग लिया है तुमने।

फिर आज कहो पछताते क्यूँ हो?
अपनी कमियों को छुपाते क्यूँ हो?
यह मौत की आँधी है बचने का जतन कर ले,
कछुए की तरह खुद को खुद में ही दफन कर ले।

सभ्यता समाज का दर्पण है

सभ्यता समाज का दर्पण है,
जिसमें दिखता उसका मन है।
क्या हुआ कि दर्पण टूट गया,
ब्रह्मांड भी हमसे रूठ गया।

हथिनी का दहता गर्भ देख,
मानव का कुत्सित गर्व देख।
मन रोता और बिलखता है?
कुकृति बहोत अखरता है।

सोचो...सोचो के हम इंसान हैं क्या?
कुदरत का स्वयं प्रमाण हैं क्या?
क्या हममें ही रब बसता है,
क्यों जीवन इतना सस्ता है।

आओ... आओ बैठे विश्राम करें
मिलकर चिंतन का काम करें।
यह हथिनी बस एक मोहरा है,
पीछे पैशाचिक चेहरा है।

जिसने मानवता मार दिया,
स्वाद के बस संहार किया।
निज स्वार्थ सिद्ध करने हेतु,
प्रकृति को ललकार दिया।

स्वकर्म फलित जब होता है,
रे मूढ़! तो फिर क्यों रोता है।
क्या सृष्टि-नियम को पढ़ा नहीं,
पाता है वही, जो बोता है।

तुम ने तो अग्नि साधा था,
जल-स्रोतों को भी बांधा था।
बनता था पवन नियंत्रक तू,
प्रकृति नियम को लांघा था।

भीषण इसका परिणाम देख,
महामारी से पा त्राण देख।
भू का कंपन अविराम देख,
ले देख! नया संग्राम देख।

अब भी जो थोड़ा वक्त बचा,
उसमें मत यूँ उत्पात मचा।
ले शरण प्रकृति का फिर से,
सत्कर्मों से भूमात बचा।

अब निकट प्रलय स्पंदन है,
तेरा ही दिया आमंत्रण है।
कल्प-नाश करने हेतु, यह
महाकाल का नर्तन है।

यह कविता नहीं निवेदन है
मन की पीड़ा है, वेदन है।
मानव विहीन ना हो धरती,
उस स्वप्न का बस उद्भेदन है।

- बाबु साहेब कॉलोनी
डाकघर: कबीलपुर
लहेरियासराय
दरभंगा-846001, बिहार
मोबाइल: +91 6204458947

बाल कविताएँ

आँखों में सपने

- सुश्री एम प्रकृति -

जिन आँखों में कभी थी तमन्नाएँ व आरजू,
आज फिर क्यूँ दिखे हैं,
इनमें आँसू?
ये काम बच्चों के लिए नहीं,
'भाग जाओ' कहकर भगाया था।
फिर क्यों कहने की जरूरत पड़ी,
इस काम के लिए बच्चों को लगाओ...
कामयाबी न मिले तो
हम अपने हाथों की
लकीरों को कोसते हैं...
ऐ खुदा! तू बड़ा जालिम है
बताया नहीं कुछ
बच्चे बरतनों में ही अपनी हथेली घिसते हैं।
मेहनत कर
तुम छू लो कामयाबी
करके बुलंद अपने हौसले
अरे! कैसे करते इतनी मेहनत
उन जालिमों से पूछो जो पत्थर के बन
खुशियों को आँसुओं में बदलते हैं।
क्यों न दें उन्हें मौका अब
कल क्या पता कहाँ होंगे और कब।।

मौसम बारिश का...

हर मौसम खुशियाँ लाता है
कोई कुल्फी,
तो कोई आग की गरमाहट का मजा चखाता है
कोई फूल खिलाता
तो कोई पत्तों को
उड़ा ले जाता है
कोई तपन से छतरी तनवाता,
तो कोई बौछारों से डराता है
घर-घर की कहानी
नाना हो या नानी
बच्चों! बाहर जाना मना है
घर में माँ ने गरम पकौड़े तला है
पर अपना मन तो बारिश में
भींगने को उतावला है।

बैठ जाती हूँ रेत पर

बैठ जाती हूँ रेत पर,
क्योंकि मुझे खुद से लगाव है,
जलते हैं मुझसे मेरे दुश्मन
क्योंकि मेरी सोच में ना कोई लगाम है,
माना कि मैं लापरवाह हूँ
पर सबकी परवाह करती हूँ,
माँ-बाप ने जिद कर
हाथ में एक घड़ी क्या पहना दी
ये समय मेरे पीछे पड़ गया,
हँसती-खेलती जिंदगी में
एक भूचाल सा आ गया,
मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं
पर, कहते हैं,
सुख कभी खरीदा नहीं जाता
...दुख का कोई खरीददार नहीं होता।
रेत पर चलते
अपने पैरों के निशां देखने का
मजा भी कुछ अजीब सा होता है...
ऐसे ही जिंदगी कभी हँसाती
कभी रुलाती है।
बीत गई सारी जिंदगी
दुनिया के साथ चलते-चलते
बेवजह मुस्कान दिखाते...
चलो आज फिर बैठ जाती हूँ दोबारा
रेत पर, खाती हूँ भुट्टा नींबू
मशाला मार के...
और पीछे मुड़ के देखती हूँ
जिंदगी के भूले-बिछुड़े लम्हों को
सारे ख्वाब छोड़ के...।

जो कहलाते...

जो कहलाते भाई बंधु थे
आज बँट गए वे भारत-पाकिस्तान
चाहते जो थे अंग्रेज
बँटवारा हममें
हो गया उनके लिए आसान
अरे भाई! डरते थे वे हमसे

कि कहीं सोने की चिड़िया
पंख फैलाकर
न उड़ जाए आगे उनसे
बट के ये चिड़िया बँध चुकी है
जाने ये संसार!
हिंदू-इस्लाम तो बस धर्म है,
फिर लड़ाई किस बात की बार-बार?
जो कहलाते भाई-वंधु थे
आज बँट गए हिंदू-मुसलमान।

दसवीं कक्षा, दिल्ली पब्लिक स्कूल
उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम-530032

जब मैं छोटी थी

- सुश्री नव्या नायर -

जब मैं बच्ची थी
जब मैं छोटी थी
बहुत खुश रहती थी
सब मुझसे प्यार करते थे
सब मेरा ख्याल रखते थे
जब मैं बच्ची थी
जब मैं छोटी थी
चलते-चलते गिरती
रुक-रुक कर बोलती,
भद-भद गिरती
पर पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करती
जब मैं बच्ची थी
जब मैं छोटी थी
दादा की प्यारी, दादी की दुलारी
मुझे इंद्रजाल दिखाती
नाना की शेरनी, नानी की हिरनी,
मुझे मंजिल दिखाती,
जब मैं बच्ची थी,
जब मैं छोटी थी।

दसवीं कक्षा, दिल्ली पब्लिक स्कूल,
उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम-530032

ज्ञान का उदय

- सुश्री तनीशा -

उदय होता है, जब ज्ञान
अपने शिखर पर
बदल जाती है, निराशा आशा में,
ढल जाती है साँझ सुबह में
निडरता के सामने झुक जाता है, डर
अंधेरों को वेधती रोशनी,
चली आती है, हमारे जीवन में,
आँसू भी मोती समान सज जाते हैं,
बेड़ियाँ भी रेशम के धागों सी लगती हैं।
न रह जाएगी कोई वेदना, जब ज्ञान हो,
हमें अपनी अंतर्रात्मा का,
जो है,
दुनिया का ऐसा कोना,
जो देख रहा
हमारी सच्चाई,
उर्वी भी सज जाती है,
अपनी हरियाली समेटे,
झूम उठता है मन,
सावन के मोरों की भाँति
न रह जाता, अज्ञान का अंधेरा,
काले बादल भी बरस जाते हैं,
मोतियों की तरह,
जो जीवन से सीख लेते हैं,
सूखे को फीकी पड़ जाती है,
आभा स्वर्ण की
जब उदय होता है, स्वर्णिम ज्ञान का।

दसवीं कक्षा, दिल्ली पब्लिक स्कूल
उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम-530032

जुग्गी

- श्रीमती नीना कुमारी -

सूरज की लालिमा से सुबह का वातावरण दमकते सुनहरे रंग में बदल रहा था। माघ माह की शीतल बयार और उसके बीच चिड़ियों की चहचहाहट से माहौल संगीतमय बना हुआ था। विजय बाबू बरामदे में रखी चौकी पर आराम से बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे। उधर जुग्गी गायों को बथान से खोलकर नादी से बाँध रहा था, ताकि उसे सुबह का चारा दिया जा सके। सब कुछ सामान्य ही था, अचानक बिट्टू, जो जुग्गी के साथ ही विजय बाबू के यहाँ काम किया करता था, तेजी से साइकिल चलाते हुए आया और साइकिल से कूद कर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। 'जुग्गी..., जुग्गी..., जुग्गी... कहाँ हो...? कहाँ हो तुम...? जल्दी आओ', उखड़ती साँसों को काबू में करने का प्रयास करते हुए वह बदहवास-सा गौशाला की ओर भागा।

इधर विजय बाबू को भी किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने का अहसास होने लगा था। बिना वक्त गँवाए वे भी बिट्टू के पीछे हो लिए। 'क्या हुआ बिट्टू, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो?' विजय बाबू बिट्टू के चेहरे को पढ़ने की कोशिश और मामले को शीघ्र समझ लेने की आतुरता के बीच संतुलन बनाए रखने में अब असहज हो रहे थे। तब तक बिट्टू जुग्गी के पास पहुँच गया था।

'मालिक, जुग्गी की माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। आँगन में धड़ाम से गिर गई और बेहोश हो गई है।' बिट्टू हाँफते हुए अपनी बात को समाप्त करके कातर दृष्टि से कभी विजय बाबू को, तो कभी जुग्गी की ओर देख रहा था। जबकि माँ की बात सुनकर भी जुग्गी के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं उभरा था।

वह गाय के बछड़े की गर्दन से लिपटकर यूँ ही गाय को निहार रहा था। शायद गाय में ही वह अपनी माँ को देखने का प्रयास कर रहा था। इस बीच उसकी आँखों से कुछ आँसू की बूंदें गिरकर उसके मटमैले गालों पर पसर चुकी थीं। विजय बाबू ने स्थिति को भाँपते हुए जल्दी-जल्दी मोटर साइकिल निकाली और दोनों को लेकर जुग्गी के घर, यानि रातगाँव की ओर चल पड़े। रघुनंदनपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर रातगाँव की यात्रा के दौरान जुग्गी और विजय बाबू के बीच कोई संवाद नहीं हुआ।

घर के पास लगी भीड़ को देखते हुए ही जुग्गी जोर-जोर से सिसकने लगा। अवश्य ही उसके मन में माँ के नहीं रहने की बात आ रही होगी। मोटर साइकिल रुकने से पहले ही वह कूद कर झोंपड़ी में प्रवेश कर चुका था। विजय बाबू भीड़ में से अपने को बचाते हुए अंदर दाखिल हुए। जुग्गी की माँ के धीमे कराहने की आवाज सुनकर उन्हें उस समय अच्छा लगा था कि वो जीवित तो है। जुग्गी, माँ के सिरहाने खड़ा सोच नहीं पा रहा था कि उसे अब करना क्या है? विजय बाबू बाहर आकर तुरंत एक गाड़ी के लिए फोन किया और बेहतर संयोग था कि पंद्रह मिनट में बोलेरो गाड़ी जुग्गी के घर के सामने आकर लग गई।

'आप लोग इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, क्या कोई तमाशा हो रहा है?' विजय बाबू के स्वर बुलंद थे। इसका असर यह हुआ कि गाड़ी से लेकर घर के अंदर तक भीड़ के बीच आने का रास्ता खुद-ब-खुद बन गया। 'कल शाम तक तो ठीक ही थी और आज देखो यह सब कैसे हो गया।'

'मर जाने से भी बड़े बेटे को कोई परवाह नहीं होगा, पर जुग्गी को कौन दो जून की रोटी खाने को देगा।' 'बेचारा, घर में पैसे भी नहीं है कौन डॉक्टर, वैद्य और दवाई का खर्चा उठाएगा।' भीड़ में मौजूद महिलाओं की फुसफुसाहट दबे स्वर में उभरकर सामने आ रहे थे।

विजय बाबू ने खाट को एक छोर के उठाते हुए आवाज लगाई, 'जुग्गी उस तरफ से उठाओ, गाड़ी तक चलना है।' भीड़ में से एक दो और लोग हिम्मत करके आगे आए और मिलजुल कर खाट को गाड़ी तक पहुँचाया। 'एक-दो लोग गाड़ी में बैठो, मैं आगे निकलता हूँ।' विजय बाबू ने बिना किसी को इशारा किये कहा और अपनी मोटर साइकिल आगे बढ़ा दी। पास खड़े लोगों के पैर धीरे-धीरे पीछे की ओर खिसकने लगे। ऐसे मौकों पर तमाशबीनों का लगभग यही रवैया होता है। पर जुग्गी को किसी की तलाश न थी। वह किसी की ओर देखे बिना गाड़ी में बैठ गया। जिस माँ की गोद में उसका बचपन बीता था, आज वही माँ अपने सबसे छोटे बेटे की गोद में पड़ी थी और शायद इसीलिए उसके कराहने की आवाज सिसकी में परिवर्तित हो गई थी।

तेघड़ा के डॉ सुभाष कुमार झा के क्लिनिक पर विजय बाबू पहले ही पहुँच चुके थे और परिचित होने के कारण बिना किसी विशेष औपचारिकता के डॉ झा ने जुग्गी की माँ के इलाज हेतु उसे अपने निजी अस्पताल में भर्ती भी कर लिया और बातों-बातों में उन्होंने विजय बाबू से भारी-भरकम राशि जमा करने की बात

कहने में कोई संकोच भी नहीं किया। 'सर जी, ऐसे मरणासन्न केस को तो मैं छूता भी नहीं, पर आपसे मेरा संबंध ही ऐसा है कि मैं ना नहीं कह सका।' डॉक्टर झा ने कनखियों के इशारे से बात समझानी चाही। विजय बाबू ने समझकर भी कुछ नहीं कहा। बस हाथ जोड़ते हुए कह दिया कि 'अब सब कुछ आपके हाथ में है।' इलाज तो शुरू हो गया, पर जुग्गी की माँ की स्थिति निरंतर खराब ही होती गई।

एक हफ्ते बाद वह दिन भी आ गया, जब डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और किसी बड़े अस्पताल में शीघ्र ले जाने की बात कही। जुग्गी लगातार अपनी माँ के साथ ही बना रहा। विजय बाबू बेगुसराय जिले के किसी बड़े अस्पताल में इलाज की व्यवस्था करने के मंसूबे से निकले ही थे कि खबर आई कि जुग्गी अब अनाथ हो चुका है।

जब उसके पिता की हत्या असम के ईंट-भट्ठे में मजदूरी करते समय आतंकवादियों ने कर दी थी, उस समय वह बहुत ही छोटा था। उसने अपने पिता की तस्वीर भी नहीं देखी होगी। पर आज..., आज तो... माँ के गुजर जाने के बाद तो वह बिल्कुल असहाय हो गया था। लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था।

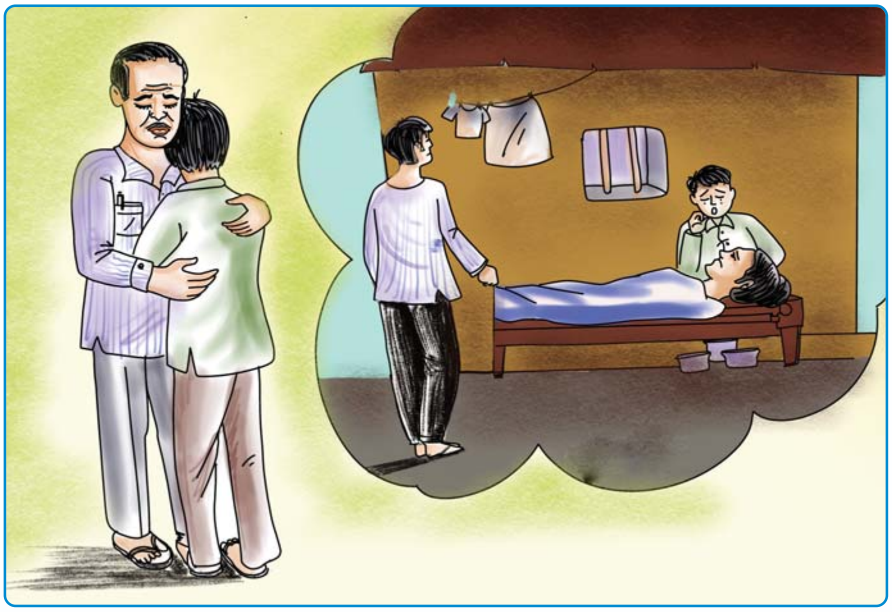

विजय बाबू ने अस्पताल के बिल के साथ-साथ दाह-संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक पूरा कराने में जुग्गी की सभी प्रकार से मदद की। दिन बीतते गए और धीरे-धीरे जुग्गी रात में भी विजय बाबू के घर पर ही रहने लगा और घर के अन्य बच्चों के साथ और भी घुल-मिल गया। गौशाला में काम समाप्त होने के बाद इत्मीनान से हॉल में बैठकर टी वी का रिमोट अपने हाथ में लेकर भोजपुरी गाने और फिल्में देखता और गुनगुनाता था। विजय बाबू की पत्नी रिंकू ने भी अन्य बच्चों की तरह उसके खाने का ख्याल रखती थी। रिंकू जो खाना सबको परोसती, वही जुग्गी को भी परोसती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। सारी चीजें सामान्य-सी थीं।

एक दिन सुबह-सुबह अचानक गायों और बछड़ों के रंभाने की लगातार आवाज से विजय बाबू की नींद खुल गई। सुबह होकर काफी देर हो चुकी थी, पौ फट चुका था। वे गौशाला की ओर गये। उनको देखकर गायें अपने पगहे छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगीं। पगहों से बँधे बछड़े बदहवास उछलने कूदने-लगे। विजय बाबू समझ गये कि इन्हें चारा देने में देरी हो गई है और बिना देरी किये वे खुद गायों को नादी ले जाकर बाँधने लगे। साथ ही यह भी सोच रहे थे कि जुग्गी कहाँ रह गया? आज पहली बार जुग्गी समय पर नहीं पहुँचा था। उनके मन में किसी अनहोनी की आशंका पनपने लगी थी, 'कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? कल तक तो ठीक ही था...। अचानक क्या हो गया?' उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर वे किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे थे।

गायों को चारा डालने के बाद वे अपने आप को जुग्गी के घर जाने से नहीं रोक पाए। उन्होंने जुग्गी के घर जाकर आवाज लगाई। 'जुग्गी..., ऐ जुग्गी...। अरे आज सोते ही रहोगे क्या? उठो, देखो दिन निकल चुका है।' अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर तक आवाज लगाने के बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो विजय बाबू के मन में एक साथ कई संदेह उभर आए।

'क्या घर में कोई नहीं है?' आवाज में तल्खी था। 'जुग्गी घर में नहीं है', किसी महिला ने कहा। इससे विजय बाबू को बहुत हद तक सामान्य होने में मदद मिली। 'कहाँ गया है, बताया भी नहीं और आज काम पर भी नहीं आया?' वे और आश्वस्त हो जाना चाहते थे। 'पता नहीं। कल दोपहर से ही नहीं आया है, मुझे भी कुछ नहीं बताया है।' महिला अपना पीछा छुड़ाने के लहजे में बोली।

'ठीक है, मिलने से बताइए कि मालिक आए थे।' कहकर वे आगे बढ़ गए। लेकिन उनका मन जुग्गी के बारे में और जानना चाह रहा था। उनके पाँव भी आगे चलने से मना कर रहे थे। उनकी नजरें जुग्गी को तलाश रही थीं। जुग्गी के एक साथी रंजन को सड़क पर जाते देखकर विजय बाबू को लगा कि इसे तो

जुग्गी के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वह उसके साथ ही रहा करता है। उन्होंने कहा कि 'रंजन, जुग्गी को देखा? आज वह घर नहीं आया और न ही कल मुझसे कुछ कहा था।'

रंजन थोड़ा ठिठका और वहाँ से निकलने का प्रयास भी किया, पर विजय बाबू के सामने से निकल जाना संभव नहीं था। विजय बाबू ने रंजन के सामने सवाल को पुन: दोहराया, 'रंजन जुग्गी को देखा?' रंजन बगलें झाँकते हुए कहा कि 'जुग्गी और बिट्टू कल ही ट्रेन से बेंगलोर चले गये हैं।' विजय बाबू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस बीच रंजन वहाँ से निकल लिया।

विजय बाबू सोच में पड़ गए, 'जो जुग्गी कभी गाँव के नजदीकी बाजार तक नहीं गया और वह भला एक ही बार में बेंगलोर कैसे चला गया? यह सब सोचते विजय बाबू अपने घर वापस आ गए और उसी दिन शाम को उन्होंने रंजन से बात करके उसे काम पर रख लिया। कभी जुग्गी का ख्याल आया भी तो उसके लिए मन में उमड़ रहे प्यार यह सोचकर दूर हो गया कि कम से कम वह उन्हें बता कर तो जाता। धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य होता गया। समय की परतें यादों को धुंधला कर देती हैं। बीते हुए दिनों के साथ जुग्गी की कहानी भी पुरानी होती गई। हालाँकि जुग्गी का नाम विजय बाबू के दिलो-दिमाग और जुबान पर इस कदर चढ़ा हुआ था कि वे खुद कभी-कभी भी रंजन को ही 'जुग्गी' कहकर पुकार देते थे। इससे रंजन कभी-कभी खीज भी जाता था। लेकिन विजय बाबू भी क्या करें, जुग्गी से उनका लगाव ही ऐसा था। जुग्गी को वे अपने घर का सदस्य मानते थे।

मई का महीना था। दोपहर में भयंकर लू चल रही थी। इसी बीच रंजन को एक सनसनी खबर मिली। वह भागते हुए सीधे विजय बाबू के आँगन में आया और जल्दी-जल्दी कहने लगा, 'मैडम जी, जुग्गी आज सुबह घर आ गया है और उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। यह बात कमरे में आराम कर रहे विजय बाबू के कानों तक भी पहुँच गई। विजय बाबू कनमनाकर चारपाई से उठे और एक नियंत्रित स्वर में पूछा, 'क्या हुआ जुग्गी को? घर पर आ गया है क्या? उसकी तबीयत अभी कैसी है?' ऐसे पूछ रहे थे कि मानो सब कुछ एक बार में ही जान लेना चाहते हों। 'कुछ साफ-साफ बोलता ही नहीं है, खाना भी नहीं खा रहा है। बहुत दुबला हो गया है और उसका रंग बहुत काला पड़ गया है।' विजय बाबू से रहा नहीं गया। उन्होंने ओसारे की खूँटी पर टंगी मोटर साइकिल की चाबी ले ली और किसी को बिना कुछ बताये घर से निकल गए। हालांकि लोगों को पता चल गया था कि वे जुग्गी के घर ही जा रहे हैं।

जुग्गी अपने आँगन में रखी टूटी खाट पर लेटा हुआ था, उसकी आँखें बंद थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तीन-चार महीने में ही बड़े शहर की चकाचौंध और भागती-दौड़ती जिंदगी से उसका मोहभंग हो जाएगा और उसे इतनी जल्दी निराश होकर वापस अपने गाँव आना होगा और वह भी इस हाल में। गाँव से उसका पलायन भले ही बेहतर जिंदगी के लिए हुआ था, पर जिन सपनों को वह लेकर वहाँ गया था वे सपने टूट चुके थे। उन सपनों में उसे अपनी विकृत छवि के साथ-साथ उसके खुद का अस्तित्व भी धूमिल दिख रहा था, बल्कि उसे तो वहाँ भूख, बीमारी और दलालों द्वारा शोषण का अनुभव मिला था। वह बुरी तरह से टूटकर निढाल चारपाई पर पसरा न जाने किस दुनिया में खोया था, तभी विजय बाबू की आवाज ने उसे चौकन्ना कर दी।

'ऐ जुग्गी क्या हुआ रे? ये क्या हाल बना रखा है? चलो... उठो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाता हूँ। ऐसे पड़े रहने से थोड़े ही काम चलेगा।' विजय बाबू को देखकर जुग्गी की आँखें भर आईं। वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ और विजय बाबू से लिपट गया तथा फफक कर रोने लगा। शहर में वह जी भर कर कभी रो भी नहीं पाया था, अत: उसकी सिसकियों का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा।

विजय बाबू ने उसका इलाज कराया। दवाइयों के साथ-साथ उसके लिए तेघड़ा बाजार से कपड़े खरीदे। जुग्गी अपराध बोध के तले दबा हुआ था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। विजय बाबू के हर आदेश को शिरोधार्य करके उठ-बैठ रहा था। उसके बाद विजय बाबू जुग्गी को अपने घर ले गए।

जुग्गी को देखकर परिवार के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसे बस निहार रहे थे और उसके बारे में जानना चाह रहे थे। 'पहले नहा लो, बाहर बाथरूम में तुम्हारा पुराना साबुन अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है।' विजय बाबू के इस दुलार भरे आदेश का पालन करते हुए वह तुरंत बाथरूम की ओर चला गया। कुछ ही देर में जुग्गी नये कपड़ों में चौकी पर बैठ कर मैडम जी के हाथों से बना खाना खा रहा था और सोच रहा था कि शहर की जिंदगी से अपने गाँव का जीवन कितना आनंदमय है।

- 123-बी, डी टाईप
सेक्टर-11, उक्कुनगरम्
विशाखपट्टणम-530032
मोबाइल: +91 9989317329

मर्ज बढ़ता गया...

- डॉ रवि शर्मा 'मधुप' -

मंत्री जी के साले साहब के मन में एक दिन अचानक हिंदी प्रेम जाग उठा। हुआ यूँ कि उन्हें सपने में हिंदी देवी ने दर्शन दिए और बताया कि उसकी स्थिति बहुत खराब है। सुबह-सुबह साले साहब अपने जीजा जी के घर प्रकट हो गए। मंत्री जी के साले साहब को आया देखकर मंत्री जी की आलीशान कोठी में हड़कंप मच गया। वास्तव में, जब भी मंत्री जी के साले साहब आए, अपने साथ कोई -न-कोई अमूल्य, अद्भुत आइडिया जरूर लेकर आए। साले साहब के आइडिया कुछ-न-कुछ गुल अवश्य खिलाते थे। सब जानते थे कि मंत्री जी नाराज हो जाएँ, तो इन्हीं साले साहब की शरण में जाने से काम बन जाता था। किंतु साले साहब रूठ जाएँ, तो मंत्री जी भी सहायक नहीं होते।

मंत्री जी का पूरा अमल मंत्री जी से भी ज्यादा बढ़िया सैल्यूट उनके साले साहब को मारने में विश्वास रखता था। साले साहब अपनी वी.आई.पी.गरदन को न्यूनतम कष्ट देते हुए उनके अभिवादन का उत्तर दे रहे थे और दे-दनादन कोठी के भीतर बढ़ते जा रहे थे। लगभग 1015 मिनट तेज-तेज कदमों से चलने के पश्चात वे अपने परम पूज्य जीजा जी के सम्मुख साक्षात उपस्थित हो गए।

मंत्री जी ने साले साहब को बिठाया। औपचारिक हाल-चाल पूछने के बाद सुबह-सुबह आने का कारण जानना चाहा। साले साहब ने हिंदी देवी के स्वप्न में प्रकट होने तथा हिंदी के द्वारा अपनी दुर्दशा बताने की बात बताई। सुनकर मंत्री जी गंभीर हो गए। उन्होंने पूरी गंभीरता से साले साहब से प्रश्न किया। 'छुटके बाबू', मंत्री जी अपने साले को प्यार से छुटके बाबू कहा करते थे। 'अब इस समस्या का समाधान भी आप ही को बताना पड़ेगा। हिंदी देवी की दुर्दशा जानकर हमारा दिल अत्यधिक व्यथित हुआ है। हमें शीघ्र ही कुछ करना चाहिए।'

'आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं, बड़े बाबू। आप कौनों चिंता न करें, हम हैं न। सब ठीक कर देंगे।' 'वह तो हमको मालूम है, मगर कैसे? कोई आइडिया तो होगा ही आपके पास।' 'अजी आइडिया की तो पूरी फैक्ट्री है हमारा दिमाग में। सबसे पहले तो आप हर स्कूल में पहली कच्छा से अंगरेजी अनिवार्य कर दीजिए। सरकारी स्कूलों में अंगरेजी माध्यम से पढ़ाई करवाइए। सभी सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की परीच्छा पास करना जरूरी हो, खासकर यू.पी.एस.सी. की आई.ए.एस. जैसी परीच्छा में। उसके बाद...'

'अरे छुटके बाबू! ये आप क्या कह रहे हैं? इससे तो हिंदी की दुर्दशा और भी दुर्दुर्दशा हो जाएगी...।' 'अरे बड़े बाबू! आप हमारा पूरी बात तो सुने ही नाहीं।' 'ठीक है कहो। हम सुन रहे हैं।' मंत्री जी पूरी तरह से सतर्क होकर बैठ गये। छुटके बाबू शुरु हो गये। 'आप पहले अंगरेजी को बढ़ाने के काम पर लग जाइए। बाहर-बाहर तो सभाओं, जलसों में हिंदी का गुणगान कीजिए और भीतर-भीतर अंग्रेजी को बढ़ाइए। इससे सारी आई .ए.एस. लॉबी आपके साथ हो जाएगी। लोकतंत्र में किसी भी मंत्री को अपना मंत्रालय सुरक्षित रखने के लिए आई.ए.एस. लॉबी का कॉन्फिडेंस जीतना बहुत ही जरूरी होता है। थोड़े दिनों बाद जब ये बातें मीडिया के द्वारा बाहर पब्लिक तक जाएँगी, तो थोड़ा-बहुत हल्ला होगा। हिंदी के नाम पे घी बूरा खाने वाली संस्थाएँ विरोध-प्रदर्शन, धरना-जलूस करेंगी। उन्हें भी तो थोड़ा काम मिलना चाहिए कि नाहीं। बैठेंबैठे जंग खा गए हैं सब। हम अपने सारे लौंडे-लफंडों को नारेबाजी के लिए बुला लेंगे। फिर आप इन लोगों से मिलिएगा, थोड़ा घड़ियाली आँसू बहाइएगा और मामले को संसद में उठाने का आश्वासन दीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेन्स बुलाकर इसकी घोर निंदा कीजिएगा। इस सबसे पब्लिक में आपकी इमेज बहुत-ए-बढ़िया हो जाएगी। तब आप एक दो निर्णय वापस ले लीजिएगा। इसके बाद आप एक आयोग गठित कर दीजिए, जो सरकारी कार्यालयों में हिंदी का काम बढ़ाने के उपाय बताएगा।'

छुटके बाबू उत्साहित होकर अपनी योजनाएँ बता रहे थे। बड़े बाबू जी यानी मंत्री महोदय दत्तचित्त होकर सारी योजनाएँ समझ रहे थे और उन्हें क्रियान्वित करने की योजना मन-ही-मन बना रहे थे। कुछ ही दिनों बाद योजनानुसार कार्य करने के परिणाम सामने आने लगे। अंग्रेज़ी की बढ़ती महत्ता एवं अनिवार्य ता का हिंदी संगठनों ने जमकर विरोध किया। संसद में भी सांसदों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। सरकार की तरफ से हिंदी विरोधी कुछ फैसले स्थगित करने का आश्वासन दिया गया। मंत्री महोदय ने एक जाँच समिति गठित कर दी।

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए सरकारी स्तर पर मंत्री एवं अधिकारीगण दिन-रात एक किए हुए हैं, मगर न जाने क्यों मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। अंग्रेजी के लेखक, प्रकाशक, पत्रकार, पब्लिक स्कूलों के मालिक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बीसों अंगुलियाँ घी में है। पिछले दो दशकों में पब्लिक स्कूलों में पली-पढ़ी पीढ़ी के लिए अंग्रेजी 'तुम्हीं हो माता, पिता तुम्हीं हो', हो गई है। इस पीढ़ी को पालनेंपोसने का काम हमारी पीढ़ी ने ही किया है, इसलिए आज सब मिलकर यह कहने को बेताब हैं। 'अंग्रेजी महारानी की जय'...।

सह आचार्य एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली7
मोबाइल: +91 9811036140

छतरीवाले अक्षर

- श्रीमती रजनी शर्मा 'बस्तरिया' -

आज पंथलू वाले आम के बगीचे में फिर आती-जाती गाड़ियाँ रुकीं। आस-पास के दस गाँवों तक मशहूर था पंथलू का बगीचा। शानदार किस्म-किस्म के आमों की प्रजातियाँ उस बगीचे में लगी हुई थीं। 'मोरटपाल' गाँव से कुछ पहले ही पंथलू का बगीचा पड़ता था।

पंथलू का नाम यथाक्रम वर्तमान के लिए ठीक था। बाड़ी के सामने सड़क पर पेड़ को घेर कर बनाए गए चबूतरे में ही उसके दिन गुजरते थे। तीन-चार गप्पों (टोकनियों) में महकते आम, क्या तोतापरी, क्या कलमी, जाने क्या-क्या? दो गाँव पार से ही उसके आमों की खुशबू राहगीरों को आकर्षित करती रहती थी। गीले बोरे के ऊपर पिस्ते के रंग सरीखे कच्चे-पक्के आम उसके घर के सामने सजे रहते थे। वह भी दिन भर पालथी मार कर बैठा रहता था। बस रात को ही घर के भीतर सोने जाता था। शायद बचपन में वह ऐसे ही पालथी मार कर बैठता रहा होगा पंथलू नाम को चरितार्थ करते हुए।

मोरटपाल गाँव में मालगुजार मुरलीधर दीवान के खेतों में जाने कितने प्रकार के स्वादिष्ट आमों की पूरी बागान लगी थी। पूरा गाँव अमराई से ही पहचाना जाता था। आम के बौर जब आते और आम गदराते तो पक्षियों का ठौर भी वही गाँव हुआ करता था।

पंथलू छः फुटिया, वृषभ स्कंधा, सूरती (तंबाकू) से रंगे दांत, ताँबई त्वचा, बस्तर शिल्प सी चपटी नाक, साफे में कांवे के पंखों को खोंच कर जब वह पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ता, तो उसके बाँहों की गति देखते ही बनती थी। उस श्रमसाध्य कार्य के दौरान उसकी बाँहों की मछलियाँ ऐसे फड़कतीं, मानो किसी ने मछलियों को पानी से निकाल दिया है। जितनी फुर्ती से वह आम तोड़ता उतनी ही तत्परता से वह उन्हें बड़े-बड़े (गप्पों) में सजाता और ऐसा ढेर बनाता, मानो बैलाडीला के पहाड़ों का निर्माता वही हो।

चौकोन गप्पों में बड़ी नफासत से एक आम के ऊपर दूसरा आम रखता। किस आम के पास ताकत है कि वो ऊपर वाले आमों का बोझ उठा सकता है? कौन गठीला है? तो कौन सा आम कितना रसीला? कौन सा आम टोकनी में दस किलोमीटर की यात्रा बिना पिचके कर सकता है? कौन से आमों के सिरे पुराशृंगों को उचक कर देखने की क्षमता रखते हैं? तो कौन सा आम धूप की गठरी अपने सिर पर रख सकता है? कौन सा आम दुष्ट है? जो हमेशा दूसरे को ढकेलता ही जाएगा। कौन सा आम सुकुमार है? यह सब पंथलू को पता होता है। आस-पास के गाँवों में आम विशेषज्ञ के रूप में उसकी धाक जो जम चुकी है। मालिक के उस रिश्तेदार को क्या पता? जो केवल बाहर भेजे जाने वाले आमों की गिनती भर जानता है। वैसे तो मालिक का सबसे ज्यादा विश्वासपात्र भी वही था। आम की सोंधी खुशबू से क्या उसका मन भी ललचाता नहीं रहा होगा? पर मजाल है कि बिना मालिक की आज्ञा से वह उन्हें सूँघ भी ले।

पंथलू के पास सिर्फ एक साफा, दो धोती किंतु स्वामिभक्ति का अक्षय पात्र उसके व्यक्तित्व के सबसे उजले पक्ष थे। मालगुजार के आमों की ख्याति बस्तर और बस्तर से लगे ओड़िशा की सीमा तक भी जा पहुँची थी। खरीददार जब आते तो उस समय पंथलू का काम दस गुना बढ़ जाता था, क्योंकि जितनी मुस्तैदी से वह पेड़ से आमों को उतारता, ऐसा लगता मानो कोई आसमान से 'साबुत सितारे' तोड़ ला रहा हो। इतना ही नहीं आमों की सजावट से लेकर आमों को दस किलोमीटर दूर शहर तक पहुँचाने का कार्य भी उसी का रहता था। उसे अक्षर ज्ञान नहीं था, पर मजाल है कि आमों की सजावट का ज्ञान गड़बड़ा जाए।

पंथलू का परिवार बस्तर से लगे ओड़िशा से आकर बसा था। और ऐसा भी नहीं कि पंथलू को अक्षर ज्ञान देने की कोशिश भी नहीं की गई होगी। अक्षरों को देख कर पंथलू कहता, 'मोके ओड़िया लिखनि नी आसे (मुझे उड़िया लिखने नहीं आती) पर हल्बी (बस्तर की आंचलिक बोली) में कहता-जमाय अक्षर छाता धरु रऊ आत (उसके अक्षर छतरी पकड़े रहते हैं)। क्योंकि ओड़िया लिपि पहले ताड़ पत्र पर लिखी गई थी, जिसमें पत्रों को कटने से बचाने के लिए दायें से बायें लिखा जाता है, इससे अक्षरों की आकृति छतरी सी बन जाती है।

पंथलू शरीर से 'मीनारकद' जरूर हो गया था। पर जाने आज भी वह स्मृतियों में बसे अक्षरों को खाली समय में तालाब किनारे की रेत पर लिखने की कोशिश जरूर करता। हर ओड़िया लिपि के सिर के ऊपर गोलाई का एक आकार देखकर वह सोचता कि यह छतरी अक्षर का माथा ही होगा। फिर अनायास ही अपने माथे को टटोलने लगता। फिर सोचता अगर इन अक्षरों के ऊपर छतरी नहीं होती तो इन्हें भी धूप जरूर लगती।

जब वह पोखरे के पास खड़ा होकर कुमुदों को निहारता, तो सोचता कि अगर ये अक्षर 'कुमुद पोखर के समीप एक हाथ में करील (कौमल बाँस) और दूजे में पोई साग (सब्जी) लेकर जब लौटते होंगे तो ये भला अपनी छतरी किस हाथ से थामते होंगे?' अक्षरों से पंथलू की कभी भी नहीं बनी। पंथलू इन अक्षरों से जितना उलझता, वे और दुरुह बन कर पंथलू को चिढ़ाते थे। पंथलू तो अब ओड़िया के ककहरे को साक्षात जीवित हाड़-माँस का पुतला ही समझने लगा था, जिससे उसका जनम-जनम का बैर था।

उसके दोस्त जब बस्तर के स्थानीय हाट में उसे पंथलू की जगह पोंथलू (उड़िया उच्चारण) कहकर टेर लगाते तो उसकी भृकुटि तन जाती। फिर वह मन ही मन ठानता, आज तो अपना नाम लिखना सीख कर ही रहेगा और जैसे ही कहीं गीली जमीन दिखी, वहाँ लकड़ी से कुरेदने लगता। साथ ही साथ बड़बड़ाते जाता 'ऐ दांय तो तुके लिखूँ आयेंच्च' (अबकी बार तो तुझे लिखकर ही रहूँगा)। लिखने की कोशिश में फिर अक्षरों के ऊपर की छतरियाँ उसे मुँह चिढ़ाने लगतीं।

बस्तर के गोंचा तिहार (रथयात्रा) में ओड़िशा का असर तो दिखता ही था। क्योंकि दोनों राज्यों की सीमाएँ सटी हुई हैं। बिल्कुल उन अक्षरों की तरह जहाँ एक अक्षर साग की गठरी संभालता तो दूसरा, पहले वाले अक्षर से सट कर छतरी लिए साथ-साथ चलता। और जब किसी गुड़ी (मंदिर) में खीर-मोहन चढ़ाना हो तब कैसे करते होंगे? ... ये अक्षर एक हाथ से छतरी थामे। कितना संभालते होंगे खुद को, कहीं उनकी बाँह में ही शर्करा का रस लुढ़क ना जाए। अक्षरों के लिए साक्षात प्रतिद्वंदी सा भाव लिए पंथलू सोचता। पंथलू सीधा-सीधा अक्षर न बनाने वाले लिपि आविष्कारक को मन ही मन से कोसता और बुदबुदाता, 'ये छतरी वाले अक्षर... इनसे तो जगन्नाथ ही बचाए।'

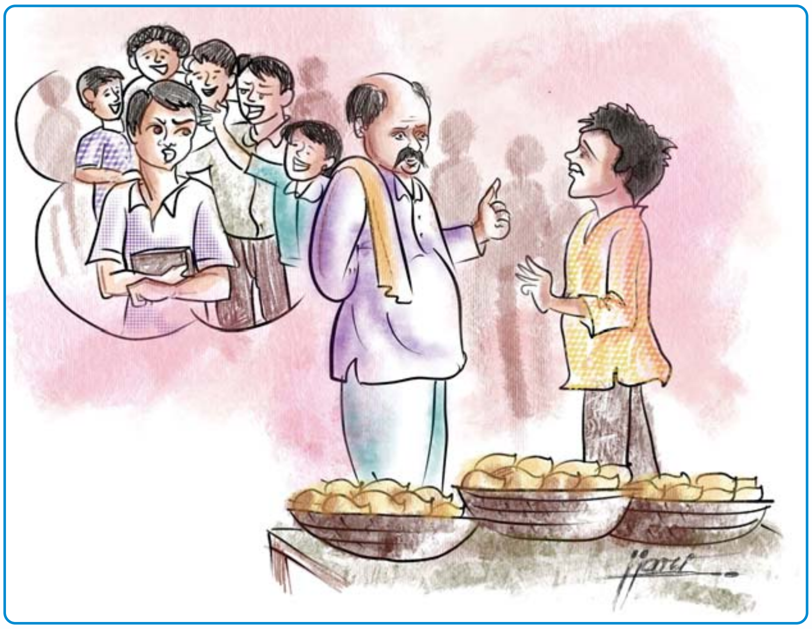

अगर यह अक्षर शाश्वत शरीर धारण किए होते और उनके सिर पर छतरी तनी हुई होती और ये ओड़िशा के नबरंगपुर के किसी ग्रामीण अंचल में कटहल से लदे झुके रूक (वृक्ष) के नीचे से गुजरेंग, तब सीधे इनके सिर पर गिरने वाले कटहल से अक्षरों की छतरी में छेद तो जरूर ही हो जाएँगे।

अमराइयों में कोयलों का कूकना आरंभ हो चुका था। इस बीच मालिक का फरमान आ गया। पंथलू को कम से कम दो बार कांवड़ (टोकनियों की तराजू) आम लेकर गाँव से शहर जाना होगा। आम का सीजन शुरू जो हो गया था। मालिक ने सख्त हिदायत दी थी कि ओड़िशा के जमींदार आ रहे हैं। उनका स्वागत आम की खास-खास किस्मों से किया जाना है। खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। पंथलू कल शहर जाने की तैयारी में दिन भर मेहनत करते पस्त हो चुका था। पिछले माह कई बार इसके सामने फांकाकशी की नौबत आई थी। जैसे-जैसे पानी पीकर उसने रात गुजारी थी। ससुरी क्षुधा भी अपनी रंगत गरीब को ही दिखाती है...।

बीती रात भी फांकाकशी की नौबत आ पड़ी। पंथलू ने सिर झटका और भूख के मारे कलपती आंतों पर कपड़ा बांध कर सोने की कोशिश की थी। जैसे-तैसे सुबह हुई। स्वामिभक्त पंथलू उठा और मालिक के फरमान के हिसाब से अपने काम में जुट गया। आँतें कुलबुला रही थीं। घर में खाने को कुछ था भी नहीं। मालिक के घर से मिली पगार भी अपने घर उधारी की चुकता करने में खर्च हो चुकी थी। केवल सादे भात व नमक का जुगाड़ कर अपना दिन गुजारा करनेवाले पंथलू के पास आज वह भी न था। पर काम तो करना ही था ना।

एक ओर आमों की महक उसे ललचाए जा रही थी तो दूसरी ओर स्वामिभक्ति से भरा उसका जमीर उसे बार-बार रोके जा रहा था। थरथराते, लड़खड़ाते कदमों से उसने आम की टोकरियाँ काँवड़ में लादीं और चल पड़ा शहर की ओर। सही समय पर आम मालिक के घर पहुँच ही जाने चाहिए थे ना। आधा रास्ता ही तय हो पाया था कि सूर्य की तपिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने अपने से ज्यादा उन आमों को बचाने के लिए छतरी तान ली कि कहीं धूप से आम कुम्हला न जाएँ।

ये क्या? भूख सहन नहीं हो रही थी। कदम लड़खड़ाने लगे। मति और क्षुधा के बीच युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आखिरकार पंथलू ने बिलखती आँतों से हार मान ली। उसने सोचा उन टोकनियों के चार-पाँच आम निकाल कर खा लेता हूँ। किसी को पता थोड़े ही चलेगा। धड़कते हृदय से टोकनियों के बीच के दो-चार आमों को निकाला। टोकनी के भीतर कुछ कागज का टुकड़ा दिखा। उसने उसे पास के पत्थर के नीचे दबा दिया और लगभग आमों पर टूट पड़ा। उसके बाद रास्ते में चार-पाँच बार मुँह को धोकर गमछे से पोंछा। अब शरीर में थोड़ी जान आई। धड़कते हृदय से उसने शहर पहुँच कर मालिक के सामने टोकनी रख दी। मेहमानों के सामने मालिक ने कहा, 'यह मेरा सबसे विश्वासपात्र नौकर है। और पूरे जगदलपुर में उससे बढ़कर अच्छा आम का जानकार कोई नहीं है।' मालिक ने मेहमान के ड्राइवर से कहा 'आम गिनकर गाड़ी में रखवा देना।'

जलजला तो अब फूटा। जब ड्राइवर ने टोकरी में पड़े कागज का पुर्जा मालिक को थमाते हुए कहा, 'इसमें से पाँच आम कम हैं।' मालिक हँसने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आमों की गिनती कर संख्या कागज में लिखकर टोकनी में हमेशा से डाल दी जाती रही है। कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। पंथलू का कलेजा धक-धक करने लगा। अनपढ़ पंथलू ने खुद को दिलासा दिया कि उसे तो आम खाते हुए किसी ने देखा ही नहीं है और आम खाते वक्त उसने कागज को पत्थर के नीचे छुपा दिया था। भला कागज की आँख भी होती है क्या? और होती भी होगी तो वो तो पत्थर के नीचे दबी थी।

अब मालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। 'क्यों पंथलू आम कम कैसे हैं?' पंथलू की आवाज घिघिया गई। 'मैं तो नी जानू आंय मालिक (नहीं जानता मालिक)।' ये चिट्ठी जम्माय सांगसी आसे (यह चिट्ठी सब बता रही है।)' भला निर्जीव कागज कुछ बोलता भी है? पंथलू अचंभित उसमें स्वामिनिष्ठता में आम खाने वाली मिलावट ने उसके पूरे शरीर को कसैलेपन से भर दिया।

मालिक ने तेतर सूटी (इमली वृक्ष की छड़ी) से पंथलू को पीटना शुरू किया। मेहमानों के सामने बेइज्जती, जिसे स्वामिभक्त ईमानदार समझा उसी ने? ताबड़तोड़ सूटी से पंथलू की पीठ लहूलूहान हो चुकी थी। वह अब भी सोच रहा था कि भला हुन कागज कसन सांगू आय? (भला कागज का बेजान पुर्जा कैसे बोल सकता है।) सूटियों की बारिश, उधेड़ती खाल के बीच मूर्तिवत खड़ा पंथलू उस दृश्य को याद करने लगा कि कैसे उसने आम खाते वक्त कागज को पत्थर के नीचे दबा दिया था। उसे अंदेशा तो था कि हुन कागज सांगु आय (ये कागज सब बता देता है)। फिर आम खाने के बाद कागज वापस सही सलामत टोकनी में रख भी दिया तो था।

मालिक दहाड़ रहे थे कि 'कागज में इतने आम की संख्या लिखी है और यहाँ इतने कम हैं?' मारते छड़ी टूट गई, मालिक हाँफने लगे। लहुलुहान लगभग बेसुध पंथलू आम के पेड़ के नीचे बेसुध पड़ा था। अधखुली आँखों से आँसू बह रहे थे। पेड़ के पत्तों की छतरी ने उसके मुख पर छाँव तो कर दिए थे, पर वह बुदबुदा रहा था। 'तुम्ही मन सांगलास नी (तुम्हीं लोगों ने बताया ना?)'

'तुम्हारी इतनी सेवा की, उसका क्या?' 'मैं कितरो कोसीस करली (मैंने कितनी कोशिश की) तुम्हें (अक्षरों को) धूप ना लगे इसलिए छतरी भी तानी। मोचो पीठ घाम ने जरली (मेरी पीठ धूप में जल गई) पर तुम्हें छाँव में रखा। और तुमने मेरे ऊपर से बचाव वाली छाँव भी छीन ली। माटी किरिया (माँ की कसम) दो दिन से भात खाने को नहीं था तो क्या करता?'

'सांगा तुम्हीं मन सांगा (बोलो तुम ही बोलो)। जब तुम आम खाने की बात मालिक को बता सकते हो, तो मेरे दो दिन से भूखे रहने की बात क्यों नहीं बताई? बोलो!' भला अक्षर कभी बोले हैं? निरक्षर पंथलू के पक्ष में जो आज बोलते। निरक्षर पंथलू कागज पर लिखे छतरी वाले अक्षरों को देख कर सुबक रहा था। स्वामिभक्ति में रत्तीभर की शिथिलता और आत्मग्लानि से उपजे पश्चाताप के आँसुओं ने निरक्षर पंथलू के हाथों में सहेजे कागज के पुर्जे पर लिखे छतरी वाले अक्षरों को भी नम कर दिया।

- देशबंधु प्रेस के सामने
116 सोनिया कुंज, रायपुर
मोबाइल: +91 9301836811

खतरा

- डॉ शैल चंद्रा -

दोनों बहनें शहर में खिलौने बेच कर लौट रही थीं। दिसंबर की साँझ ढलने वाली थी। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े तेज गति से चल रही थीं। बीमार पिता की जगह कुछ दिनों से वे दोनों बहनें खिलौने बेचने शहर आ रही थीं। आज बाजार में उनको कुछ देर हो गई। साँझ का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। साथ ही दोनों बहनों का डर भी बढ़ता जा रहा था।

अक्सर शहर में किसी भी लड़की के साथ बलात्कार या हत्या होना जैसे रोजमर्रा की घटना हो गई है। अभी वे पैदल जा ही रही थीं कि दो बाइक सवार लड़के वहाँ आ धमके और छेड़खानी करने लगे। दोनों बहनें बिना कुछ सोचे समझे भागने लगीं। भागते-भागते वे शमशान पहुँच गईं। शमशान में घुप्प अंधेरा था। चारों तरफ सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं। छोटी बहन एक पेड़ के नीचे रुक गई और बोली - 'दीदी, यहाँ से चलते हैं। यहाँ भूतों का डेरा है। मुझे डर लग रहा है।'

बड़ी बहन बोली - 'अरे पगली, ये भूत-प्रेत तो मर चुके हैं। ये कुछ भी नहीं करेंगे। हमें तो जिंदा भूतों से डरना है। इस शहर में जिंदा नर पिशाचों से हम लड़कियों को बड़ा खतरा है। पता नहीं, कब हम पर हमला कर दें।' यह कहती हुई वे दोनों बहनें पूरी निर्भीकता के साथ शमशान में आराम से बैठ गईं।

- रावण भाठा, नगरी
जिला धमतरी, छत्तीसगढ़
मोबाइल: +91 997783464

आओ भाषा सीखें

'आओ भाषा सीखें' शीर्षक के अंतर्गत इस अंक में कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र किया गया है, जो तेलुगु और हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। यथा -

रामा : मास्टर जी! प्रेमचंद कौन हैं?
రామా : మాస్టర్ జీ! ప్రేమ్‌చంద్ కౌన్ హైం?
రామా : మాస్టర్ గారూ! ప్రేమ్‌చంద్ ఎవరు?
रामा : मास्टर गारू! प्रेमचंद एवरु?
Rama : Master Ji! Who is Premchand?
मास्टर जी : प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बड़े उपन्यासकार हैं।
మాస్టర్ జీ : ప్రేమ్‌చంద్ హింది సాహిత్య కే ఏక్ బడే ఉపన్యాస్‌కార్ హైం.
మాస్టర్ జీ : ప్రేమ్‌చంద్ హిందీ సాహిత్యానికి చెందిన ఒక పెద్ద ఉపన్యాసకారుడు.
मास्टर जी : प्रेमचंद हिंदी साहित्यानिकि चेंदिन ओक पेद्द उपन्यासकारुडु।
Master Ji : Premchand is a famous Hindi Upanyasakar.
रामा : अच्छा! एक अच्छे प्रवचनकार हैं।
రామా : అచ్ఛా! ఏక్ అచ్ఛే ప్రవచన్‌కార్ హైం.
రామా : ఓహో! ఒక పెద్ద ప్రవచనకారుడు.
रामा : ओहो! ओक पेद्द प्रवचनकारुडु।
Rama : Oh! He is a famous discourse person.
मास्टर जी : नहीं, प्रवचनकार नहीं, उपन्यासकार हैं।
మాస్టర్ జీ : నహీం, ప్రవచన్‌కార్ నహీం, ఉపన్యాస్‌కార్ హైం.
మాస్టర్ జీ : కాదు, ప్రవచనకారుడు కాదు, ఉపన్యాసకారుడు.
मास्टर जी : कादु, प्रवचनकारुडु कादु, उपन्यासकारुडु।
Master Ji : No, not Pravachankar, he is a upanyaskar.
रामा : वही तो, उपन्यास का मतलब प्रवचन ही तो है।
రామా : వహీ తో, ఉపన్యాస్ మత్‌లబ్ ప్రవచన్ హీ తో హై.
రామా : అదే, ఉపన్యాసం అంటే ప్రవచనమే కదా.
रामा : अदे, उपन्यासम् अंटे प्रवचनमे कदा।
Rama : Yes, upanyas means pravachan, isn't it?
मास्टर जी : नहीं रामा! उपन्यास साहित्य का एक अंग है, जिसे अंग्रेजी में novel कहते हैं।
మాస్టర్ జీ : నహీం రామా! ఉపన్యాస్ సాహిత్య కా ఏక్ అంగ్ హై, జిసే అంగ్రేజీ మేం novel కహ్‌తే హైం.
మాస్టర్ జీ : కాదు రామా! ఉపన్యాస్ అంటే సాహిత్యంలో ఒక భాగం. దానినే ఆంగ్లంలో novel అంటారు.
मास्टर जी : कादु रामा! उपन्यास अंटे साहित्यम्लो ओक भागम्। दानिने आंग्लम्लो novel अंटारु।
Master Ji : No Rama! Upanyasam is a part of literature, which means novel in English.
रामा : लेकिन हमारे तेलुगु में तो उपन्यासम् मतलब अंग्रेजी में speech है।
రామా : లేకిన్ హమారే తెలుగు మేం తో ఉపన్యాసమ్ మత్‌లబ్ అంగ్రేజీ మేం speech హై.
రామా : కాని మా తెలుగులో ఉపన్యాసం అంటే ఆంగ్లంలో speech.
रामा : कानि मा तेलुगुलो उपन्यासम् अंटे आंग्लम्लो speech।
Rama : But, in Telugu upanyasam means speech in English.
मास्टर जी : अच्छा! तब तेलुगु में novel को क्या कहा जाता है?

మాస్టర్ జీ : అచ్ఛా! తబ్ తెలుగు మేఁ novel కో క్యా కహా జాతా హైఁ?

మాస్టర్ జీ : అలాగా! అప్పుడు తెలుగులో novel ని ఏమంటారు?

मास्टर जी : अलागा! अप्पुडु तेलुगुलो novel नि एमंटारु?

Master Ji : O.K.! Then what is the meaning of novel in Telugu?

रामा : तेलुगु में novel को नवल कहा जाता है। तब speech को हिंदी में क्या कहा जाता है?

రామా : తెలుగు మేఁ novel కో నవల కహా జాతా హైఁ. తబ్ speech కో హిందీ మేఁ క్యా కహా జాతా హైఁ?

రామా : తెలుగులో novel ని నవల అంటారు. అయితే speech ని హిందీలో ఏమంటారు?

रामा : तेलुगुलो novel नि नवल अंटारु। अयिते speech नि हिंदी लो एमंटारु?

Rama : Novel means 'navala' in Telugu. Then what is the meaning of speech in Hindi?

मास्टर जी : Speech को हिंदी में भाषण कहा जाता है।

మాస్టర్ జీ : Speech కో హిందీ మేఁ భాషణ్ కహా జాతా హైఁ.

మాస్టర్ జీ : Speech ని హిందీలో భాషణ్ అంటారు.

मास्टर जी : Speech नि हिंदी लो भाषण अंटारु।

Master Ji : Speech means Bhashan in Hindi.

रामा : अच्छा, जानते हैं मास्टर जी! तेलुगु में एक और शब्द है 'संभाषण', मतलब अंग्रेजी में 'discussion'.

రామా : అచ్ఛా, జాన్‌తే హైఁ మాస్టర్ జీ! తెలుగు మేఁ ఏక్ ఔర్ శబ్ద్ హై 'సంభాషణ', మత్‌లబ్ అంగ్రేజీ మేఁ 'discussion'.

రామా : సరే, మీకు తెలుసా మాస్టర్ జీ! తెలుగులో ఇంకో పదం ఉంది 'సంభాషణ', అంటే ఆంగ్లంలో 'discussion'.

रामा : सरे, मीकु तेलुसा मास्टर गारु! तेलुगुलो इंको पदम् उंदि 'संभाषण', अंटे आंग्लम्लो 'discussion'।

Rama : Ok, do you know Master ji! there is a word in Telugu 'Sambhashana', which means 'discussion' in English.

मास्टर जी : अच्छा! Discussion को हिंदी में 'संवाद' कहा जाता है।

మాస్టర్ జీ : అచ్ఛా! Discussion కో హిందీ మేఁ 'సంవాద్' కహా జాతా హైఁ.

మాస్టర్ జీ : అలాగా! Discussion ని హిందీ లో 'సంవాద్' అంటారు.

मास्टर जी : अलागा! Discussion नि हिंदी लो 'संवाद' अंटारु।

Master Ji : Ok! Discussion means 'Samvad' in Hindi.

रामा : जानते हैं मास्टर जी, तेलुगु में 'वादन' एक शब्द है, जिसका मतलब है 'Argument'।

రామా : జాన్‌తే హైఁ మాస్టర్ జీ, తెలుగు మే 'వాదన' ఏక్ శబ్ద్ హైఁ, జిస్‌కా మతలబ్ హై 'Argument'.

రామా : మీకు తెలుసా మాస్టర్ గారు, తెలుగులో 'వాదన' అని ఒక పదం ఉంది, దాని అర్థం 'Argument'.

रामा : मीकु तेलुसा मास्टर गारु, तेलुगुलो 'वादन' अनि ओक पदम् उंदि, दानि अर्थम् 'Argument'.

Rama : Do you know master ji, there is a word 'vaadana' in Telugu, which means 'argument'.

मास्टर जी : जिसे हिंदी में वाद-विवाद कहा जाता है। ठीक है, अगले अंक में और कुछ शब्द सीखेंगे।

మాస్టర్ జీ : జిసే హిందీ మేఁ వాద్-వివాద్ కహా జాతా హైఁ. ఠీక్ హైఁ, అగ్‌లే అంక్ మేఁ ఔర్ కుఛ్ శబ్ద్ సీఖేంగే.

మాస్టర్ జీ : దానినే హిందీలో వాద్-వివాద్ అంటారు. సరే, వచ్చే సంచికలో మరి కొన్ని పదాలు నేర్చుకుందాం.

मास्टर जी : दानिने हिंदीलो वाद-विवाद अंटारु। सरे, वच्चे संचिकलो मरि कोन्नि पदालु नेर्चुकुंदाम्।

Master Ji : That is called vaad-vivaad in Hindi. O.K. the bell has rung. We will learn some more words in the next issue.

रामा : ठीक है मास्टर जी! नमस्कार।

రామా : ఠీక్ హైఁ మాస్టర్ జీ! నమస్కార్.

రామా : అలాగే మాస్టర్ గారు! నమస్కారం.

रामा : अलागे मास्टर गारु! नमस्कारम्।

Rama : O.K. Master ji! Namaskar.

जरा गौर करें

उसका जन्म कश्मीर में कहीं हुआ है। शराबी पिता की प्रताड़नाओं की वजह से महज चार साल की उम्र में खुद उसकी माँ उसे मुर्शिदाबाद में पिता के पास छोड़कर कहीं और चली गई। जिंदगी की दुर्गम थपेड़ों को सहते हुए वह मुर्शिदाबाद से दुर्गापुर आ गई। जहाँ रुक-रुक कर ही सही किसी तरह से छठवीं कक्षा तक पढ़ाई भी कर ली। वह अपने शराबी पिता, सौतेली माँ और अन्य लोगों की दया पर किसी तरह बारह वर्ष की उम्र पार ही की थी कि तभी उसकी शादी सजावट का काम करने वाले एक छब्बीस वर्षीय व्यक्ति से कर दी गई।

शादी के एक साल बाद अर्थात मात्र 13 वर्ष की आयु में वह माँ बन गई और जल्दी-जल्दी उसे दो और बच्चे हो गए। इसी बीच उसके बहनोई द्वारा उसकी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी गई। वह बहुत विचलित हुई, लेकिन स्वयं की जद्दोजहद से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल था। जीविकोपार्जन के लिए आस-पास के घरों में वह काम भी करती रही। जिंदगी बहुत कठिन थी।

घरेलू हिंसा की शिकार वह किसी तरह से अपने बच्चों के साथ जीना चाहती थी। उन्हें बेहतर जीवन देना चाहती थी। आखिर 1999 में पति की प्रताड़नाओं से थक हार कर एक दिन अपने तीनों बच्चों के साथ उसने दिल्ली की गाड़ी पकड़ ली।

दिल्ली आकर वह घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने लगी और अपने बच्चों, बेटे सुबोध और तपस तथा बेटी प्रिया को पढ़ाने का प्रयास करने लगी। हालाँकि यहाँ की डगर भी उसकी आसान न थी। यहाँ भी उसे अपने कई नियोक्ताओं के शोषण से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसी क्रम में उसे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के प्रपौत्र एवं नृ-विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर प्रबोध कुमार के घर में साफ-सफाई का काम मिल गया। प्रोफेसर साहब ने एक दिन देखा कि किताबों की अलमारी की साफ-सफाई करते समय वह कुछ किताबों को पढ़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने उसे ख्यातिप्राप्त लेखकों की कृतियाँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा 'अमार मेयेबेला' (मेरा लड़की होना) पढ़ने के लिए दिया।

इस किताब ने उसकी सोच को बदल दिया। इस किताब ने उसे अपनी आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही प्रोफेसर सुबोध कुमार उसकी कल्पनाओं को पंख देने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने एक नोटबुक और कलम लाकर उसे दी और अपनी आत्मकथा लिखने के लिए अभिप्रेरित किया। वह भी इसे एक उद्देश्य मानकर टूटी-फूटी बांग्ला में अपनी आत्मकथा लिखना आरंभ कर दिया। जब प्रोफेसर साहब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो देखा कि वह लगभग 100 पृष्ठ तक लिख चुकी थी।

कई महीनों के बाद जब उसकी आत्मकथा पूरी हो गई, तब प्रोफेसर साहब ने उसमें सुधार किया। उसका हिंदी में अनुवाद किया और स्थानीय साहित्यकारों को पढ़ने के लिए दिया। फिर 2002 में कोलकाता के एक प्रकाशक ने इस पुस्तक 'आलो अंधारी (रोशनी और अंधेरा) का प्रकाशन किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि शुरुआत में ही यह किताब 'बेस्ट सेलर' बन गई। इस प्रकार यह पुस्तक मीडिया की नजरों में आ गई और एशिया में घरेलू नौकरों की बदहाली से दुनिया वाकिफ होने लगी। अगले दो वर्षों में इसके दो और संकलन प्रकाशित हो गए। न्यूयार्क टाइम्स अखबार ने इस पुस्तक की तुलना 'एंजेला एशेस' जैसी पुस्तक से की। जल्दी ही इस किताब का अनुवाद 21 भाषाओं में हो गया, जिनमें से 13 विदेशी भाषाओं में हुआ।

यह कहानी किसी और की नहीं, बल्कि बेबी हल्दर की है, जिन्होंने अपने संघर्ष और यातनाओं का इस किताब में जिक्र किया है और उनकी दूसरी पुस्तक 'इशत रूपांतर' भी बहुत चर्चित हुई है। आज श्रीमती बेबी हल्दर एक स्थापित लेखिका हैं।

आपकी पाती - हमारी थाती

'सुगंध' का मार्च 2020 अंक प्राप्त हुआ। स्नेह स्मरण हेतु आभार। पत्रिका के तेवर और कलेवर में सुखद निखार आया है। लेखापरीक्षा के संदर्भ में अनुशासन आलेख संयंत्र की प्रगति में निहित व्यवस्था की भावनात्मक पारदर्शिता से परिचित कराता है। 'कोविड-19: एक दृष्टिकोण' वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगी एवं पठनीय लेख है। श्री चित्रेश की कहानी बढ़िया लगी। श्री कुँअर जावेद की रचनाओं में कविता की वाचिक परंपरा का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। डॉ मदन सैनी की कविताएँ अपनी बात कहने में सक्षम हैं। संगीत सरिता, जरा गौर करें इत्यादि स्तंभ तो सुगंध के आकर्षण हैं। समग्रत: एक उत्कृष्ट अंक हेतु पत्रिका के संपादक मंडल को अनेकश: बधाइयाँ।

- श्री राजेंद्र तिवारी, कानपुर

'सुगंध' के संप्रति अंक के सभी लेख, कहानियाँ एवं लघुकथाएँ प्रेरणादायी लगीं। बाल सुगंध स्तंभ में सुश्री वी दर्शिनी का 'स्वरोजगार एवं सामर्थ्य विकास' तथा सुश्री आकृति इशिका का 'प्रदूषण नियंत्रण में वैयक्तिक भूमिका' बहुत ही अच्छा लगा। आर आई एन एल की विविध गतिविधियों के छायांकन के साथ आवरण पृष्ठ बहुरंगी और भावपूर्ण लगा। कोरोना की वैश्विक महामारी के इस दौर में सुगंध के रचनाकारों ने अपनी लेखन कला के माध्यम से बहुत ही सराहनीय एवं संपादन कार्य को जीवंत बनाया, संपादक मंडल को असीम बधाई। 'आओं भाषा सीखें' के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी से तेलुगु भाषा सीखने का अवसर मिला। 'जरा गौर करें' रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक लगा।

- श्री छगन लाल नागवंशी, भिलाई

'सुगंध' का नया अंक प्राप्त हुआ। संपादकीय प्रेरक है। इस्पात पर केंद्रित लेख उच्चस्तरीय और ज्ञानवर्द्धक हैं। लेख 'तकनीकी अनुशासन:लेखापरीक्षा के संदर्भ में' किसी संस्थान के लेखा एवं खातों की विशद जानकारी प्रस्तुत करता है। सामयिक लेख 'कोविड-19-एक दृष्टिकोण' में दी गई जानकारी उपयोगी है। संयंत्र की विभिन्न गतिविधियों की रंगीन चित्रों के साथ प्रस्तुति सराहनीय है। सभी कहानियाँ रोचक एवं पठनीय हैं। मानक स्तंभ के अंतर्गत 'जरा गौर करें' में प्रस्तुत कमला बहन का कर्मठ चरित्र और उनके पुत्र डॉ राजेंद्र भारुड़ की लगन और उपलब्धि अतुलनीय है। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए संपादक एवं उनके सभी सहयोगियों को बधाई।

- श्री विष्णु वर्मा, ककोली

'सुगंध' का मार्च 2020 अंक अपनी परंपरागत सज-धज के साथ पढ़ने को मिला। लाकडाउन की कठिनाइयों व बाधाओं के बावजूद संपादक और उनकी टीम की लगन तथा मेहनत की बदौलत यह अपने आप में पूर्ण अंक बन कर सामने आया है। वैज्ञानिक सोच अपनाने की प्रेरणा देने वाले रोचक संपादकीय से लेकर अंतिम लेख 'जरा गौर करें' तक लगभग सभी रचनाएँ सुगंध की स्तरीय कसौटी पर खरी उतरती हैं। तकनीकी लेखों और स्थाई स्तंभों के साथ पूरा न्याय करते हुए साहित्य व संस्कृति से जुड़ी पर्याप्त सामग्री हर वर्ग के पाठकों का ज्ञानवर्धन व मनोरंजन करती है। प्रियंका पाठक की मार्मिक कहानी 'समय चक्र' व अन्य कहानियाँ हमें भावनाओं के सागर में गोते लगाने को प्रेरित करती हैं। श्री पूरन सरमा ने हमेशा की तरह अपने व्यंग्य लेख से गुदगुदाया है। श्री सुधीर निगम का 'गधा गाथा' अपनी तरह का अनूठा लेख है, जो अनुभव, ज्ञान व शोध का खजाना अपने में समाए हुए है। मुद्रण व उत्पादन की श्रेष्ठता तो 'सुगंध' के स्थाई भाव हैं। अनेक चित्रों से सुसज्जित यह अंक मन और बुद्धि दोनों की अपेक्षाएँ पूर्ण करने में सक्षम है। संपादकीय टीम को हार्दिक बधाई।

- श्री सुभाष सेतिया, नई दिल्ली

सुगंध का नया अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका सदैव एक नए विमर्श लिए हुए होती है। यह एक सकारात्मक पहल और सराहनीय पक्ष है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ चित्ताकर्षक तथा मोहक है। पत्रिका में सभी लेख एक से बढ़कर एक हैं, खास तौर पर तकनीकी लेखों द्वारा विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, जो रोचक, ज्ञानवर्धक एवं पठनीय हैं। राजभाषा एवं इस्पात संबंधी विभिन्न कार्यशाला, आयोजन एवं सम्मेलनों के रंगीन छायाचित्र इंद्रधनुष से मनोरम जान पड़ते हैं और निस्संदेह यह पत्रिका राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु पूर्णतया सहायक भी है। पत्रिका को सुंदर व आकर्षक रूप में सहेजने हेतु संपादक मंडल बधाई के पात्र है। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि भविष्य में भी इसी प्रकार ज्ञानवर्धक पत्रिका प्राप्त होती रहेगी। हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

- श्री एस के गोराई, बेंगलूरु

'सुगंध' का नया अंक आद्योपांत पढ़ा, अच्छा लगा। अंक में विज्ञान और तकनीकी विधियों से जुड़ी प्रौद्योगिकी तथा साहित्य की विधाओं से जुड़ी सामग्री का संयोजन है। इस संयोजन में संपादन कौशल के अद्भुत योग का प्रमाण है कि औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक खंड को अधिक स्थान देने के बावजूद साहित्य खंड को संतुलित बनाए रखने हेतु सशक्त एवं मार्मिक कहानियों तथा लघुकथाओं को स्थान दिया गया है। श्री कुँअर जावेद की गजलें विविध भावों रूपी फूलों से निर्मित गुलदस्ता है। डॉ मदन सैनी की दार्शनिकता से पूर्ण कविता और गीत अधिक ही प्रभावित हैं। डॉ अमिता दुबे की कहानी 'कर्ज', श्री रमेश शर्मा की कहानी 'उस घर की आँखों से' और श्रीमती प्रियंका पाठक की 'समय चक्र' मार्मिक होने के कारण काफी प्रभावी हैं। श्री पूरन सरमा का व्यंग्य 'जुगलबंदी होली और बसंत की' अच्छा लगा। श्री सुधीर निगम के निठल्ले चिंतन में 'गधा गाथा' की जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। निस्संदेह इस अंक में सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ हैं। शेष लेख एवं स्तंभीय सामग्री भी श्रेष्ठ हैं। एक सफल, सोद्देश्य एवं सशक्त अंक के लिए बधाई।

- श्री ओम प्रकाश मंजुल, पीलीभीत

'सुगंध' पत्रिका का नवीनतम अंक मिला, सहृदय आभार। पत्रिका का हर अंक स्तरीय बनता जा रहा है। अंक में इस्पात उद्योग में तकनीकी अनुशासन बनाए रखने से संबंधित लेख प्रकाशित हैं, जो प्रतिस्पर्द्धा के इस दौर में काफी आवश्यक हैं। परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादन में भारत को विश्व में दूसरा स्थान मिला है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस्पात उत्पादन संबंधी लेखों से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई। इस्पात, साहित्य, समाज, कला के अंगों को समेट कर पत्रिका को नया स्वरूप दे रहे हैं, जिसकी सुगंध से पाठक का आनंदित होना स्वाभाविक है। आपका संपादकीय सराहनीय है। कहानियाँ, कविताएँ, लघुकथा आदि ठीक हैं। 'जरा गौर करो', 'कोविड-19-एक दृष्टिकोण' के साथ 'आओ भाषा सीखें' स्तंभ अच्छे व प्रशंसनीय हैं। सुगंध परिवार को साधुवाद।

- श्री शिव डोयले, विदिशा

'सुगंध' का नया अंक मुझे हस्तगत हुआ। 'तकनीकी क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता एवं उपादेयता' पर केंद्रित यह अंक चेतनता को नई दिशा देने में सक्षम है, एतदर्थ संपादक परिवार को साधुवाद। 'सुगंध' के जन्म से लेकर षोडश वर्षीय वय तक रूप, रस, गंध की जो हृदय रसवंती धार प्रवाहित हुआ करती थी, वह इसके तरुणावस्था के काल में अभाव युक्त परिलक्षित होती है। संप्रति पत्रिका इस्पात संयंत्र की गतिविधियों की 'सूचक' बनती जा रही है। साहित्य प्रेमी समाज की रसपिपासा शांत करने की क्षमता का लोप होता जा रहा है। 'पत्रिका' की पुरानी छवि को कायम करने का प्रयास किया जाए। अशेष मंगल कामनाओं के साथ...।

- श्री सुरेश चंद्र शर्मा, सुल्तानपुर

'सुगंध' के पिछले तीन अंकों में प्रकाशित सकारात्मक विमर्शों और समसामयिक विषयों के चयन ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया। पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठों का चयन पत्रिकाओं के कथ्य का झरोखा प्रतीत होता है। मैं संपादकीय का भी विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रत्येक संपादकीय समसामयिक विमर्श से जुड़कर भारतीय मूल्यों की स्थापना करता दिखाई देता है। 'सुगंध' का पूरा कलेवर सचमुच सुंदर, सुरुचिपूर्ण होने के साथ-साथ तकनीकी ज्ञान से भी जुड़ा है। अप्रैल-सितंबर अंक में दक्षिण भारत के विभिन्न आयामों को समेटना बहुत सुरुचिपूर्ण है। पत्रिका के सभी अंक बहुत ही प्रभावी हैं। हिंदी भाषा की संप्रेषणीयता की दृष्टि से सभी आलेख प्रशंसनीय हैं। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी विद्वत-जनों के साधुवाद...

- सुश्री स्वर्ण अनिल, दिल्ली

आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने हेतु सतत रीबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन करते हुए
माननीय इस्पात व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
संगठन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ द्वारा झंडोत्तोलन

जब तक दवाई नहीं
तब तक ढिलाई नहीं

दूसरों से कम से कम
दो गज की दूरी बनाये रखें

फेस मास्क जरूर पहनें और
सही ढंग से पहनें

साबुन और पानी से अपने हाथ
नियमित तौर पर धोते रहें

आँख, नाक, मुँह पर
हाथ लगाने से पहले
अपने हाथ साबुन से धोएँ

भीड़-भाड़ वाली जगहों पर
जाने से बचें

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED
VIZAG STEEL
Pride of Steel